अगस्त, 2019
I.S.S.N. : 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव,
विधायी विभाग, प्रभारी वि.सा.प्र.

श्री एस. आर. ढलेटा,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु
गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

श्री ए. के. अवस्थी,
सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं डीन, विधि
संकाय लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

श्री एल. आर. सिंह,
प्रोफेसर एवं डीन इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

श्री अविनाश शुक्ला,
संपादक

श्री असलम खान,
संपादक

सहायक संपादक : श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

परामर्शदाता : सर्वश्री दयाल चन्द ग्रोवर, महमूद अली खां और विनोद कुमार आर्य

ISSN 2457-0486

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

वार्षिक : ₹ 1,300/-

© 2019 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

अगस्त, 2019 अंक - 8

प्रधान संपादक
डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय
संपादक
असलम खान

विधि साहित्य
प्रकाशन

(2019) 2 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on
Website ➡ https://bharatkosh.gov.in/product/product

विक्रय कार्यालय : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

समस्त प्राणियों के जीवन की अपेक्षाकृत मानव जीवन अधिक महत्वपूर्ण है । इसकी रक्षा के लिए प्रत्येक समाज में आदि काल से ही नियम और कानूनों की रचना की गई है । यह ध्यान में रखना होगा कि जिस व्यक्ति की हत्या की गई है उसका जीवन यदि महत्वपूर्ण था तो जिस व्यक्ति पर मानव वध का आरोप है उसका जीवन भी मानवता की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण नहीं है । मानव वध हत्या हो सकता है और कभी-कभी हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध हो सकता है । ऐसी स्थिति में न्यायालयों को बहुत ही अधिक सूझबूझ से काम लेना होता है । कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां दृष्टिगोचर होती हैं कि अभियुक्त और मृतक के बीच किसी तुच्छ बात पर झगड़ा हो जाता है और अभियुक्त मृतक के वक्ष पर चाकू से एक प्रहार ऐसा करता है जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है । इन परिस्थितियों में निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त का आशय वह विशिष्ट क्षति कारित करने का था जिससे मृतक की मृत्यु हुई है । मृत्यु कारित करने की अभियुक्त के मन में न तो कोई पूर्व अवधारणा थी और न ही विद्वेष । झगड़ा अचानक जनित हुआ । अतः इससे हत्या की कोटि में नहीं रखा जा सकता । न्यायालयों ने ऐसे मामलों में आमतौर पर यही मत व्यक्त किया है कि अभियुक्त ने एक तुच्छ बात को लेकर हथियार का प्रयोग किया है । अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसे केवल इस बात का ज्ञान था कि उसके द्वारा ऐसी उपहति कारित होनी संभाव्य है जिससे मृतक की मृत्यु संभाव्य है । इसलिए अभियुक्त को हत्या की बजाय हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध के अपराध का दोषी माना जाता है । इस स्थिति को इस अंक में प्रकाशित **श्यामलाल किसान** बनाम **ओडिशा राज्य,** (2019) 2 दा. नि. प. 175 वाले मामले में भलीभांति स्पष्ट किया गया है ।

भारत में घरेलू हिंसा से संबंधित दिल्ली स्थित एक सामाजिक संस्था द्वारा कराए गए अध्ययन के अनुसार हमारे देश में लगभग पांच करोड़ महिलाओं को अपने घर में ही हिंसा का सामना करना पड़ता है ।

इनमें से मात्र 0.1 प्रतिशत महिलाएं ही हिंसा के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाने आगे आती हैं । घरेलू हिंसा के कारणों में मुख्य कारण समतावादी शिक्षा व्यवस्था का अभाव, महिलाओं के चरित्र पर संदेह और इलैक्ट्रोनिक मीडिया का दुष्प्रभाव है । घरेलू हिंसा के कारण दहेज मृत्यु, हत्या और आत्महत्या जैसी घटनाएं बढ़ी हैं । घरेलू हिंसा का दुष्प्रभाव यह भी है कि इससे महिलाओं के सार्वजनिक भागीदारी में बाधा उत्पन्न होती है, उनकी कार्यक्षमता घटती है और वे मानसिक रोगी बन जाती हैं । इस अपराध की शिकार महिलाओं को न्यायालयों द्वारा युक्तियुक्त सहायता प्रदान की जाती है किन्तु यह भी ध्यान रखा जाता है कि किसी भी महिला को किसी भी प्रकार का कोई अनुचित लाभ न पहुंचे । **सपना निलेश पटेल (श्रीमती)** बनाम **प्रवीन ईश्वरभाई पटेल और अन्य,** (2019) 2 दा. नि. प. 201 वाला मामला इस स्थिति को बखूबी स्पष्ट करता है ।

इस अंक में हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 को भी ज्ञानार्थ प्रकाशित किया जा रहा है ।

इसके अतिरिक्त इसमें सामाजिक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है । यह अंक विधि-विद्यार्थियों, वकीलों, न्यायाधीशों, विधि-अध्यापकों तथा विधि के ज्ञान में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए पर्याप्त रूप से लाभकारी है । इस अंक में अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री भी है जिसका आप परिशीलन करें और अपने अमूल्य सुझावों से अवगत कराएं ।

असलम खान
संपादक

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

अगस्त, 2019

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
टॉम पी. जे. **उर्फ** जॉर्ज **बनाम** केरल राज्य	186
निमीष नेमा **बनाम** श्रीमती लक्ष्मी नेमा और एक अन्य	216
दीपक अग्रवाल **बनाम** निधि बंसल और एक अन्य	226
देवेन्द्र **उर्फ** देवो और अन्य **बनाम** राजस्थान राज्य	255
पीला गंगाधर और अन्य **बनाम** अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय, अनकापल्ली, विशाखापट्टनम् जिला और एक अन्य	151
श्यामलाल किसान **बनाम** ओडिशा राज्य	175
सपना नीलेश पटेल (श्रीमती) **बनाम** प्रवीन ईश्वरभाई पटेल और अन्य	201
सुबहान खान **बनाम** राजस्थान राज्य	231
हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** सुरजन सिंह	291

संसद् के अधिनियम

हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	1 – 8

पृष्ठ संख्या

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43)

– धारा 2(च), 3 और 20 – भरणपोषण का दावा – दावाकर्ता का पति संयुक्त कुटुम्ब का सदस्य है और अपने जीवनकाल के दौरान पटेल मंगल कार्यालय नामक एक कारबार की देखभाल करता था – दावाकर्ता के पति की मृत्यु के पश्चात् उसे संयुक्त कुटुम्ब की आय से वंचित होना पड़ा – दावाकर्ता के पास अन्य कोई आय का स्रोत न होने के कारण वह संयुक्त कुटुम्ब में आर्थिक दुरुपयोग की शिकार थी अतः न्यायालय द्वारा पटेल मंगल कार्यालय के कारबार का प्रत्यावर्तन मंजूर किए जाने वाला आदेश उचित है और वह अब तीस हजार रुपए प्रतिमाह के भरणपोषण की हकदार नहीं है ।

सपना नीलेश पटेल (श्रीमती) बनाम **प्रवीन ईश्वरभाई पटेल और अन्य** 201

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 125(4) – विवाह-विच्छेदित पत्नी भरणपोषण का दावा करने के लिए निरंतर 'पत्नी' होने की प्रास्थिति का उपभोग कर सकती है – आवेदक-पति द्वारा यह अभिवाक् किया जाना कि पत्नी द्वारा परित्याग किए जाने के कारण विवाह-विच्छेद की डिक्री पारित हुई थी, असंगत है और कुटुंब न्यायालय द्वारा मंजूर किया गया भरणपोषण उचित है ।

दीपक अग्रवाल बनाम **निधि बंसल और एक अन्य** 226

– धारा 195 और 340 – लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन – एलेरू भूमि अर्जन घोटाला – लोक प्रयोजन

पृष्ठ संख्या

हेतु भूमि के अर्जन के लिए प्रतिकर देने में कपट का अभिकथन – संबद्ध न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों ने धारा 340 के अधीन यथा अनुध्यात विधिक पूर्वापेक्षाओं का पालन किए बिना अभियुक्त के विरुद्ध की गई कार्यवाही को अभिखंडित करते हुए धारा 340 के अनुसार अभिकथित कपट के संबंध में प्रारम्भिक जांच कराने और तथ्यात्मक निष्कर्ष निकालने हेतु सक्षम अधिकारितागत प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटके न्यायालय के समक्ष विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए परिवाद दर्ज कराने का निदेश दिया ।

पीला गंगाधर और अन्य बनाम **अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय, अनकापल्ली, विशाखापट्टनम् जिला और एक अन्य** 151

– धारा 357क – पीड़ित प्रतिकर – अभियुक्त के बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने अपने 8 मास के पुत्र की चाकू और कनूत से वेधित घाव पहुंचाकर हत्या की और अपनी 7 और 5 वर्ष की पुत्रियों पर भी हमला किया – अभियुक्त की पुत्रियों को क्षतियों के कारण शारीरिक और मानसिक निर्योग्यता पहुंची – अभियुक्त गरीब व्यक्ति होने के कारण प्रतिकर देने में असमर्थ है – तीनों पीड़ितों के संबंध में जांच प्रारंभ करने और प्रतिकर मंजूर करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण को निदेश जारी किया जाना उचित है ।

सुबहान खान बनाम **राजस्थान राज्य** 231

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 300, अपवाद 4 और धारा 304 भाग-I [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 118] – हत्या

पृष्ठ संख्या

– अचानक लड़ाई झगड़ा होना – बालक साक्षी – पति द्वारा अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या किए जाने का अभिकथन किया जाना – अभियुक्त और मृतका के अप्राप्तवय पुत्र द्वारा यह परिसाक्ष्य दिया जाना कि झगड़े के दौरान क्षणभर में उसके पिता द्वारा उसकी माता की गर्दन दबाई गई – बालक के साक्ष्य का सिखाया-पढ़ाया प्रतीत न होना – यदि चिकित्सा साक्ष्य से यह साबित हुआ है कि मृतका की गला घोंटने के कारण मृत्यु हुई है तथा हेतु सिद्ध नहीं किया गया है और पति (अभियुक्त) और पत्नी (मृतका) के बीच झगड़ा होने के कारण घटना क्षणभर में घटित हुई है तो अभियुक्त की दोषसिद्धि का दंड संहिता की धारा 302 के बजाय धारा 304 भाग-I में परिवर्तित किया जाना न्यायसंगत है ।

श्यामलाल किसान बनाम **ओडिशा राज्य** 175

– धारा 300, 302 और 304 भाग-I [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या या हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त-अपीलार्थी के बारे में यह अभिकथन किया जाना कि उसके द्वारा चाकू और कनूत द्वारा वेधित करके 8 मास के अपने पुत्र की हत्या की – जहां मामले में क्षतिग्रस्त पत्नी के परिसाक्ष्य की अभियुक्त के पड़ोसियों और बहिन द्वारा संपुष्टि हुई है और चिकित्सा साक्ष्य से मृतक के शरीर पर कई छिन्न घाव सिद्ध हुए हैं तथा अभियुक्त ने बर्बर तरीके से अपराध किया – वहां पर मात्र इस कारण से कि अभियुक्त ने अपने जीवन को समाप्त करने के लिए बिजली

पृष्ठ संख्या

के तारों के ऊपर से छलांग लगाई तो उसका कार्य दंड संहिता की धारा 300 के अधीन उपबंधित किसी अपवाद के अंतर्गत नहीं आ सकता है – धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि न्यायसंगत है ।

सुबहान खान बनाम **राजस्थान राज्य** 231

– धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 118] – हत्या – बाल साक्षी – साक्ष्य की विश्वसनीयता – अपीलार्थी की सीधे घटनास्थल से गिरफ्तारी – अपीलार्थी की मृतका के साथ निरन्तर नोंक-झोंक – बाल साक्षी का साक्ष्य देने हेतु सक्षम पाया जाना – बाल साक्षी का साक्ष्य न्यायालय को विश्वसनीय प्रतीत होता है और उसके साक्ष्य में कोई भी अतिश्योक्ति या सुधार नहीं पाया गया है, अतः न्यायालय ऐसे साक्ष्य का अवलंब ले सकता है और अपीलार्थी की दोषसिद्धि उचित है ।

टॉम पी. जे. उर्फ **जॉर्ज** बनाम **केरल राज्य** 186

– धारा 302, 365 और 201 – साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 27 के अधीन अभियुक्तों से प्राप्त सूचना के आधार पर शव और हत्या से संबंधित अन्य वस्तुओं की बरामदगी – अभियुक्तों और मृतक को अंतिम बार एक साथ देखने वाले प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का पक्षद्रोही होना – पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि – निर्णय को चुनौती – राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता संबंधी प्रश्न का उठाया जाना – राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता का निर्विवाद रूप से स्थापित न होना – अपहरण और अपराध के हेतु का भली-भांति साबित न होना – अंतिम बार एक साथ देखे जाने तथा मृत्यु के बीच के अन्तराल का अधिक

पृष्ठ संख्या

होना – पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक परिस्थिति स्पष्ट, विश्वसनीय और निश्चयी साक्ष्य द्वारा सिद्ध की जानी चाहिए तथा उनके द्वारा घटनाओं की ऐसी श्रृंखला को सिद्ध किया जाए जिससे अभियुक्त के दोषी होने के अलावा अन्य किसी निष्कर्ष की कोई संभावना न हो ।

देवेन्द्र उर्फ **देवो और अन्य** बनाम **राजस्थान राज्य** 255

– धारा 307, 302 और 30 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या का प्रयत्न – क्षतिग्रस्त साक्षी – विश्वसनीयता हेतु – यह अभिकथन किया जाना कि अभियुक्त-अपीलार्थी अपनी पत्नी, 8 मास के पुत्र तथा दो पुत्रियों जिनकी आयु 7 वर्ष और 5 वर्ष की थी, उन पर चाकू और कनूत से वेधित घाव पहुंचाए – अभियुक्त-अपीलार्थी को यह संदेह था कि उसकी पत्नी के अतिरिक्त वैवाहिक प्रेम-प्रसंग है जो अपराध कारित किए जाने का हेतु है – यदि क्षतिग्रस्त पत्नी के परिसाक्ष्य की घटना के बारे में अन्य साक्षियों द्वारा संपुष्टि हुई है और अभियुक्त की बहिन और साले ने उसके विरुद्ध साक्ष्य दिया है और अपराध में अभियुक्त की सह-अपराधिता के बारे में कोई संदेह नहीं है तथा चिकित्सा साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध अपराध भी सिद्ध हुआ है तो अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि उचित है ।

सुबहान खान बनाम **राजस्थान राज्य** 231

– धारा 307 और 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27] – हत्या और हत्या का प्रयत्न – आयुध की बरामदगी – अभियुक्त-अपीलार्थी ने अन्वेषक अधिकारी को यह बताया कि आयुध घर के अंदर शुष्कित

पृष्ठ संख्या

हिना पौधे के अंदर छुपा कर रखा था – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य की आयुध की बरामदगी के बारे में अन्वेषक अधिकारी द्वारा संपुष्टि की गई, बरामदगी विश्वसनीय है ।

सुबहान खान बनाम **राजस्थान राज्य** 231

– धारा 325 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – घोर उपहति – अभियुक्त-प्रत्यर्थी द्वारा आहतों पर लात-घूसों से वार किए जाने का अभिकथन – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का पक्षद्रोही हो जाना – अभियोजन वृत्तान्त से साक्ष्य का मेल न खाना – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने यह साक्ष्य दिया है कि उसे इत्तिलाकर्ता ने क्षतियां पहुंचाई हैं न कि अभियुक्त-प्रत्यर्थी ने, ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्षकथन संदिग्ध हो जाता है और प्रत्यर्थी की दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **सुरजन सिंह** 291

– धारा 500 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482] – मानहानि – परिवादी (प्रत्यर्थी) द्वारा दावा किया जाना कि आवेदक द्वारा जारी किया गया नोटिस मानहानिकारक है – विधिक नोटिस में संपूर्ण संपत्ति के हड़पने का अभिकथन – मानहानिकारक शब्दों का अभाव – आवेदक ने विधिक नोटिस द्वारा विल पर आक्षेप किया है और यह दावा किया है कि प्रश्नगत विल उसकी माता द्वारा निष्पादित नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में आवेदक के इस कृत्य से अपमान या मानहानि साबित नहीं होती है और निचले न्यायालय में

पृष्ठ संख्या

चल रही मानहानि की कार्यवाही अनुचित है ।

निमीष नेमा बनाम **श्रीमती लक्ष्मी नेमा और एक अन्य** 216

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)

– धारा 134, 114 (जी) और 118 – साक्षियों की संख्या – प्रतिकूल निष्कर्ष बालक साक्षी की परीक्षा नहीं करना – प्रभाव – हत्या का विचारण – अभियुक्त की क्षतिग्रस्त पत्नी का परिसाक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य से यह साबित हुआ है कि अभियुक्त द्वारा चाकू से अपनी दो पुत्रियों पर हमला किया गया जिसके परिणामस्वरूप वे शारीरिक और मानसिक रूप से पंगु हो गए – क्षतिग्रस्त पत्नी का परिसाक्ष्य अकाट्य पाया गया – बालक साक्षियों की परीक्षा न करने पर अभियोजन पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना पर्याप्त नहीं है ।

सुबहान खान बनाम **राजस्थान राज्य** 231

(2019) 2 दा. नि. प. 151 आंध्र प्रदेश

पीला गंगाधर और अन्य

बनाम

अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय, अनकापल्ली, विशाखापट्टनम् जिला और एक अन्य

(2010 की दांडिक याचिका सं. 5658)

तारीख 28 दिसम्बर, 2018

मुख्य न्यायमूर्ति थोटाटिल बी. राधाकृष्णन्, न्यायमूर्ति एस. वी. भट्ट और न्यायमूर्ति एम. सीताराम मूर्ति

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 195 और 340 – लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन – एलेरू भूमि अर्जन घोटाला – लोक प्रयोजन हेतु भूमि के अर्जन के लिए प्रतिकर देने में कपट का अभिकथन – संबद्ध न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों ने धारा 340 के अधीन यथा अनुध्यात विधिक पूर्वापेक्षाओं का पालन किए बिना अभियुक्त के विरुद्ध की गई कार्यवाही को अभिखंडित करते हुए धारा 340 के अनुसार अभिकथित कपट के संबंध में प्रारम्भिक जांच कराने और तथ्यात्मक निष्कर्ष निकालने हेतु सक्षम अधिकारितागत प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए परिवाद दर्ज कराने का निदेश दिया ।

विशाखापट्टनम् जिले के पिसीनिकाडा ग्राम में स्थित भूमि का अर्जन समाज के कमजोर वर्गों को घर बनाने के लिए स्थान उपलब्ध कराने हेतु राज्य द्वारा किया गया था । भूमि अर्जन कलक्टर द्वारा अर्जित भूमि की बाबत अधिनिर्णय पारित किए गए थे । उक्त अधिनिर्णयों के विरुद्ध निर्देश उन मालिकों, जिनकी भूमि अर्जित की गई थी, के अनुरोध पर सिविल न्यायालय को निर्देश किए गए । अभिकथित रूप से भारी

प्रतिकर देने में बड़े पैमाने पर कपट किया गया । यह कथित है कि उक्त कपट में अनकापल्ली के वरिष्ठ सिविल न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी, न्यायालय के कर्मचारी, दावाकर्ताओं के अधिवक्ता, राज्य के अधिवक्ता, सरकार और बैंकों के कर्मचारी और कतिपय अन्य लोग लिप्त थे । इस न्यायालय से अपेक्षित अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के पश्चात् सी. बी. सी. आई. डी. ने मामला दर्ज किया और अन्वेषण आरम्भ किया । उक्त अभिकरण ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सी. आई. डी., हैदराबाद को दिए गए तारीख 4 मई, 1998 की अपनी रिपोर्ट में भारी मात्रा में षड्यंत्र और उक्त व्यक्तियों/अभियुक्त द्वारा किए गए कपट का वर्णन किया गया था । यह कहा गया कि अन्वेषण से यह पता चला कि अभियुक्तों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 की परिधि के भीतर आने वाले विभिन्न अपराध किए । अतः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अधीन परिकल्पित प्रक्रिया का अनुपालन अनिवार्य हो जाता है । इसलिए, पुलिस महानिरीक्षक, जो पुलिस अतिरिक्त महानिदेशक, सी. आई. डी. का पूर्ण अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किए हुए थे, ने इस न्यायालय के रजिस्ट्रार (सतर्कता) को तारीख 4 मई, 1998 को एक पत्र लिखा । उक्त पत्र में यह उपवर्णित था कि आठ व्यक्तियों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख और 109 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 466, 467, 468, 471, 474 और 406 के अधीन दंडनीय विभिन्न अपराध किए हैं । इस न्यायालय ने दो माननीय न्यायाधीशों की विशेष समिति द्वारा मामले की जांच करायी जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह मत व्यक्त किया कि यह वांछनीय है कि स्वयं उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अधीन कार्रवाई की और यह सिफारिश की कि विशाखापट्टनम् के जिला न्यायाधीश द्वारा जांच की जाए जिनके समक्ष सामान्यतः अनकापल्ली के वरिष्ठ सिविल न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जाती है । समिति ने यह भी राय व्यक्त की कि जिला न्यायाधीश जांच करने के लिए सक्षम हैं और यदि आवश्यक है तो वह सक्षम न्यायालय में परिवाद फाइल कर सकता है । समिति की उक्त रिपोर्ट का अनुमोदन पूर्ण न्यायालय द्वारा किया गया है । तद्नुसार, तारीख 27 अक्तूबर, 1998 की कार्यवाही द्वारा इस

न्यायालय ने विशाखापट्टनम् के जिला न्यायाधीश को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अधीन कार्यवाही आरम्भ करने का निदेश दिया । इस न्यायालय की उक्त कार्यवाहियों ने उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ करने हेतु जिला न्यायाधीश को अनुज्ञा दी जिनकी सह-अपराधिता की सूचना सी. बी. सी. आई. डी. की रिपोर्ट में वर्णित अन्य अपराधों और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 में उपवर्णित अपराधों के किए जाने के संबंध में मिली । जांच के दौरान विद्वान् जिला न्यायाधीश ने कई साक्षियों की परीक्षा की । इस दौरान, जिला न्यायाधीश ने इस न्यायालय से इस स्पष्टीकरण की ईप्सा की कि क्या उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अधीन जांच करने और कार्यवाही आरम्भ करने की सक्षमता है । इस न्यायालय के दो विद्वान् न्यायाधीशों द्वारा उक्त पहलू पर भी विचार किया गया । उनकी यह राय थी कि जिला न्यायाधीश मामले की जांच करने के लिए सक्षम हैं । जांच के पश्चात् विद्वान् जिला न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अधीन परिवाद फाइल किया । उससे व्यथित होकर, 1999 की दांडिक अपील संख्या 587 और समूह में अन्य मामले इस न्यायालय के समक्ष फाइल किए गए । खंड न्यायापीठ ने तारीख 27 सितम्बर, 2002 के एक ही आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि जिला न्यायाधीश को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अधीन आवेदन ग्रहण करने की कोई अधिकारिता नहीं है और तद्नुसार, जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर दिया । फिर भी, खंड न्यायापीठ ने यह मत व्यक्त करते समय कि वह स्वयं उक्त न्यायाधीश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अधीन जांच करने का आदेश दे सकता है, ऐसा करने से विरत रहा और यह निदेश दिया कि मामले की सुनवाई और विनिश्चय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाए क्योंकि मामले पर विचार पहले इस न्यायालय के दो विद्वान् न्यायाधीशों द्वारा किया गया था यद्यपि प्रशासनिक रूप से, और समिति की रिपोर्ट का अनुमोदन पूर्ण न्यायालय द्वारा किया गया था । इस न्यायालय के खंड न्यायपीठ के उक्त आदेश की चुनौती उच्चतम न्यायालय में दी गई । उच्चतम न्यायालय ने तारीख 10 नवम्बर, 2006 के निर्णय द्वारा खंड न्यायपीठ के आदेश की

पुष्टि करते हुए और 2006 की राज्य की दांडिक अपील संख्या 1136 को खारिज करते हुए इस न्यायालय से खंड न्यायपीठ के विनिश्चय को लागू करने की वांछनीयता पर विचार करने का अनुरोध किया । तत्पश्चात् मामलों को पुनः खंड न्यायपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया । खंड न्यायपीठ ने तारीख 5 अक्तूबर, 2007 के अपने कामन आदेश में यह मत व्यक्त किया कि पुलिस महानिरीक्षक का तारीख 4 मई, 1998 का पत्र और अन्वेषण की रिपोर्ट को उनके कामन आदेश का भाग माना जाए और तब पुलिस अतिरिक्त महानिरीक्षक, सी. आई. डी. के तारीख 13 जून, 1997 के पत्र की अन्तर्वस्तुओं को विस्तार से रजिस्ट्रार (सतर्कता) को निर्दिष्ट किया और यह मत व्यक्त किया कि सक्षम न्यायालय के समक्ष अपराधों से संबंधित परिवाद करना समीचीन है और तद्नुसार विशाखापट्टनम् जिले के अनकापल्ली के प्रधान कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश को उन संबद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध, जिनके संबंध में चौडावरम् के वरिष्ठ सिविल न्यायालय के समक्ष विपक्षी पक्षकारों के भूमि अर्जन निर्देश से संबंधित न्यायिक कार्यवाहियों के संबंध में अभिकथित किए गए विभिन्न अपराध हैं, अनकापल्ली के अतिरिक्त प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद फाइल करने का निदेश दिया । तत्पश्चात्, अनकापल्ली के विद्वान् प्रधान कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश दांडिक परिवाद तैयार किया और फाइल किया तथा अनकापल्ली के विद्वान् अतिरिक्त प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ने परिवाद प्राप्त करने पर संज्ञान लिया और विभिन्न कैलेण्डर मामले (सी. सी. विषय सहित) फाइल पर लिए और कैलेण्डर मामलों में सूचीबद्ध अभियुक्तों को समन जारी किए । इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में याचिकाओं के पहले बेंच के अभियुक्त/याचियों ने उनके विरुद्ध विषय कैलेण्डर मामलों में कार्यवाहियों को अभिखंडित करने की ईप्सा की । राज्य ने भी प्रत्येक 255 (भूमि अर्जन निर्देश) विपक्षी पक्षकारों की बाबत किए गए अपराधों के संबंध में संबद्ध न्यायालयों के समक्ष संबद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अधीन यथापरिकल्पित परिवाद फाइल करने के लिए अनकापल्ली और चौडावरम् के विद्वान् वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों को निर्देश देने का अनुरोध करते हुए याचियों के दूसरे बेंच में एक याचिका

अर्थात् 2012 की दांडिक याचिका सं. 3422 फाइल की । अभियुक्त, जो इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं, का संक्षिप्ततः मर्मभूत मामला यह है : उच्चतम न्यायालय ने खंड न्यायपीठ के तारीख 27 सितम्बर, 2002 के पहले कामन आदेश की पुष्टि की और इस न्यायालय को खंड न्यायपीठ के विनिश्चय को लागू करने की वांछनीयता पर विचार करने का निदेश दिया और यह राय व्यक्त की कि उसे स्वयं वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अधीन जांच का आदेश दे देना चाहिए था । तथापि, खंड न्यायपीठ के तारीख 5 अक्तूबर, 2007 के बाद वाले कामन आदेश में, खंड न्यायपीठ ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों के ठीक विपरीत कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश को सक्षम न्यायालय के समक्ष परिवाद फाइल करने का निदेश दिया । फिर भी, यह कहा गया कि कुछ अभियुक्त के विरुद्ध अभिकथित अपराध न्यायिक कार्यवाहियों के संबंध में किए गए थे । किन्तु, परिवाद दर्ज कराते समय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अधीन अनुध्यात प्रक्रिया की पूर्णतः उपेक्षा की गई और इस न्यायालय के निदेशों का मात्र अनुपालन कर विद्वान् कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश द्वारा परिवाद फाइल किए गए । अतः, ऐसे विषयान्तर्गत कैलेण्डर मामले जो विधिमान्यतः संस्थित नहीं किए गए हैं और फाइल पर लिए गए हैं, जहां तक वर्तमान अभियुक्त का संबंध है, अभिखंडित किए जाने योग्य हैं । उपरोक्त निर्देश के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा आदेश जारी करते हुए,

अभिनिर्धारित – दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 26, जिसमें धारा 340 और 341 और अन्य सहवर्ती उपबंध आते हैं, 'न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध' के बारे में है । धारा 340 में यह उपबंध है कि जब किसी न्यायालय की यह राय है कि न्याय के हित में यह समीचीन है कि धारा 195 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी अपराध की जो उसे यथास्थिति उस न्यायालय की कार्यवाही में या उसके संबंध में अथवा उस न्यायालय की कार्यवाही में पेश की गई या साक्ष्य में दी गई दस्तावेज के बारे में किया हुआ प्रतीत होता है तो न्यायालय ऐसी प्रारम्भिक जांच के पश्चात्, यदि कोई हो, जैसा वह आवश्यक समझे, धारा 340(1) के अधीन विभिन्न खंडों के अनुसार

कार्यवाही आरम्भ कर सकेगा । यह उल्लेख करने के लिए यह अर्थपूर्ण विधायी सामग्री है कि धारा 195(1) का अवरोध आंत्यतिक है और उसमें उपवर्णित अपराधों के लिए कोई अभियोजन धारा 340 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने पर ही किया जा सकता है । धारा 195(1) न्यायालय पर उसमें अधिकथित शर्तों के समाधान के सिवाय उसमें यथाउपवर्णित विभिन्न अपराधों का संज्ञान लेने का निषेध अधिरोपित करता है । धारा 195 और धारा 340 व्यक्तियों को व्यक्तिगत विद्वेष और दुर्भाव द्वारा प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दांडिक अभियोजनों से व्यक्तियों को पृथक् करता है । यह उन पर तभी अभियोजन चलाना सुनिश्चित करता है जब लोक न्याय हित में ऐसा करना आवश्यक हो । उक्त उपबंध प्रभावी रूप से तभी अभियोजन का निषेध करते है जब लोक हित पूरा न हो सकता हो । वह अपर्याप्त आधारों पर अभियोजन से व्यक्तियों को संरक्षित करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि अभियोजन तभी चलाया जाए जब न्यायालय का सम्यक् विचार के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि पक्षकार के विचारण के लिए उचित मामला बनता है । वहीं, यदि न्याय प्रशासन को प्रभावित करने वाले अपराध किए जाते हैं तो अपराधी को विधि की सम्यक् प्रक्रिया से बचने नहीं दिया जाना चाहिए । लोक न्याय के विरुद्ध अपराधी को परिणाम भुगतने की लोक अपेक्षा और विधि के दुरुपयोग के बीच संतुलन बनाए रखना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 और धारा 340 के संयुक्त उपयोजन द्वारा तंत्र उपलब्ध कराना विधायी प्रज्ञा है । जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि धारा 195(1) के खंड (ख)(i) के अधीन आने वाले अपराध ऐसे अपराध हैं जो भारतीय दंड संहिता के अध्याय 11 में सम्मिलित मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के संबंध में है । ऐसे अपराधों के समूह जिन पर उक्त अध्याय के अधीन विचार किया गया है, ऐसे हैं कि वे न्याय के प्रशासन से बिल्कुल जुड़े हुए हैं । भारतीय दंड संहिता के अध्याय 11 के अधीन आने वाले किसी अपराध के संबंध में विधि को गतिशील बनाने के लिए किसी प्राइवेट वादकारी को अनुज्ञा देना बिल्कुल निरापद होगा । यही नहीं, यह लोक न्याय प्रणाली की महत्वपूर्ण अपेक्षा है कि भारतीय दंड संहिता के अध्याय 11 के अधीन निर्देश्य किसी अभिकथित अपराध का अभियोजन स्वयं न्याय

परिदान प्रणाली द्वारा अवधारित की जानी चाहिएं । यही कारण है कि ऐसा न्यायालय जिसके समक्ष अध्याय 11 के अधीन अपराध किया गया देखा, दर्शाया या अभिकथित किया जाता है, को प्रथमदृष्ट्या यह निष्कर्ष निकालना होता है कि क्या अभिकथित अपराधी पर विचारण किए जाने का उचित मामला है और क्या ऐसा अभियोजन न्यायहित में आवश्यक है । परिवर्तन की इस प्रक्रिया के पश्चात्, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अधीन यथाउपबंधित परिवाद या अन्य द्वारा ऐसा अभियोजन आरम्भ किया जाए ।" वर्तमान मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अधीन यथाअनुध्यात कोई जांच नहीं की गई और क्योंकि भूमि अर्जन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा तथ्य और विधि के अधीन यथा अनुध्यात कोई आवश्यक निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किए गए और आगे, परिवाद करने के लिए सक्षम न्यायाधीश के बजाय विद्वान् प्रधान कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश द्वारा परिवाद किया गया और वह भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अधीन उपवर्णित विधिक पूर्वापेक्षाओं का पालन किए बिना । अतः, न्यायालय प्रथम समूह की याचिकाओं के अभियुक्त-याचियों के अनुरोधों और नीचे उपवर्णित कतिपय निर्देशों के अधीन 2012 की दांडिक याचिका सं. 3422 में राज्य के अनुरोध को भी स्वीकार करते हैं जिसे न्यायालय मामले से संबंधित अभिकथित कपट और अभिकथित अपराध जिसे 'एलेरू भूमि अर्जन घोटाले' के रूप में सार्वजनिक रूप से जाना जाता है, की तीक्ष्ण गंभीरता को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 का अवलंब लेते हुए न्याय के उद्देश्यों को पूरा करते हेतु जारी करते है । न्यायालय के विचारित मतानुसार मामले को समाप्त करते हुए संस्थागत हित के अलावा व्यापक लोक हित में उचित निदेश देना आवश्यक है अन्यथा कपट के अभिकथित अपराधी और अपराधकर्ता का विचारण झेले बिना उन्मुक्त हो जाना संभाव्य है । उक्त अनुच्छेद निर्विवादतः इस न्यायालय को न केवल यह देखने कि अपराधी यदि कोई है, को दोषी ठहराया जाए बल्कि यह देखने के लिए भी कि न्याय मात्र तकनीकी बातों द्वारा ही न उलझ जाए, निदेश देने की आवश्यक अधिकारिता से आवरित करता है । न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि अभियुक्त द्वारा फाइल की गई दांडिक याचिकाओं के पहले समूह को मंजूर किया जाना चाहिए और दंड

प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अधीन आरम्भ की गई पूर्व कार्यवाहियों को अभिखंडित किया जाना चाहिए और राज्य द्वारा फाइल 2012 की दांडिक याचिका सं. 3422 को भी कतिपय निदेशों के अधीन रहते हुए मंजूर की जानी चाहिए क्योंकि न्यायालय की विचारित राय के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के उपबंध और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 का अवलंब लेकर आवश्यक निदेश देना न्याय की आधारशिला की शुद्धता को बनाए रखना आवश्यक है । अभियुक्त द्वारा फाइल की गई दांडिक याचिकाएं और राज्य द्वारा फाइल 2012 की दांडिक याचिका सं. 3422 को तद्नुसार निम्नलिखित निदेशों के अधीन रहते हुए मंजूर किया जाता है : (i) विशाखापट्टनम् जिले के चौडावरम् और अनकापल्ली के संबद्ध निर्देश न्यायालय-सह-वरिष्ठ सिविल न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उक्त न्यायालय की फाइलों पर विपक्षी पक्षकारों के भूमि अर्जन विषय से संबंधित सभी चेक आवेदनों को पुनः खोलने और दावाकर्ताओं, राज्य, इसमें दावाकर्ताओं के अधिवक्ताओं, सुसंगत समय पर राज्य के अधिवक्ताओं, ऐसे अधिवक्ता जिन्होंने चेक याचिकाकर्ताओं द्वारा तात्पर्यित रूप से हस्ताक्षरित शपथपत्रों और वकालतनामों को प्रमाणित किया है, और अन्य संबद्ध आवश्यक व्यक्तियों को नोटिस जारी करने और ऐसे प्रत्येक मामलों में प्रारम्भिक जांच करने और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अधीन यथापरिकल्पित आवश्यक तथ्यात्मक निष्कर्ष निकालने और यदि आवश्यक हो, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन कर सक्षम अधिकारितागत प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद दर्ज कराने का निदेश दिया जाता है । (ii) सी. बी. सी. आई. डी. अभिकरण, जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख और 109 के साथ पठित धारा 466, 467, 468, 409, 406, 471, 474, 419 और 420 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए विशाखापट्टनम् जिले के अनकापल्ली शहर पुलिस थाने की फाइल पर दर्ज 1996 के अपराध सं. 327 मामले में अन्वेषण किया और जिन्होंने यह राय व्यक्त की कि कतिपय व्यक्ति/अभियुक्त ने विभिन्न अपराध किए, को मामले में आगे कार्यवाही करने और आगे आवश्यक अन्वेषण, यदि कोई है, विधि द्वारा स्थापित विधि के अनुसार संचालित कर, अन्वेषण पूरा करने का और आगे किसी

विलम्ब के बिना सक्षम अधिकारितागत प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष अंतिम रिपोर्ट फाइल करने का निदेश दिया जाता है । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि उक्त अभिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र फाइल किया जाना है तो वह, यदि निदेश सं. I जो विषय के उक्त पहलू की परवाह करेगा, को ध्यान में रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 में उपवर्णित दंड उपबंधों के अनुसार अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र को छोड़कर ऐसा कर सकता है । (पैरा 9, 10 और 11)

अवंलबित निर्णय

पैरा

[2006] 2006 एस. सी. सी. आनलाइन केरल 118 =
(2006) क्रिमिनल ला जर्नल 3541 (केरल) :
के. ए. कुट्टय्या बनाम **फेडरल बैंक लिमिटेड और अन्य** । 9

आरम्भिक (दांडिक) अधिकारिता : 2010 की दांडिक याचिका सं. 5658.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन आवेदन ।

याची की ओर से श्री एम. वी. राजा राम

प्रत्यर्थी की ओर से श्री सरकारी अभिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एम. सीताराम मूर्ति ने दिया ।

न्या. मूर्ति – दांडिक याचिकाओं के पहले बैच के याची अनकापल्ली के विद्वान् अपर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की फाइल पर 2010 का दांडिक मामला सं. 155 (पुराना 2000 का 76), 156 (पुराना 2000 का 77), 157 (पुराना 2000 का 78), 158 (पुराना 2000 का 79), 159 (पुराना 2000 का 80), 160 (पुराना 2000 का 82), 309 (पुराना 2000 का 101), 310 (पुराना 2000 का 100), 311 (पुराना 2000 का 98), 312 (पुराना 2000 का 96), 313 (पुराना 2000 का 93), 314 (पुराना 2000 का 99) और 315 (पुराना 2000 का 97) में के कुछ अभियुक्त हैं । ये याचिकाएं उक्त कैलेण्डर मामलों में

याचियों-अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाहियों को अभिखंडित करने का अनुरोध करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन फाइल की गई हैं ।

1.1. याचिकाओं का दूसरा बैच राज्य द्वारा फाइल किया गया है । 2012 की दांडिक याचिका सं. 3422 अनकापल्ली और चौडावरम् के विद्वान् सिविल न्यायाधीशों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अधीन यथापरिकल्पित प्रत्येक 255 विपक्षी पक्षकार (भूमि अर्जन निर्देश) की बाबत किए गए अपराधों के बारे में संबद्ध न्यायालयों के समक्ष संबद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध परिवाद फाइल करने का निदेश देने का अनुरोध करते हुए फाइल की गई है । 2012 की दांडिक याचिका सं. 3423 परिवाद फाइल करने में संबद्ध पीठासीन अधिकारियों को सहायता देने के लिए चौडावरम् और अनकापल्ली उप-न्यायालयों में पर्याप्त अनुसचिवीय स्टाफ के साथ विशेष सेल गठित करने के लिए विशाखापट्टनम् के विद्वान् जिला न्यायाधीश को निदेश देने के लिए फाइल की गई है । 2012 की दांडिक याचिका सं. 3424 विपक्षी पक्षकारों की न्यायालय कार्यवाहियों के संबंध में और किए गए अपराधों की बाबत दर्ज अपराध में लिप्त वृत्तिकों और उनके सेवकों, बैंक के अधिकारियों और अन्य लोगों के अलावा न्यायिक और राजस्व विभाग और अन्य अभिकरणों के सभी 27 अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल करने के लिए सी. आई. डी./अन्वेषक अभिकरण को अनुज्ञा देने के लिए फाइल की गई है । 2012 की दांडिक याचिका सं. 3426 "एलेरु घोटाला मामला" में अनन्यतः विचारण करने और इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार निपटाने के लिए विशाखापट्टनम् में विशेष न्यायालय गठित करने का सरकार को निदेश देने के लिए फाइल की गई है । 2012 की दांडिक याचिका सं. 3425 शीघ्र निपटान और न्याय के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए विशाखापट्टनम् में विशेष न्यायालय/सी. आई. डी. अभिहित न्यायालय को इस प्रकार फाइल और संख्यांकित सभी मामलों को अन्तरित करने का निदेश जारी करने के लिए फाइल की गई है ।

2. हमने अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान् लोक अभियोजक के निवेदनों को सुना ।

3. आरम्भ में, मामले को समझने के लिए तथ्यात्मक स्थिति और पिछली घटनाओं का उल्लेख करना तर्कसंगत है ।

"विशाखापट्टनम् जिले के पिसीनिकाडा ग्राम में स्थित भूमि का अर्जन समाज के कमजोर वर्गों को घर बनाने के लिए स्थान उपलब्ध कराने हेतु राज्य द्वारा किया गया था । भूमि अर्जन कलक्टर द्वारा अर्जित भूमि की बाबत अधिनिर्णय पारित किए गए थे । उक्त अधिनिर्णयों के विरुद्ध निर्देश उन मालिकों, जिनकी भूमि अर्जित की गई थी, के अनुरोध पर सिविल न्यायालय को निर्देश किए गए । अभिकथित रूप से भारी प्रतिकर देने में बड़े पैमाने पर कपट किया गया । यह कथित है कि उक्त कपट में अनकापल्ली के वरिष्ठ सिविल न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी, न्यायालय के कर्मचारी, दावाकर्ताओं के अधिवक्ता, राज्य के अधिवक्ता, सरकार और बैंकों के कर्मचारी और कतिपय अन्य लोग लिप्त थे । इस न्यायालय से अपेक्षित अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के पश्चात् सी. बी. सी. आई. डी. ने मामला दर्ज किया और अन्वेषण आरम्भ किया । उक्त अभिकरण ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सी. आई. डी., हैदराबाद को दिए गए तारीख 04 मई, 1998 की अपनी रिपोर्ट में भारी मात्रा में षड्यंत्र और उक्त व्यक्तियों/अभियुक्त द्वारा किए गए कपट का वर्णन किया गया था । यह कहा गया कि अन्वेषण से यह पता चला कि अभियुक्तों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 की परिधि के भीतर आने वाले विभिन्न अपराध किए । अतः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अधीन परिकल्पित प्रक्रिया का अनुपालन अनिवार्य हो जाता है । इसलिए, पुलिस महानिरीक्षक, जो पुलिस अतिरिक्त महानिदेशक, सी. आई. डी. का पूर्ण अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किए हुए थे, ने इस न्यायालय के रजिस्ट्रार (सतर्कता) को तारीख 4 मई, 1998 को एक पत्र लिखा । उक्त पत्र में यह उपवर्णित था कि आठ व्यक्तियों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख और 109 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 466, 467, 468, 471, 474 और 406 के अधीन दंडनीय विभिन्न अपराध किए हैं । इस न्यायालय ने दो माननीय न्यायाधीशों की विशेष समिति द्वारा

मामले की जांच करायी जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह मत व्यक्त किया कि यह वांछनीय है कि स्वयं उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अधीन कार्रवाई की और यह सिफारिश की कि विशाखापट्टनम् के जिला न्यायाधीश द्वारा जांच की जाए जिनके समक्ष सामान्यतः अनकापल्ली के वरिष्ठ सिविल न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जाती है । समिति ने यह भी राय व्यक्त की कि जिला न्यायाधीश जांच करने के लिए सक्षम हैं और यदि आवश्यक है तो वह सक्षम न्यायालय में परिवाद फाइल कर सकता है । समिति की उक्त रिपोर्ट का अनुमोदन पूर्ण न्यायालय द्वारा किया गया है । तद्नुसार, तारीख 27 अक्तूबर, 1998 की कार्यवाही द्वारा इस न्यायालय ने विशाखापट्टनम् के जिला न्यायाधीश को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अधीन कार्यवाही आरम्भ करने का निदेश दिया । इस न्यायालय की उक्त कार्यवाहियों ने उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ करने हेतु जिला न्यायाधीश को अनुज्ञा दी जिनकी सह-अपराधिता की सूचना सी. बी. सी. आई. डी. की रिपोर्ट में वर्णित अन्य अपराधों और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 में उपवर्णित अपराधों के किए जाने के संबंध में मिली । जांच के दौरान विद्वान् जिला न्यायाधीश ने कई साक्षियों की परीक्षा की । इस दौरान, जिला न्यायाधीश ने इस न्यायालय से इस स्पष्टीकरण की ईप्सा की कि क्या उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अधीन जांच करने और कार्यवाही आरम्भ करने की सक्षमता है । इस न्यायालय के दो विद्वान् न्यायाधीशों द्वारा उक्त पहलू पर भी विचार किया गया । उनकी यह राय थी कि जिला न्यायाधीश मामले की जांच करने के लिए सक्षम हैं । जांच के पश्चात् विद्वान् जिला न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अधीन परिवाद फाइल किया । उससे व्यथित होकर, 1999 की दांडिक अपील संख्या 587 और समूह में अन्य मामले इस न्यायालय के समक्ष फाइल किए गए । खंड न्यायापीठ ने तारीख 27 सितम्बर, 2002 के एक ही आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि जिला न्यायाधीश को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अधीन आवेदन ग्रहण करने की कोई

अधिकारिता नहीं है और तद्नुसार, जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर दिया । फिर भी, खंड न्यायपीठ ने यह मत व्यक्त करते समय कि वह स्वयं उक्त न्यायाधीश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अधीन जांच करने का आदेश दे सकता है, ऐसा करने से विरत रहा और यह निदेश दिया कि मामले की सुनवाई और विनिश्चय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाए क्योंकि मामले पर विचार पहले इस न्यायालय के दो विद्वान् न्यायाधीशों द्वारा किया गया था यद्यपि प्रशासनिक रूप से, और समिति की रिपोर्ट का अनुमोदन पूर्ण न्यायालय द्वारा किया गया था । इस न्यायालय के खंड न्यायपीठ के उक्त आदेश की चुनौती उच्चतम न्यायालय में दी गई । उच्चतम न्यायालय ने तारीख 10 नवम्बर, 2006 के निर्णय द्वारा खंड न्यायपीठ के आदेश की पुष्टि करते हुए और 2006 की राज्य की दांडिक अपील संख्या 1136 को खारिज करते हुए इस न्यायालय से खंड न्यायपीठ के विनिश्चय को लागू करने की वांछनीयता पर विचार करने का अनुरोध किया । तत्पश्चात् मामलों को पुनः खंड न्यायपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया । खंड न्यायपीठ ने तारीख 5 अक्टूबर, 2007 के अपने कामन आदेश में यह मत व्यक्त किया कि पुलिस महानिरीक्षक का तारीख 4 मई, 1998 का पत्र और अन्वेषण की रिपोर्ट को उनके कामन आदेश का भाग माना जाए और तब पुलिस अतिरिक्त महानिरीक्षक, सी. आई. डी. के तारीख 13 जून, 1997 के पत्र की अन्तर्वस्तुओं को विस्तार से रजिस्ट्रार (सतर्कता) को निर्दिष्ट किया और यह मत व्यक्त किया कि सक्षम न्यायालय के समक्ष अपराधों से संबंधित परिवाद करना समीचीन है और तद्नुसार विशाखापट्टनम् जिले के अनकापल्ली के प्रधान कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश को उन संबद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध, जिनके संबंध में चौडावरम् के वरिष्ठ सिविल न्यायालय के समक्ष विपक्षी पक्षकारों के भूमि अर्जन निर्देश से संबंधित न्यायिक कार्यवाहियों के संबंध में अभिकथित किए गए विभिन्न अपराध हैं, अनकापल्ली के अतिरिक्त प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद फाइल करने का निदेश दिया । तत्पश्चात्, अनकापल्ली के विद्वान् प्रधान कनिष्ठ सिविल

न्यायाधीश दांडिक परिवाद तैयार किया और फाइल किया तथा अनकापल्ली के विद्वान् अतिरिक्त प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ने परिवाद प्राप्त करने पर संज्ञान लिया और विभिन्न कैलेण्डर मामले (सी. सी. विषय सहित) फाइल पर लिए और कैलेण्डर मामलों में सूचीबद्ध अभियुक्तों को समन जारी किए ।"

4. आगे कार्यवाही करने के पूर्व, उन विभिन्न महत्वपूर्ण पहलूओं जो हमारे समक्ष किए गए निवेदनों से ज्ञेय हैं, का उल्लेख करना भी सुसंगत है – किए गए निर्देशों पर, निर्देश न्यायालय/सिविल न्यायालय ने फाइल पर लिए गए विपक्षी पक्षकारों के प्रतिकर बढ़ाए । तथापि, जब मामला इस न्यायालय के समक्ष आया तो इस न्यायालय ने यह महसूस किया कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई स्वीकार्य साक्ष्य नहीं है कि निर्देश न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर न्यायोचित है, अतः निर्देश न्यायालय/सिविल न्यायालय के आदेशों को अपास्त कर भूमि अर्जन अधिकारी के अधिनिर्णय को पुष्ट किया । इसके पश्चात्, उच्चतम न्यायालय ने परिवादियों द्वारा फाइल विभिन्न समूह के अपीलों को मंजूर करते हुए अपने आदेश में यह मत व्यक्त किया कि उच्च न्यायालय को निर्देश न्यायालय/सिविल न्यायालय के आदेशों को अपास्त करते समय मामलों को नए सिरे से विचार करने के लिए निर्देश न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना चाहिए था । उच्चतम न्यायालय ने तद्नुसार, इस न्यायालय के आदेशों को अपास्त किया और पक्षकारों को अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने का सम्यक् अवसर देने के पश्चात् प्रतिकर के अवधारण हेतु नए सिरे से विचार करने के लिए निर्देश न्यायालय को मामले प्रतिप्रेषित किया । तथापि, प्रतिप्रेषित मामलों में निर्देश न्यायालय द्वारा कोई अतिरिक्त आदेश पारित नहीं किए गए और इसे ताक पर रख दिया गया क्योंकि परिवादियों/पक्षकारों ने उक्त मामलों में आगे कार्यवाही करने के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई । इस प्रकार, यह प्रतीत होता है कि भूमि अर्जन अधिकारी के अधिनिर्णय अंतिम हो गए । इसी बीच, अभिकथित रूप से मृत व्यक्तियों के नाम से और कूटरचित और छदम्व्यक्तिता तथा अन्य विधिविरुद्ध कार्यों का सहारा लेने सहित वर्धित प्रतिकर रकम के चैकों की मंजूरी के लिए कतिपय आवेदन फाइल किए गए । परिणामतः, अवैध रूप से और अपात्र व्यक्तियों द्वारा दुरभिसंधि

और मौनानुकूलता और कपट कर भारी रकम निकाल ली गई । इस प्रकार, जो कुछ भी हो, राजकोष को भारी हानि हुई ।

5. इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में याचिकाओं के पहले बेंच के अभियुक्त/याचियों ने उनके विरुद्ध विषय कैलेण्डर मामलों में कार्यवाहियों को अभिखंडित करने की ईप्सा की । राज्य ने भी प्रत्येक 255 (भूमि अर्जन निर्देश) विपक्षी पक्षकारों की बाबत किए गए अपराधों के संबंध में संबद्ध न्यायालयों के समक्ष संबद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अधीन यथापरिकल्पित परिवाद फाइल करने के लिए अनकापल्ली और चौडावरम् के विद्वान् वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों को निर्देश देने का अनुरोध करते हुए याचियों के दूसरे बेंच में एक याचिका अर्थात् 2012 की दांडिक याचिका सं. 3422 फाइल की ।

6. अभियुक्त, जो इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं, का संक्षिप्ततः मर्मभूत मामला यह है : "उच्चतम न्यायालय ने खंड न्यायपीठ के तारीख 27 सितम्बर, 2002 के पहले कामन आदेश की पुष्टि की और इस न्यायालय को खंड न्यायपीठ के विनिश्चय को लागू करने की वांछनीयता पर विचार करने का निदेश दिया और यह राय व्यक्त की कि उसे स्वयं वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अधीन जांच का आदेश दे देना चाहिए था । तथापि, खंड न्यायपीठ के तारीख 5 अक्तूबर, 2007 के बाद वाले कामन आदेश में, खंड न्यायपीठ ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों के ठीक विपरीत कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश को सक्षम न्यायालय के समक्ष परिवाद फाइल करने का निदेश दिया । फिर भी, यह कहा गया कि कुछ अभियुक्त के विरुद्ध अभिकथित अपराध न्यायिक कार्यवाहियों के संबंध में किए गए थे । किन्तु, परिवाद दर्ज कराते समय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अधीन अनुध्यात प्रक्रिया की पूर्णतः उपेक्षा की गई और इस न्यायालय के निदेशों का मात्र अनुपालन कर विद्वान् कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश द्वारा परिवाद फाइल किए गए । अतः, ऐसे विषयान्तर्गत कैलेण्डर मामले जो विधिमान्यतः संस्थित नहीं किए गए हैं और फाइल पर लिए गए हैं, जहां तक वर्तमान अभियुक्त का संबंध है, अभिखंडित किए जाने योग्य हैं ।"

7. इस पृष्ठभूमि में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 और 340 को निर्दिष्ट करना लाभकर है, जो इस प्रकार है :-

"धारा 195 - **लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन** -

(1) कोई न्यायालय, -

(क)(i) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 172 से धारा 188 तक की धाराओं के (जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं) अधीन दंडनीय किसी अपराध का, अथवा

(ii) ऐसे अपराध के किसी दुष्प्रेरण या ऐसा अपराध करने के प्रयत्न का, अथवा

(iii) ऐसा अपराध करने के लिए किसी आपराधिक षड्यंत्र का, संज्ञान संबद्ध लोक सेवक के, या किसी अन्य ऐसे लोक सेवक के, जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है, लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं;

(ख)(i) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की निम्नलिखित धाराओं अर्थात् 193 से 196 (जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं), 199, 200, 205 से 211 (जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं) और 228 में से किन्हीं के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, जब ऐसे अपराध के बारे में यह अभिकथित है कि वह किसी न्यायालय में की कार्यवाही में या उसके संबंध में किया गया है : अथवा

(ii) उसी संहिता की धारा 463 में वर्णित या धारा 471, धारा 475 या धारा 476 के अधीन दंडनीय अपराध का, जब ऐसे अपराध के बारे में यह अभिकथित है कि वह किसी न्यायालय में की कार्यवाही में पेश की गई साक्ष्य में दी गई किसी दस्तावेज के बारे में किया गया है : अथवा

(iii) उपखंड (i) या उपखंड (ii) में, विनिर्दिष्ट किसी अपराध को करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र या उसे करने के

प्रयत्न या उसके दुष्प्रेरण के अपराध का, संज्ञान ऐसे न्यायालय के, या न्यायालय के ऐसे अधिकारी के, जिसे वह न्यायालय इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत करे या किसी अन्य न्यायालय के, जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ हैं, लिखित परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं ।

(2) जहां किसी लोक सेवक द्वारा उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन कोई परिवाद किया गया है वहां ऐसा कोई प्राधिकारी, जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है, उस परिवाद को वापस लेने का आदेश दे सकता है और ऐसे आदेश की प्रति न्यायालय को भेजेगा ; और न्यायालय द्वारा उसकी प्राप्ति पर उस परिवाद के संबंध में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी :

परन्तु ऐसे वापस लेने का कोई आदेश उस दशा में नहीं दिया जाएगा जिसमें विचारण प्रथम बार के न्यायालय में समाप्त हो चुका है ।

(3) उपधारा (1) के खंड (ख) में 'न्यायालय' शब्द से कोई सिविल, राजस्व या दंड न्यायालय अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत किसी केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गठित कोई अधिकरण भी है यदि वह उस अधिनियम द्वारा इस धारा के प्रयोजनार्थ न्यायालय घोषित किया गया है ।

(4) उपधारा (1) के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए कोई न्यायालय उस न्यायालय के जिसमें ऐसे पूर्वकथित न्यायालय की अपीलनीय डिक्रियों या दंडादेशों की साधारणतया अपील होती है, अधीनस्थ समझा जाएगा या ऐसा सिविल न्यायालय, जिसकी डिक्रियों की साधारणतया कोई अपील नहीं होती है, उस मामूली आरम्भिक सिविल अधिकारिता वाले प्रधान न्यायालय के अधीनस्थ समझा जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर ऐसा सिविल न्यायालय स्थित है :

परन्तु –,

(क) जहां अपीलें एक से अधिक न्यायालय में होती हैं वहां अवर अधिकारिता वाला अपील न्यायालय वह न्यायालय होगा जिसके अधीनस्थ ऐसा न्यायालय समझा जाएगा ;

(ख) जहां अपीलें सिविल न्यायालय में और राजस्व न्यायालय में भी होती हैं वहां ऐसा न्यायालय उस मामले या कार्यवाही के स्वरूप के अनुसार, जिसके संबंध में उस अपराध का किया जाना अभिकथित है, सिविल या राजस्व न्यायालय के अधीनस्थ समझा जाएगा ।

धारा 340 – धारा 195 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया – (i) जब किसी न्यायालय की, उससे इस निमित्त किए गए आवेदन पर या अन्यथा, यह राय है कि न्याय के हित में यह समीचीन है कि धारा 195 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी अपराध की, जो उसे, यथास्थिति, उस न्यायालय की कार्यवाही में या उसके संबंध में अथवा उस न्यायालय की कार्यवाही में पेश की गई या साक्ष्य में दिए गए दस्तावेज के बारे में किया हुआ प्रतीत होता है, जांच की जानी चाहिए तब ऐसा न्यायालय ऐसी प्रारम्भिक जांच के पश्चात् यदि कोई हो, जैसी वह आवश्यक समझे, –

(क) उस भाव का निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है ;

(ख) उसका लिखित परिवाद कर सकता है ;

(ग) उसे अधिकारिता रखने वाले प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को भेज सकता है ;

(घ) ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने के लिए पर्याप्त प्रतिभूति ले सकता है अथवा यदि अभिकथित अपराध अजमानतीय है और न्यायालय ऐसा करना आवश्यक समझता है तो, अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास अभिरक्षा में भेज सकता है ; और

(ङ) ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने और साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को आबद्ध कर सकता है ।

(2) किसी अपराध के बारे में न्यायालय को उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग, ऐसे मामले में जिसमें उस न्यायालय ने उपधारा (1) के अधीन उस अपराध के बारे में न तो परिवाद किया है और न ऐसे परिवाद के किए जाने के लिए आवेदन को नामंजूर किया है, उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके ऐसा पूर्वकथित न्यायालय धारा 195 की उपधारा (4) के अर्थ में अधीनस्थ है ।

(3) इस धारा के अधीन किए गए परिवाद पर हस्ताक्षर, –

(क) जहां परिवाद करने वाला न्यायालय उच्च न्यायालय है वहां उस न्यायालय के ऐसे अधिकारी द्वारा किए जाएंगे, जिसे वह न्यायालय नियुक्त करें ;

(ख) किसी अन्य मामले में, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या न्यायालय के ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे न्यायालय इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत करे, किए जाएंगे ।

(4) इस धारा में 'न्यायालय' का वही अर्थ है जो धारा 195 में है ।"

8. स्थिर विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचारित मतानुसार उठाया गया मुद्दा मुझे काफी समय तक भ्रमित नहीं कर सका । यह स्थिर विधि है कि जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के अधीन उपबंधित अपराधों का किया जाना अभिकथित हो और ऐसे अपराधों के किए जाने के अभिकथन के परिवाद के अनुसरण में अभियोजन चलाया जाना हो तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अधीन परिकल्पित प्रक्रिया का अनुवार्यतः अनुपालन किया जाना चाहिए । उक्त उपबंध के अनुसार, जब न्यायालय की यह राय हो कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195(1)(ख) के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया जाना या उस न्यायालय की कार्यवाही के संबंध में या यथास्थिति उस न्यायालय की कार्यवाही में पेश दस्तावेज या दिए गए साक्ष्य की बाबत होना प्रतीत होता है तो ऐसा न्यायालय यथापरिकल्पित, प्रारम्भिक

जांच, यदि कोई है, जैसा वह आवश्यक समझे, करेगा और उस आशय का निष्कर्ष अभिकथित करेगा, लिखित में उसका परिवाद करेगा और अधिकारिता रखने वाले प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को इसे भेजेगा । इस मामले में पूर्वोक्त प्रक्रिया जो आवश्यक पूर्वापेक्षा है, स्वीकार्यतः का पालन नहीं किया गया है । इसके आगे, उच्चतम न्यायालय ने 2006 की दांडिक अपील संख्या 1136 में, जिसका उल्लेख पहले किया गया है, इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा पारित तारीख 27 सितमबर, 2002 के कामन आदेश को अनुमोदित किया और यह अभिनिर्धारित किया कि भूमि अर्जन अधिकारी, जिला न्यायाधीश के नहीं बल्कि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है ।

9. विधिक स्थिति पर विचार करते हुए, यह उल्लेख करना अतिसामान्य है कि माननीय मुख्य न्यायमूर्ति जो वर्तमान पूर्ण न्यायपीठ के एक सदस्य हैं, जब वे केरल उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश थे, को **के. ए. कुट्टय्या** बनाम **फेडरल बैंक लिमिटेड और अन्य**[1] वाले मामले के विनिश्चय में विस्तार से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195, 340 और 341 के आशय और प्रयोजन पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ था । उक्त विनिश्चय में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर विचार करने के पश्चात् यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया :-

> "दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 26, जिसमें धारा 340 और 341 और अन्य सहवर्ती उपबंध आते हैं, 'न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध' के बारे में है । धारा 340 में यह उपबंध है कि जब किसी न्यायालय की यह राय है कि न्याय के हित में यह समीचीन है कि धारा 195 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी अपराध की जो उसे यथास्थिति उस न्यायालय की कार्यवाही में या उसके संबंध में अथवा उस न्यायालय की कार्यवाही में पेश की गई या साक्ष्य में दिए गए दस्तावेज के बारे में किया हुआ प्रतीत होता है तो न्यायालय ऐसी प्रारम्भिक

---

[1] 2006 एस. सी. सी. आनलाइन केरल 118 = (2006) क्रिमिनल ला जर्नल 3541 (केरल).

जांच के पश्चात्, यदि कोई हो, जैसा वह आवश्यक समझे, धारा 340(1) के अधीन विभिन्न खंडों के अनुसार कार्यवाही आरम्भ कर सकेगा । यह उल्लेख करने के लिए यह अर्थपूर्ण विधायी सामग्री है कि धारा 195(1) का अवरोध आत्यंतिक है और उसमें उपवर्णित अपराधों के लिए कोई अभियोजन धारा 340 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने पर ही किया जा सकता है । धारा 195(1) न्यायालय पर उसमें अधिकथित शर्तों के समाधान के सिवाय उसमें यथाउपवर्णित विभिन्न अपराधों का संज्ञान लेने का निषेध अधिरोपित करता है । धारा 195 और धारा 340 व्यक्तियों को व्यक्तिगत विद्वेष और दुर्भाव द्वारा प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दांडिक अभियोजनों से व्यक्तियों को पृथक् करता है । यह उन पर तभी अभियोजन चलाना सुनिश्चित करता है जब लोक न्याय हित में ऐसा करना आवश्यक हो । उक्त उपबंध प्रभावी रूप से तभी अभियोजन का निषेध करते है जब लोक हित पूरा न हो सकता हो । वह अपर्याप्त आधारों पर अभियोजन से व्यक्तियों को संरक्षित करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि अभियोजन तभी चलाया जाए जब न्यायालय का सम्यक् विचार के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि पक्षकार के विचारण के लिए उचित मामला बनता है । वहीं, यदि न्याय प्रशासन को प्रभावित करने वाले अपराध किए जाते हैं तो अपराधी को विधि की सम्यक् प्रक्रिया से बचने नहीं दिया जाना चाहिए । लोक न्याय के विरुद्ध अपराधी को परिणाम भुगतने की लोक अपेक्षा और विधि के दुरुपयोग के बीच संतुलन बनाए रखना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 और धारा 340 के संयुक्त उपयोजन द्वारा तंत्र उपलब्ध कराना विधायी प्रज्ञा है ।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि धारा 195(1) के खंड (ख)(i) के अधीन आने वाले अपराध ऐसे अपराध हैं जो भारतीय दंड संहिता के अध्याय 11 में सम्मिलित मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के संबंध में है । ऐसे अपराधों के समूह जिन पर उक्त अध्याय के अधीन विचार किया गया है, ऐसे हैं कि वे न्याय के प्रशासन से बिल्कुल जुड़े हुए हैं । भारतीय

दंड संहिता के अध्याय 11 के अधीन आने वाले किसी अपराध के संबंध में विधि को गतिशील बनाने के लिए किसी प्राइवेट वादकारी को अनुज्ञा देना बिल्कुल निरापद होगा । यही नहीं, यह लोक न्याय प्रणाली की महत्वपूर्ण अपेक्षा है कि भारतीय दंड संहिता के अध्याय 11 के अधीन निर्देश्य किसी अभिकथित अपराध का अभियोजन स्वयं न्याय परिदान प्रणाली द्वारा अवधारित की जानी चाहिएं । यही कारण है कि ऐसा न्यायालय जिसके समक्ष अध्याय 11 के अधीन अपराध किया गया देखा, दर्शाया या अभिकथित किया जाता है, को प्रथमदृष्ट्या यह निष्कर्ष निकालना होता है कि क्या अभिकथित अपराधी पर विचारण किए जाने का उचित मामला है और क्या ऐसा अभियोजन न्यायहित में आवश्यक है । परिवर्तन की इस प्रक्रिया के पश्चात्, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अधीन यथाउपबंधित परिवाद या अन्य द्वारा ऐसा अभियोजन आरम्भ किया जाए ।"

पूर्वोक्त विनिश्चय का यह तर्काधार वर्तमान मामले के तथ्यों को हू-ब-हू लागू होता है क्योंकि वर्तमान मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अधीन यथा अनुध्यात कोई जांच नहीं की गई और क्योंकि भूमि अर्जन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा तथ्य और विधि के अधीन यथा अनुध्यात कोई आवश्यक निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किए गए और आगे, परिवाद करने के लिए सक्षम न्यायाधीश के बजाय विद्वान् प्रधान कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश द्वारा परिवाद किया गया और वह भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अधीन उपवर्णित विधिक पूर्वापेक्षाओं का पालन किए बिना । अतः हम प्रथम समूह की याचिकाओं के अभियुक्त-याचियों के अनुरोधों और नीचे उपवर्णित कतिपय निर्देशों के अधीन 2012 की दांडिक याचिका सं. 3422 में राज्य के अनुरोध को भी स्वीकार करते हैं जिसे हम मामले से संबंधित अभिकथित कपट और अभिकथित अपराध जिसे 'एलेरू भूमि अर्जन घोटाले' के रूप में सार्वजनिक रूप से जाना जाता है, की तीक्ष्ण गंभीरता को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 और 227 का अवलंब लेते हुए न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु जारी करते है । हमारे विचारित मतानुसार मामले को समाप्त करते हुए संस्थागत हित के अलावा व्यापक लोक हित में उचित निदेश देना आवश्यक है अन्यथा कपट के

अभिकथित अपराधी और अपराधकर्ता का विचारण झेले बिना उन्मुक्त हो जाना संभाव्य है । उक्त अनुच्छेद निर्विवादतः इस न्यायालय को न केवल यह देखने कि अपराधी यदि कोई है, को दोषी ठहराया जाए बल्कि यह देखने के लिए भी कि न्याय मात्र तकनीकी बातों द्वारा ही न उलझ जाए, निदेश देने की आवश्यक अधिकारिता से आवरित करता है ।

10. पूर्वोक्त विश्लेषण और उपरोक्त पैरा सं. 9 में व्यक्त मतों को ध्यान में रखते हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अभियुक्त द्वारा फाइल की गई दांडिक याचिकाओं के पहले समूह को मंजूर किया जाना चाहिए और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अधीन आरम्भ की गई पूर्व कार्यवाहियों को अभिखंडित किया जाना चाहिए और राज्य द्वारा फाइल 2012 की दांडिक याचिका सं. 3422 को भी कतिपय निदेशों के अधीन रहते हुए मंजूर की जानी चाहिए क्योंकि हमारे विचारित राय के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के उपबंध और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 का अवलंब लेकर आवश्यक निदेश देना न्याय की आधारशिला की शुद्धता को बनाए रखना आवश्यक है ।

11. परिणामतः, अभियुक्त द्वारा फाइल की गई दांडिक याचिकाएं और राज्य द्वारा फाइल 2012 की दांडिक याचिका सं. 3422 को तद्नुसार निम्नलिखित निदेशों के अधीन रहते हुए मंजूर किया जाता है :-

(i) विशाखापट्टनम् जिले के चौडावरम् और अनकापल्ली के संबद्ध निर्देश न्यायालय-सह-वरिष्ठ सिविल न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उक्त न्यायालय की फाइलों पर विपक्षी पक्षकारों के भूमि अर्जन विषय से संबंधित सभी चेक आवेदनों को पुनः खोलने और दावाकर्ताओं, राज्य, इसमें दावाकर्ताओं के अधिवक्ताओं, सुसंगत समय पर राज्य के अधिवक्ताओं, ऐसे अधिवक्ता जिन्होंने चेक याचिकाकर्ताओं द्वारा तात्पर्यित रूप से हस्ताक्षरित शपथपत्रों और वकालतनामों को प्रमाणित किया है, और अन्य संबद्ध आवश्यक व्यक्तियों को नोटिस जारी करने और ऐसे प्रत्येक मामलों में प्रारम्भिक जांच करने और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अधीन यथापरिकल्पित आवश्यक तथ्यात्मक निष्कर्ष निकालने और यदि आवश्यक हो, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन कर

सक्षम अधिकारितागत प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद दर्ज कराने का निदेश दिया जाता है ।

(ii) सी. बी. सी. आई. डी. अभिकरण, जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख और 109 के साथ पठित धारा 466, 467, 468, 409, 406, 471, 474, 419 और 420 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए विशाखापट्टनम् जिले के अनकापल्ली शहर पुलिस थाने की फाइल पर दर्ज 1996 के अपराध सं. 327 मामले में अन्वेषण किया और जिन्होंने यह राय व्यक्त की कि कतिपय व्यक्ति/अभियुक्त ने विभिन्न अपराध किए, को मामले में आगे कार्यवाही करने और आगे आवश्यक अन्वेषण, यदि कोई है, विधि द्वारा स्थापित विधि के अनुसार संचालित कर, अन्वेषण पूरा करने का और आगे किसी विलम्ब के बिना सक्षम अधिकारितागत प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष अंतिम रिपोर्ट फाइल करने का निदेश दिया जाता है । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि उक्त अभिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र फाइल किया जाना है तो वह, यदि निदेश सं. I जो विषय के उक्त पहलू की परवाह करेगा, को ध्यान में रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 में उपवर्णित दंड उपबंधों के अनुसार अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र को छोड़कर ऐसा कर सकता है ।

परिणामतः, राज्य द्वारा फाइल शेष चार दांडिक याचिकाएं बन्द की जाती हैं क्योंकि उक्त याचिकाओं में आगे कोई आदेश आवश्यक नहीं है ।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि राज्य, यदि वह ऐसा चाहता है, तो इस न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष को अभ्यावेदन कर समुचित प्रक्रम पर विशेष न्यायालय और विशेष सैल आदि की स्थापना के लिए अपने अनुरोध को पुनः नवीकृत कर सकेगा ।

प्रकीर्ण याचिकाएं, यदि कोई लम्बित हैं, समाप्त हो जाएंगी ।

तद्नुसार आदेश दिया गया ।

पा.

श्यामलाल किसान

बनाम

ओडिशा राज्य

(2005 की जेल दांडिक अपील सं. 102)

तारीख 5 अप्रैल, 2019

न्यायमूर्ति एस. के. मिश्रा और न्यायमूर्ति डा. ए. के. मिश्रा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 300, अपवाद 4 और धारा 304 भाग-I [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 118] – हत्या – अचानक लड़ाई झगड़ा होना – बालक साक्षी – पति द्वारा अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या किए जाने का अभिकथन किया जाना – अभियुक्त और मृतका के अप्राप्तवय पुत्र द्वारा यह परिसाक्ष्य दिया जाना कि झगड़े के दौरान क्षणभर में उसके पिता द्वारा उसकी माता की गर्दन दबाई गई – बालक के साक्ष्य का सिखाया-पढ़ाया प्रतीत न होना – यदि चिकित्सा साक्ष्य से यह साबित हुआ है कि मृतका की गला घोंटने के कारण मृत्यु हुई है तथा हेतु सिद्ध नहीं किया गया है और पति (अभियुक्त) और पत्नी (मृतका) के बीच झगड़ा होने के कारण घटना क्षणभर में घटित हुई है तो अभियुक्त की दोषसिद्धि का दंड संहिता की धारा 302 के बजाय धारा 304 भाग-I में परिवर्तित किया जाना न्यायसंगत है ।

अनावश्यक ब्यौरों को छोड़ते हुए अभियोजन मामला इस प्रकार है कि तारीख 12 अगस्त, 2003 को गरमा राखी की सूचना पर कि अभियुक्त की पत्नी की तारीख 11/12 अगस्त, 2003 की रात्रि के बीच डायरिया से मृत्यु हुई थी जिस पर थाने की डायरी में प्रविष्टि की गई थी और अभि. सा. 6 पुलिस उप-निरीक्षक झरसुगुड़ा पुलिस थाना को ओ. आई. सी. द्वारा तथ्यों पर जांच करने के लिए निदेश दिया था । जब अभि. सा. 6 स्टेशन डायरी प्रविष्टि की सूचना पर जांच करने के लिए अभियुक्त के मकान पर गया, तब उसने गर्दन के सामने की ओर गुमटा देखा था, मुंह से रक्त की बूंदें टपक रही थीं तथा दांतों के नीचे जीभ

दबी हुई थी । इसलिए, उसने मृत्युसमीक्षा की और शव को शवपरीक्षण के लिए भेज दिया तथा साक्षियों की परीक्षा की । उसने कमरे से टूटी हुई चूड़ियां और डिबरी अभिगृहीत की । इन साक्षियों की परीक्षा के दौरान अभियुक्त और मृतका का अप्राप्तवय लड़का अभि. सा. 7 ने यह बताया कि उसकी माता की रात्रि के दौरान उसके पिता द्वारा अपने दोनों हाथों से गर्दन दबाकर हत्या कर दी । अभि. सा. 6 ने डायरिया का कोई चिह्न नहीं पाया था, इसलिए उसने सादे कागज पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की और उसे मामले के रजिस्ट्रीकरण के लिए पुलिस थाने भेजा और उस पर प्राथमिक अन्वेषण किया गया । ओ. आई. सी. (अभि. सा. 8) ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को प्राप्त करके मामले को रजिस्ट्रीकृत किया और अभि. सा. 6 से अन्वेषण का जिम्मा लेने के पश्चात् ग्राम की ओर चला, उन्होंने साक्षियों की पुन: परीक्षा की । विद्वान् मजिस्ट्रेट से यह अनुरोध किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन (जिसे संक्षेप में दं. प्र. सं. कहा गया है) अभियुक्त के अप्राप्तवय पुत्र के कथन को लेखबद्ध किया । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् उन्होंने आरोप पत्र प्रस्तुत किया । अभियुक्त ने मामला होने से पूर्णतया इनकार किया है । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए आठ साक्षियों की परीक्षा की । अनाम किसान (अभि. सा. 7) अभियोजन का मुख्य साक्षी है । वह दोषसिद्ध व्यक्ति और मृतका के अप्राप्तवय पुत्र से मिला । कासीनाथ नायक (अभि. सा. 6) इस मामले में इत्तिलाकर्ता है । उसने मृत्युसमीक्षा की जांच करने, शवपरीक्षण के लिए शव को भेजने के बारे में अन्वेषण का कार्य भी किया । रतन किसान (अभि. सा. 1) अभिग्रहण का साक्षी है । दूतिया गूगाड़ (अभि. सा. 2) गांव का ग्राम राखी है जिसके द्वारा सूचना दिए जाने पर स्टेशन डायरी में प्रविष्टि की गई थी । दया सागर रोहीदास (अभि. सा. 3) अभिग्रहण का साक्षी है । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 दोनों पक्षद्रोही हो गए थे और अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 154 के अधीन अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई । अभि. सा. 4 डा. लिबीकरम पांडा है जिन्होंने मृतका के शव की शव-परीक्षा की, डा. शीलवंती जोजो (अभि. सा. 5) वह चिकित्सक है जिसने अभियुक्त की परीक्षा की । अभि. सा. 8 बिसवा प्रकाश पटनायक जो झरसुगुड़ा पुलिस थाना में ओ. आई. सी.

के पद पर तैनात है जो इस मामले का अन्वेषक अधिकारी है और उन्होंने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध करके दंडादिष्ट किया गया । अभियुक्त-अपीलार्थी ने दोषसिद्धि और दंडादेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । अपील भागत: मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – हत्या के मामले में परीक्षा करने के लिए क्या दोषसिद्ध व्यक्ति दोषी है या नहीं तब न्यायालय का प्रथम कर्तव्य यह है कि वह यह पता लगाए कि क्या मृतका की मृत्यु मानव वध प्रकृति की है या नहीं । इस मामले में अभि. सा. 4 डाक्टर के साक्ष्य का उल्लेख करना समुचित है जिन्होंने शपथ पर यह कथन किया है कि तारीख 12 अगस्त, 2003 को वह जिला मुख्यालय अस्पताल झरसुगुड़ा पर मेडिसन स्पेशलिस्ट के पद पर तैनात था और उसी दिन लगभग 4.15 बजे अपराह्न उसने हेमा वाती किसान के शव का शवपरीक्षण किया जो अभियुक्त की पत्नी है और यह कार्य पुलिस की अध्यपेक्षा पर किया गया था और तब चेहरे के दाहिनी ओर निचले भाग पर 1" x ½" x ¼" के आकार की एक खरोंच पाई थी । गर्दन के दाहिनी ओर संख्या 4 में ½" व्यास के आकार का गुमटा पाया था । गुमटे अलग थे और वे एक-दूसरे के नजदीक थे और एक दूसरे से ऊपर था । गर्दन के बाईं ओर संख्या में 3 ½" व्यास के गुमटे एक दूसरे के नजदीक थे । उसने गर्दन पर कोई बंद का चिह्न नहीं पाया । उन्होंने गर्दन के दोनों ओर अवत्वची जमा हुआ रक्त एकत्रित किया । कंठिका के दाहिनी ओर अस्थिभंग हुआ था और रक्त को एकत्रित करने पर कंठ संतुलित हुआ था । श्वास नाल भी संकुलित था । उन्होंने फेफड़े संकुलित पाए और शव का विच्छेदन करते समय गहरा द्रव्य के रूप में रक्त को टपकता हुआ पाया । हृदय का बाईं ओर का भाग खाली पड़ा हुआ था परंतु हृदय का दाहिना भाग गाढ़े द्रव्य से भरा हुआ था । मुंह आधा खुला हुआ था और जीभ दांतों से दबी हुई थी । वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मृतका की मृत्यु आंतरिक अंगों की वजह से श्वासावरोध के कारण हुई थी, इसलिए यह राय व्यक्त की कि मृत्यु गला घोंटने की वजह से श्वासावरोध के कारण हुई थी । मृत्यु का समय शव की परीक्षा के समय से 24 घंटे के भीतर

का था । शवपरीक्षण रिपोर्ट को प्रदर्श 3 के रूप में चिन्हित किया गया था और प्रदर्श 3/1 में उसके हस्ताक्षर हैं । प्रतिपरीक्षा में उसने यह कथन किया है कि गला घोंटने के मामले में अंगुली के चिह्न हो सकते हैं परन्तु इस मामले में अंगुली के चिह्न दिखाई नहीं दिए थे । उसने यह उल्लेख नहीं किया है कि क्षतियां प्रकृति में मृत्यु पूर्व की थी जैसा कि क्षतियों से स्पष्ट होता है । उन्होंने यह भी कथन किया कि गला घोंटने के समय पर किए गए विरोध में भी विरोध के कारण कुछ अन्य क्षतियां भी हो सकती हैं । प्रदर्श 3 की परीक्षा करने से यह प्रकट हुआ है कि डाक्टर द्वारा न्यायालय में जो कुछ भी कथन किया गया है, वह बात उसमें परिलक्षित होती है । इसलिए, यह स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु गला घोंटने के परिणामस्वरूप श्वासावरोध के कारण हुई थी, इसलिए, ऐसी मृत्यु को प्रकृति में निश्चित रूप से मानवघाती कहा गया है । दूसरा प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त ने मृतका की मृत्यु कारित की और क्या उसका उसकी मृत्यु कारित करने का आशय रहा था । जैसा कि पूर्व में कथन किया गया है अभि. सा. 7 अभियोजन का मुख्य साक्षी है । अभि. सा. 7 अपनी परीक्षा के समय पर अल्पवयस्क था । उसकी न्यायालय में परीक्षा के समय पर लगभग 8 वर्ष आयु थी । उसकी तारीख 24 जून, 2005 को परीक्षा की गई थी जबकि घटना तारीख 12 अगस्त, 2003 को घटी थी तो इस तरह घटना के समय पर उसकी आयु 6 वर्ष थी । इस साक्षी ने शपथ पर अपना बयान नहीं दिया था । उसने न्यायालय के समक्ष यह कथन किया कि उसकी माता हेमावाती की मृत्यु हो चुकी है और उस समय वह अपने मामा के घर मुंदरा में ग्राम भीमजोरे पर रह रहा था । अभियुक्त उसका पिता है । उसने आगे यह भी कथन किया कि लगभग 2 वर्ष पूर्व राकसी पूर्णिमा के दिन रात्रि के समय उनके मकान में यह घटना घटी थी । उसने यह भी कथन किया कि उसके पिता और माता एक दूसरे के साथ लड़ाई-झगड़ा कर रहे थे तब वह चारपाई पर सोया हुआ था । उसके पिता ने उसकी माता के साथ झगड़ा किया और माता की छाती पर बैठकर उसका गला दबा दिया और इस साक्षी को इस बात की धमकी दी कि वह किसी भी व्यक्ति को इस बात के बारे में नहीं बताएगा । जब उसने अपनी

माता को पुकारा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया । अगले दिन प्रात: जब पुलिस वहां पहुंचीं तो उसने पुलिस को घटना के बारे में बताया और अपने मामा को इस घटना का वृत्तांत सुनाया । यद्यपि प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा की गई और प्रतिपरीक्षा में उसके मुंह से कुछ भी सारभूत बात प्रकट नहीं हुई जिससे यह निष्कर्ष निकाला जाता कि उसका साक्ष्य सिखाया-पढ़ाया प्रकृति का है और कोई विभेद भी प्रकट नहीं हुआ । इसके अतिरिक्त, इसके कथन की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित कथन से संपुष्टि होती है जो घटना के पश्चात् लगभग 3 दिन अभिलिखित किया गया था । तथापि, अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री एम. के. पाती ने यह दलील दी कि विद्वान् निचले न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपराध को कारित करने का हेतु है और ऐसे हेतु को इस मामले में साबित नहीं किया गया है । वास्तव में, हम श्री पाती की दलील से सहमत हैं कि वास्तविक दस्तावेजों को आपराधिक मामले को दर्ज करने के पूर्व साबित करना आवश्यक है और मृतका द्वारा उसमें किए गए कथन को, इस मामले में साबित नहीं किया गया है । इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने मृतका की हत्या करने के लिए दोषसिद्ध अभियुक्त की ओर से हेतु को साबित किया हो । वस्तुत: श्री पाती ने यह भी दलील दी है कि यह एक ऐसा कार्य था जिसे अभियुक्त द्वारा आपस में छोटा-मोटा झगड़ा होने के कारण क्षणभर में अंजाम दिया गया था । इस तथ्य के बारे में अभि. सा. 7 द्वारा कथन भी किया गया है । उसने यह कथन किया है कि उसके पिता और माता दोनों एक दूसरे से झगड़ते रहते थे और इस कार्यवाही में उसके पिता उसकी माता के वक्ष पर बैठ गया और उन्होंने उसका गला दबा दिया । उसने यह नहीं कहा है कि वहां पर उसकी माता की मृत्यु हो गई थी । परंतु जब उसने अपनी माता को पुकारा तब उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इसका प्रभाव यह है कि उसकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई थी । चूंकि अभियोजन पक्ष द्वारा बताए गए हेतु के बारे में साक्ष्य में कमी है और यह कार्य पति-पत्नी के बीच छोटे से झगड़े के कारण क्षणभर में अभियुक्त द्वारा किया गया था । हमारी यह राय है कि अपीलार्थी का हत्या के अपराध को करने के लिए कोई अध्यपेक्षित आपराधिक मन:स्थिति नहीं

रही थी । परंतु वह गर्दन दबाने की अपनी कार्यवाही के बारे में यह जानता था कि ऐसी शारीरिक क्षति किए जाने पर जिससे ऐसी शारीरिक क्षति कारित की जाएगी जिससे मृतका की मृत्यु हो सकती है, इसलिए, संहिता की धारा 302 के अधीन उसे दोषसिद्ध करने के बजाय हमारी यह राय है कि उसे संहिता की धारा 304 भाग-I के अधीन हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध के लिए दोषसिद्ध किया जाना चाहिए । (पैरा 5, 6 और 8)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2005 की जेल दांडिक अपील सं. 102.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से मैसर्स एम. आर. दास, एम. के. पाती और ए. के. महापात्रा

प्रत्यर्थी की ओर से अपर सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एस. के. मिश्रा ने दिया ।

न्या. मिश्रा – इस अपील में दोषसिद्ध-अपीलार्थी ने 2004 के सेशन विचारण मामला सं. 360/10 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश झरसुगुड़ा द्वारा तारीख 30 जून, 2005 को पारित किए गए निर्णय को आक्षेपित किया है जिसमें उसे दंड संहिता की धारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'संहिता' कहा गया है) 302 के अधीन अपराध किए जाने के लिए दोषसिद्ध किया गया था और आजीवन कारावास भोगने के लिए उसे तथा 2,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने, जुर्माने का संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर तीन मास का कठोर कारावास भोगने का भी दंडादेश किया गया था ।

2. अनावश्यक ब्यौरों को छोड़ते हुए अभियोजन मामला इस प्रकार है कि तारीख 12 अगस्त, 2003 को गरमा राखी की सूचना पर कि अभियुक्त की पत्नी की तारीख 11/12 अगस्त, 2003 की रात्रि के बीच डायरिया से मृत्यु हुई थी जिस पर थाने की डायरी में प्रविष्टि की गई थी और अभि. सा. 6 पुलिस उप-निरीक्षक झरसुगुड़ा पुलिस थाना को ओ. आई. सी. द्वारा तथ्यों पर जांच करने के लिए निदेश दिया था । जब

अभि. सा. 6 स्टेशन डायरी प्रविष्टि की सूचना पर जांच करने के लिए अभियुक्त के मकान पर गया, तब उसने गर्दन के सामने की ओर गुमटा देखा था, मुंह से रक्त की बूंदें टपक रही थी तथा दांतों के नीचे जीभ दबी हुई थी । इसलिए, उसने मृत्युसमीक्षा की और शव को शवपरीक्षण के लिए भेज दिया तथा साक्षियों की परीक्षा की । उसने कमरे से टूटी हुई चूड़ियां और डिबरी अभिगृहीत की ।

इन साक्षियों की परीक्षा के दौरान अभियुक्त और मृतका का अप्राप्तवय लड़का अभि. सा. 7 ने यह बताया कि उसकी माता की रात्रि के दौरान उसके पिता द्वारा अपने दोनों हाथों से गर्दन दबाकर हत्या कर दी । अभि. सा. 6 ने डायरिया का कोई चिह्न नहीं पाया था, इसलिए उसने सादे कागज पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की और उसे मामले के रजिस्ट्रीकरण के लिए पुलिस थाने भेजा और उस पर प्राथमिक अन्वेषण किया गया । ओ. आई. सी. (अभि. सा. 8) ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को प्राप्त करके मामले को रजिस्ट्रीकृत किया और अभि. सा. 6 से अन्वेषण का जिम्मा लेने के पश्चात् ग्राम की ओर चला, उन्होंने साक्षियों की पुन: परीक्षा की । विद्वान् मजिस्ट्रेट से यह अनुरोध किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन (जिसे संक्षेप में दं. प्र. सं. कहा गया है) अभियुक्त के अप्राप्तवय पुत्र के कथन को लेखबद्ध किया । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् उन्होंने आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

3. अभियुक्त ने मामला होने से पूर्णतया इनकार किया है ।

4. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए आठ साक्षियों की परीक्षा की । अनाम किसान (अभि. सा. 7) अभियोजन का मुख्य साक्षी है । वह दोषसिद्ध व्यक्ति और मृतका के अप्राप्तवय पुत्र से मिला । कासीनाथ नायक (अभि. सा. 6) इस मामले में इत्तिलाकर्ता है । उसने मृत्युसमीक्षा की जांच करने, शवपरीक्षण के लिए शव को भेजने के बारे में अन्वेषण का कार्य भी किया । रतन किसान (अभि. सा. 1) अभिग्रहण का साक्षी है । दूतिया गूगाड़ (अभि. सा. 2) गांव का ग्राम राखी है जिसके द्वारा सूचना दिए जाने पर स्टेशन डायरी में प्रविष्टि की गई थी । दया सागर रोहीदास (अभि. सा. 3) अभिग्रहण का साक्षी है । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 दोनों पक्षद्रोही हो गए थे और अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 154 के अधीन

अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई । अभि. सा. 4 डा. लिबीकरम पांडा है जिन्होंने मृतका के शव की शव-परीक्षा की, डा. शीलवंती जोजो (अभि. सा. 5) वह चिकित्सक है जिसने अभियुक्त की परीक्षा की । अभि. सा. 8 बिसवा प्रकाश पटनायक जो झरसुगुड़ा पुलिस थाना में ओ. आई. सी. के पद पर तैनात है जो इस मामले का अन्वेषक अधिकारी है और उन्होंने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

5. हत्या के मामले में परीक्षा करने के लिए क्या दोषसिद्ध व्यक्ति दोषी है या नहीं तब न्यायालय का प्रथम कर्तव्य यह है कि वह यह पता लगाए कि क्या मृतका की मृत्यु मानव वध प्रकृति की है या नहीं । इस मामले में अभि. सा. 4 डाक्टर के साक्ष्य का उल्लेख करना समुचित है जिन्होंने शपथ पर यह कथन किया है कि तारीख 12 अगस्त, 2003 को वह जिला मुख्यालय अस्पताल झरसुगुड़ा पर मेडिसन स्पेशलिस्ट के पद पर तैनात था । और उसी दिन लगभग 4.15 बजे अपराह्न उसने हेमा वाती किसान के शव का शवपरीक्षण किया जो अभियुक्त की पत्नी है और यह कार्य पुलिस की अध्यपेक्षा पर किया गया था और तब चेहरे के दाहिनी ओर निचले भाग पर 1" x ½" x ¼" के आकार की एक खरोंच पाई थी । गर्दन के दाहिनी ओर संख्या 4 में ½" व्यास के आकार का गुमटा पाया था । गुमटे अलग थे और वे एक दूसरे के नजदीक थे और एक दूसरे से ऊपर थे । गर्दन के बाईं ओर संख्या में 3 ½" व्यास के गुमटे एक दूसरे के नजदीक थे । उसने गर्दन पर कोई बंद का चिह्न नहीं पाया । उन्होंने गर्दन के दोनों ओर अवत्वची जमा हुआ रक्त एकत्रित किया । कंठिका के दाहिनी ओर अस्थिभंग हुआ था और रक्त को एकत्रित करने पर कंठ संतुलित हुआ था । श्वास नाल भी संकुलित था । उन्होंने फेफड़े संकुलित पाए और शव का विच्छेदन करते समय गहरा द्रव्य के रूप में रक्त को टपकता हुआ पाया । हृदय का बाईं ओर का भाग खाली पड़ा हुआ था परंतु हृदय का दाहिना भाग गाढ़े द्रव्य से भरा हुआ था । मुंह आधा खुला हुआ था और जीभ दांतों से दबी हुई थी । वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मृतका की मृत्यु आंतरिक अंगों की वजह से श्वासावरोध के कारण हुई थी, इसलिए यह राय व्यक्त की कि मृत्यु गला घोंटने की वजह से श्वासावरोध के कारण हुई थी । मृत्यु का समय शव की परीक्षा के समय से 24 घंटे के भीतर का था ।

शवपरीक्षण रिपोर्ट को प्रदर्श 3 के रूप में चिह्नित किया गया था और प्रदर्श 3/1 में उसके हस्ताक्षर हैं ।

प्रतिपरीक्षा में उसने यह कथन किया है कि गला घोंटने के मामले में अंगुली के चिह्न हो सकते हैं परन्तु इस मामले में अंगुली के चिह्न दिखाई नहीं दिए थे । उसने यह उल्लेख नहीं किया है कि क्षतियां प्रकृति में मृत्यु पूर्व की थी जैसा कि क्षतियों से स्पष्ट होता है । उन्होंने यह भी कथन किया कि गला घोंटने के समय पर किए गए विरोध में भी विरोध के कारण कुछ अन्य क्षतियां भी हो सकती हैं ।

प्रदर्श 3 की परीक्षा करने से यह प्रकट हुआ है कि डाक्टर द्वारा न्यायालय जो कुछ भी कथन किया गया है, वह बात उसमें परिलक्षित होती है । इसलिए यह स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु गला घोंटने के परिणामस्वरूप श्वासावरोध के कारण हुई थी इसलिए ऐसी मृत्यु को प्रकृति में निश्चित रूप से मानवघाती कहा गया है ।

6. दूसरा प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त ने मृतका की मृत्यु कारित की और क्या उसका उसकी मृत्यु कारित करने का आशय रहा था । जैसा कि पूर्व में कथन किया गया है अभि. सा. 7 अभियोजन का मुख्य साक्षी है । अभि. सा. 7 अपनी परीक्षा के समय पर अल्पवयस्क था । उसकी न्यायालय में परीक्षा के समय पर लगभग 8 वर्ष आयु थी । उसकी तारीख 24 जून, 2005 को परीक्षा की गई थी जबकि घटना तारीख 12 अगस्त, 2003 को घटी थी तो इस तरह घटना के समय पर उसकी आयु 6 वर्ष थी । इस साक्षी ने शपथ पर अपना बयान नहीं दिया था । उसने न्यायालय के समक्ष यह कथन किया कि उसकी माता हेमावाती की मृत्यु हो चुकी है और उस समय वह अपने मामा के घर मुंदरा में ग्राम भीमजोरे पर रह रहा था । अभियुक्त उसका पिता है । उसने आगे यह भी कथन किया कि लगभग 2 वर्ष पूर्व राकसी पूर्णिमा के दिन रात्रि के समय उनके मकान में यह घटना घटी थी । उसने यह भी कथन किया कि उसके पिता और उसकी माता एक दूसरे के साथ लड़ाई-झगड़ा कर रहे थे तब वह चारपाई पर सोया हुआ था । उसके पिता ने उसकी माता के साथ झगड़ा किया और उसकी माता की छाती पर बैठकर उसका गला दबा दिया और इस साक्षी को इस बात की धमकी दी कि वह किसी भी व्यक्ति को इस बात के बारे में नहीं बताएगा । जब उसने अपनी माता को पुकारा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया । अगले दिन

प्रात: जब पुलिस वहां पहुंची तो उसने पुलिस को घटना के बारे में बताया और अपने मामा को इस घटना का वृत्तांत सुनाया । यद्यपि प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा की गई और प्रतिपरीक्षा में उसके मुंह से कुछ भी सारभूत बात प्रकट नहीं हुई जिससे यह निष्कर्ष निकाला जाता कि उसका साक्ष्य सिखाया-पढ़ाया प्रकृति का है और कोई विभेद भी प्रकट नहीं हुआ । इसके अतिरिक्त इसके कथन की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित कथन से संपुष्टि होती है जो घटना के पश्चात् लगभग 3 दिन अभिलिखित किया गया था ।

7. अभि. सा. 7 के साक्ष्य तथा उपस्थित परिस्थितियां जो अभियुक्त द्वारा डायरिया से मृतका की मृत्यु के बारे में मिथ्या रिपोर्ट दी गई, को ध्यान में रखते हुए यह तथ्य कि शव उस मकान में पाया गया जहां अभियुक्त, मृतका और अभि. सा. 7 निवास करते थे और चिकित्सा राय से हमने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष ने व्यापक रूप से अपने पक्षकथन को साबित किया है कि मृतका की दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा मृत्यु कारित की गई थी ।

8. तथापि, अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री एम. के. पाती ने यह दलील दी कि विद्वान् निचले न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपराध को कारित करने का हेतु है और ऐसे हेतु को इस मामले में साबित नहीं किया गया है । वास्तव में, हम श्री पाती की दलील से सहमत हैं कि वास्तविक दस्तावेजों को आपराधिक मामले को दर्ज करने के पूर्व साबित करना आवश्यक है और मृतका द्वारा उसमें किए गए कथन को, इस मामले में साबित नहीं किया गया है । इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने मृतका की हत्या करने के लिए दोषसिद्ध अभियुक्त की ओर से हेतु को साबित किया हो । वस्तुत: श्री पाती ने यह भी दलील दी है कि यह एक ऐसा कार्य था जिसे अभियुक्त द्वारा आपस में छोटा-मोटा झगड़ा होने के कारण क्षणभर में अंजाम दिया गया था । इस तथ्य के बारे में अभि. सा. 7 द्वारा कथन भी किया गया है । उसने यह कथन किया है कि उसके पिता और माता दोनों एक दूसरे से झगड़ते रहते थे और इस कार्यवाही में उसके पिता उसकी माता की छाती पर बैठ गया और उसका गला दबा दिया । उसने यह नहीं कहा है कि वहां पर उसकी माता की मृत्यु हो गई थी । परंतु

जब उसने अपनी माता को पुकारा तब उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इसका प्रभाव यह है कि उसकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई थी । चूंकि अभियोजन पक्ष द्वारा बताए गए हेतु के बारे में साक्ष्य में कमी है और यह कार्य पति-पत्नी के बीच छोटे से झगड़े के कारण क्षणभर में अभियुक्त द्वारा किया गया था । हमारी यह राय है कि अपीलार्थी का हत्या के अपराध को करने के लिए कोई अध्यपेक्षित आपराधिक मन:स्थिति नहीं रही थी । परंतु वह गर्दन दबाने की अपनी कार्यवाही के बारे में यह जानता था कि ऐसी शारीरिक क्षति किए जाने पर जिससे ऐसी शारीरिक क्षति कारित की जाएगी जिससे मृतका की मृत्यु हो सकती है, इसलिए, संहिता की धारा 302 के अधीन उसे दोषसिद्ध करने के बजाय हमारी यह राय है कि उसे संहिता की धारा 304 भाग-I के अधीन हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध के लिए दोषसिद्ध किया जाना चाहिए ।

9. तद्नुसार, हम संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि को भागत: संहिता की धारा 304 भाग-I के अधीन दोषसिद्धि में परिवर्तित करते हैं और 10 वर्ष के कठोर कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट करते हैं । चूंकि अपीलार्थी एक गरीब व्यक्ति है और अपना वकील नियुक्त करने में असमर्थ है जिसके लिए राज्य द्वारा श्री पाती को नियुक्त किया गया है जिससे कि वह मामले में दलील दे । हम उस पर कोई जुर्माना अधिरोपित नहीं करते हैं ।

यू. टी. पी. के रूप में भोगी गई अवधि को दोषसिद्धि से मुजरा किया जाता है ।

तद्नुसार, अपील का निपटारा किया जाता है ।

हम इस अपील के निपटारे के लिए श्री एम. के. पाती द्वारा की गई सहायता का मूल्यांकन करके अभिलेख पर इस बात को रखते हैं ।

निचले न्यायालय के अभिलेखों को तत्काल वापस किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

टॉम पी. जे. उर्फ जॉर्ज

बनाम

केरल राज्य

(2014 की दांडिक अपील सं. 260)

तारीख 11 अप्रैल, 2019

न्यायमूर्ति ए. एम. शफीक और न्यायमूर्ति अशोक मेनन

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 118] – हत्या – बाल साक्षी – साक्ष्य की विश्वसनीयता – अपीलार्थी की सीधे घटनास्थल से गिरफ्तारी – अपीलार्थी की मृतका के साथ निरन्तर नोंक-झोंक – बाल साक्षी का साक्ष्य देने हेतु सक्षम पाया जाना – बाल साक्षी का साक्ष्य न्यायालय को विश्वसनीय प्रतीत होता है और उसके साक्ष्य में कोई भी अतिश्योक्ति या सुधार नहीं पाया गया है, अतः न्यायालय ऐसे साक्ष्य का अवलंब ले सकता है और अपीलार्थी की दोषसिद्धि उचित है ।

अभियुक्त और उसकी पत्नी जौली अपने तीन अप्राप्तवय बच्चों के साथ अभि. सा. 18 के मकान में किराए पर रहते थे जो उसने अभियुक्त को पट्टे पर दे रखा था । अभियुक्त शराब पीता था और घर पर नशे की हालत में ही वापस आया करता था और अपनी पत्नी के साथ झगड़ा किया करता था । तारीख 1 दिसंबर, 2009 को अपराह्न लगभग 10 बजे मृतका के देवर (अभि. सा. 2) को अभिकथित रूप से अभियुक्त के भाई (अभि. सा. 5) से एक कॉल प्राप्त हुई जिसमें अभि. सा. 5 ने उसे बताया कि उसे मृतका ने फोन पर बताया है कि अभियुक्त मृतका के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और तुरन्त घर वापस आने की प्रार्थना की । चूंकि अभि. सा. 5 यात्रा पर था इसलिए उसने अभि. सा. 2 से अपने भाई के यहां जाकर स्थिति को समझने के लिए कहा । अभि. सा. 2 तत्काल ही अभि. सा. 3 तथा एक अन्य व्यक्ति अर्थात् जोस को लेकर घटनास्थल पर पहुंचा । जब वे अभियुक्त के निवास पर पहुंचे तब घर

का द्वार आधा खुला हुआ था और उन्होंने अभियुक्त को उसके हाथ में मूसल लिए हुए देखा । मृतक और उसके बच्चे चटाई पर बैठे हुए थे । अभि. सा. 2 ने मकान में प्रवेश करने का प्रयास किया किन्तु अभियुक्त ने उसे तथा अन्य व्यक्तियों को धमकी देकर रोक दिया । इसके पश्चात् उसने देखा कि अभियुक्त ने मूसल (तात्विक वस्तु-1) से मृतका के सिर के पीछे की ओर वार किया । इसके पश्चात् अभियुक्त ने दरवाजा बंद कर दिया । अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 द्वारा की गई चीख-पुकार की आवाज सुनकर पड़ोसी एकत्र हो गए, पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस अभियुक्त के निवास पर आ गई और दरवाजा खोलकर अभियुक्त को अभिरक्षा में ले लिया । अभि. सा. 2 ने बच्चों को अपने साथ ले लिया और मृतका को अस्पताल ले जाने के पूर्व वह बच्चों को अपने घर पर छोड़ आया, अस्पताल में मृतका को मृत घोषित कर दिया गया । अभि. सा. 1 मृतका और अभियुक्त का सबसे बड़ा पुत्र है । घटना के समय उसकी आयु मात्र 5 वर्ष और न्यायालय में परीक्षा के समय 9 वर्ष थी । बच्चे की समझबूझ की परख करने के पश्चात् विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने उसे साक्ष्य देने के लिए सक्षम पाया और उस बच्चे की सशपथ परीक्षा कराई । अभि. सा. 1 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि शोर सुनकर उसकी आंख खुली और उसने देखा कि उसके पिता ने उसकी माता पर मूसल से वार किया है । इस साक्षी ने अभि. सा. 2 के घटनास्थल पर पहुंचने और उससे तथा उसके भाई-बहिन से बात करने के संबंध में भी साक्ष्य दिया है । अभि. सा. 4 मृतका का पिता है जो केरल से बाहर गया हुआ था और उसे लगभग अपराह्न साढ़े आठ बजे अपनी पुत्री (मृतका) से एक कॉल प्राप्त हुई थी जिसमें मृतका ने अभियुक्त के बारे में अपनी आशंका व्यक्त की और अभि. सा. 4 ने यह जानकारी घर के अन्य सदस्यों को भी दी । पुलिस के पहुंचने के पश्चात् अभि. सा. 2 और अभि. सा. 6 की मौजूदगी में मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 2) तैयार की गई । अभि. सा. 8 और अभि. सा. 9 की मौजूदगी में इस घटना से संबंधित महाजर (प्रदर्श पी. 3) भी तैयार की गई । महाजर (प्रदर्श पी. 3) के अनुसार मूसल (तात्विक वस्तु-1) को अभिगृहीत किया गया । अभियुक्त को पुलिस थाने ले जाया गया और पुलिस थाना राजपुरम के हैड कांस्टेबल (अभि. सा. 10) तथा पुलिस

निरीक्षक (अभि. सा. 11) ने गिरफ्तारी के समय अभियुक्त द्वारा पहनी हुई कमीज (तात्विक वस्तु-2) और लुंगी (तात्विक वस्तु-3) अभिगृहीत किए जाने के संबंध में साक्ष्य दिया है । अभि. सा. 12 द्वारा शव के फोटो (प्रदर्श 5) खींचे गए । इसी पुलिस थाने से संबद्ध महिला पुलिस कांस्टेबल (अभि. सा. 13) द्वारा शव शवपरीक्षण के लिए ले जाया गया । ग्राम पंचायत कार्यालय के हैड क्लर्क द्वारा प्रमाणित स्वामित्व प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी. 6) से यह उपदर्शित होता है कि जिस मकान में घटना घटित हुई है वह अभि. सा. 18 का है । ग्राम अधिकारी (अभि. सा. 15) ने स्थल-नक्शा (प्रदर्श पी. 7) तैयार किया । अभि. सा. 2 द्वारा दिया गया कथन (प्रदर्श पी. 1) पुलिस उप निरीक्षक (अभि. सा. 16) द्वारा अभिलिखित किया गया था और इसी साक्षी ने अगले दिन पूर्वाह्न लगभग 8 बजे दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध सं. 139/09 के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 8) दर्ज की । अभियुक्त विचारण किया गया और उसे दंड संहिता की धारा 302 के अधीन हत्या के अपराध का दोषी पाया । इस आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रतिरक्षा पक्ष के काउंसेल ने अभियोजन पक्षकथन में आई कतिपय कमियों की ओर इशारा किया है जो उनके अनुसार दोषसिद्धि में हस्तक्षेप किए जाने के लिए पर्याप्त है । विद्वान् काउंसेल ने यह बताया है कि अभियोजन पक्षकथन के अनुसार अभि. सा. 2 को अभियुक्त और मृतका के बीच हो रहे झगड़े की सूचना अभि. सा. 5 से प्राप्त हुई थी और अभि. सा. 5 ने भी यह साक्ष्य दिया है कि उसने इस झगड़े की सूचना अभि. सा. 2 को दी थी । तथापि, अभि. सा. 2 ने यह साक्ष्य दिया है कि मृतका ने स्वयं अपनी आशंका के संबंध में उसे बताया था । इस साक्षी ने अभि. सा. 5 से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त किए जाने के संबंध में साक्ष्य नहीं दिया है जो विद्वान् काउंसेल के अनुसार अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक है । यह सत्य है कि अभि. सा. 2 ने मृतका द्वारा सूचना दिए जाने के संबंध में साक्ष्य तो दिया है किन्तु अभि. सा. 2 की प्रतिपरीक्षा के दौरान उससे ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है कि उसे यह सूचना अभि. सा. 5 से प्राप्त हुई थी ।

अभि. सा. 2 से ऐसा प्रश्न न पूछने पर यह नहीं कहा जा सकता है कि उसका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है । यह तथ्य कि अभि. सा. 2 को सूचना प्राप्त होने के संबंध में कुछ विरोधाभास है, अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक नहीं है क्योंकि अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 ने घटना के संबंध में साक्ष्य दिया है और वे इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं । अभि. सा. 1 अत्यंत महत्वपूर्ण साक्षी है जो कोई और नहीं अपितु अभियुक्त का बड़ा भाई है । यद्यपि, घटना के समय उसकी आयु पांच वर्ष थी, फिर भी उसने अपने पिता को अपनी माता पर तात्विक वस्तु-1 से वार करने के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य दिया है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभि. सा. 1 के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वह एक बालक है और चूंकि अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह साक्ष्य दिया है कि वह आमतौर पर अपराह्न 8.30 बजे सोता है, इसलिए, इस बात की बहुत कम संभावना रह जाती है कि उसने घटना देखी हो और इस साक्षी ने जो कुछ न्यायालय के समक्ष कहा है वह केवल अभि. सा. 2 द्वारा सिखाए पढ़ाए जाने का परिणाम है । विद्वान् काउंसेल ने अभि. सा. 1 की प्रतिपरीक्षा की ओर भी ध्यान दिलाया है जिसमें इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसके सोने जाने के पूर्व अभि. सा. 2 घर पर ही था । अभि. सा. 2 मृतका के घर पर अपराह्न 8.30 बजे अर्थात् अभि. सा. 1 के सो जाने के पूर्व पहुंचा था या उसके पश्चात्, यह महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि अभि. सा. 1 ने स्पष्ट रूप से यह बता दिया है कि उसकी आंख उसके माता-पिता के झगड़े की आवाज से खुली थी और इसके पश्चात् उसने अपनी माता पर पति द्वारा हमला होते हुए देखा । हम पिता के विरुद्ध उसके पुत्र द्वारा दिए गए परिसाक्ष्य को अनदेखा नहीं कर सकते । इस मामले में अभि. सा. 1 का साक्ष्य स्वतःस्फूर्त और आत्मविश्वासी है । इस साक्षी की बुद्धिमत्ता की परख विद्वान् विचारण न्यायाधीश द्वारा की गई है और इसे साक्ष्य देने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम पाया गया है । बाल साक्षी के अभिसाक्ष्य की संपुष्टि किया जाना आवश्यक हो सकता है किन्तु यदि उसका अभिसाक्ष्य न्यायालय को विश्वसनीय प्रतीत होता है और उसके साक्ष्य में कोई भी अतिश्योक्ति या सुधार नहीं पाया जाता है, तब

न्यायालय ऐसे साक्ष्य का अवलंब ले सकता है । वर्तमान मामले में बाल साक्षी अर्थात् अभि. सा. 1 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि उसके पिता ने उसकी माता पर तात्विक वस्तु-1 से वार किया है । इस साक्षी का साक्ष्य उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान भी डगमगाया नहीं है । कोई भी बालक जिसने अपने पिता या किसी व्यक्ति द्वारा अपनी माता पर हमला होने जैसी भयावह घटना देखेगा, वह ऐसी घटना को कभी भी भूल नहीं सकता और हमारा यह विश्वास नहीं है कि जिस साक्षी का परिसाक्ष्य किसी बालक की मात्र एक कल्पना है । अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि पहला कथन अभिलिखित किए जाने तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किए जाने के बीच विलंब है । पुलिस को रात में सूचना प्राप्त हो गई थी और अपराह्न 11.45 बजे अस्पताल से पुलिस थाने संसूचना (प्रदर्श पी. 16) भेज दी गई थी और वे भी घटनास्थल पर तत्काल पहुंच गए थे । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि इस बात का कोई कारण नहीं है कि अगले दिन अभि. सा. 2 का कथन अभिलिखित करने के लिए वे अपराह्न 8 बजे तक प्रतीक्षा करते । अभियुक्त को अगले दिन अपराह्न 5.30 बजे गिरफ्तार किया गया था । विद्वान् काउंसेल का यह भी तर्क है कि यदि इन सब कमियों पर एक साथ विचार किया जाए तब अभियोजन पक्षकथन निश्चित रूप से कमजोर हो जाता है । यह तथ्य कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब है, इस मामले के लिए अधिक घातक नहीं है । पुलिस ने अभियुक्त को घटनास्थल से पकड़ा है । प्रथम सूचना देने वाला अभि. सा. 2 मृतका के साथ अस्पताल गया था । अगले दिन प्रातःकाल ही इस साक्षी का कथन अभिलिखित किया गया था । अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 19) से उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस संबंध में प्रश्न नहीं किया गया है कि वह इस स्थिति को स्पष्ट कर पाता कि विलंब क्यों हुआ । अभि. सा. 16 पुलिस उपनिरीक्षक है जिसने अभि. सा. 2 का कथन अभिलिखित करने के पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की थी । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि रात की ड्यूटी करने वाले पुलिस अधिकारी रात में ही घटनास्थल पर गए थे । किन्तु अभि. सा. 2 का कथन अभिलिखित

करने के लिए वह पुलिस थाने अगले दिन अपराह्न 8 बजे ही आया था । इन बातों को ऐसी खामियों की श्रृंखला नहीं माना जा सकता जिसके आधार पर अभियोजन पक्षकथन को निष्फल किया जा सके । प्रदर्श 16 से यह दर्शित होता है कि तारीख 1 दिसंबर, 2009 को अपराह्न 11.45 बजे जिला अस्पताल में संसूचना तैयार की गई थी । जब यह संसूचना पुलिस थाने भेजी गई, तब किसी भी पुलिस अधिकारी को इस बारे में नहीं बताया गया था । प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 19 या अभि. सा. 16 से इस संबंध में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है । इसीलिए, यह तर्क देना कि पुलिस ने प्रदर्श पी. 16 के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज नहीं की है, अधिक महत्वपूर्ण नहीं है । विद्वान् काउंसेल द्वारा इंगित किए गए सभी पहलुओं पर गहराई से विचार करने के पश्चात् हमारा यह निष्कर्ष है कि अभियुक्त के विरुद्ध किए गए मूल अभिकथन इन कमियों से किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होते हैं । अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 ने घटना के प्रत्यक्षदर्शी होने के संबंध में मौखिक साक्ष्य दिया है । इन साक्षियों के परिसाक्ष्यों का त्यक्त करने का कोई भी विधिमान्य कारण नहीं है । अभियोजन पक्ष ने यह साबित कर दिया है कि अभियुक्त मृतका के साथ निरन्तर झगड़ा किया करता था । वैज्ञानिक साक्ष्य से भी अभियुक्त के दोषी होने का संकेत मिलता है । इन सब बातों पर संचयी रूप से विचार करने पर हमारा यह मत है कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी ठहराने का निष्कर्ष निकालकर न्यायोचित किया है । हमें विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने की या कोई भी परिवर्तन करने का कोई भी कारण दिखाई नहीं देता है । पारित किया गया दंडादेश अभियुक्त के कृत्य से पूरी तरह मेल खाता है । (पैरा 9, 10, 12, 13 और 14)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2011] (2011) 4 एस. सी. सी. 786 =
2011 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1956 :
मध्य प्रदेश राज्य बनाम **रमेश** । 10

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2014 की दांडिक अपील सं. 260.

2000 के सेशन विचारण मामला सं. 329 में अपर जिला और सेशन न्यायालय, कसरागौड द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री पी. के वर्गीज, पी. पी. बीजू और रोहित

प्रत्यर्थी की ओर से श्री एस. यू. नजर (लोक अभियोजक)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अशोक मेनन ने दिया ।

न्या. मेनन – 2000 के सेशन विचारण मामला सं. 329 में अपर जिला और सेशन न्यायालय, कसरागौड द्वारा पारित दोषसिद्धि के उस निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी को अपनी पत्नी की हत्या के लिए दोषसिद्ध किया गया और अपीलार्थी ने यह अपराध पत्नी के सिर पर मूसल (तात्विक वस्तु-1) से वार कर ऐसी क्षति कारित की जो शव परीक्षा करने वाले पुलिस शल्य-चिकित्सक (अभि. सा. 17) के अनुसार प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने हेतु पर्याप्त थी और उसे इस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास और 25,000/- रुपए जुर्माने से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त 6 मास के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया । मृतका को शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 9) के अनुसार निम्न क्षतियां कारित हुईं :–

> "1. 11 सेमी. × 4 सेमी. माप का विदीर्ण घाव जिसकी दिशा उर्ध्वाधर है और सिर के ऊपर भाग के पीछे की ओर है और घाव का निचला भाग अनुकपाल तक है । करोटि में अस्थिभंग है जो अनुकपाल बाईं कपोलास्थि और बाईं पार्श्वकपालास्थि तक फैला हुआ है । मध्य तल की संधि रेखा के निकट कोरोनल और लेम्वॉयड के बीच अस्थिभंग है । मध्य क्रेनियल फोसा के तल में अस्थिभंग है जो अश्म-कपोलास्थि तक फैला हुआ है । मस्तिष्क की

बाहरी झिल्ली अनियमित रूप से विदीर्ण है । मस्तिष्क का गुदा बाहर निकला हुआ है जो सिर के बालों में चिपका हुआ है । मस्तिष्क में द्विपार्श्विक उपखालतानिका में रक्तस्राव है, दाईं कपालास्थि और ललाट के दाईं ओर अस्थिभंग है । बाईं कपालास्थि और बाईं अनुकपालास्थि पर अनियमित विदीर्ण घाव हैं । अनुमस्तिष्कीय गोलाई विदीर्ण हैं ।

2. नाक पर 0.7 सेमी. × 0.5 सेमी. माप की खरोंच है जो ऊपरी सिरे से 1.5 सेमी. नीचे की ओर है ।

3. बाएं नेत्र के नीचे 2 सेमी. की दूरी पर 1 सेमी. × 0.5 सेमी. माप की खरोंच ।

4. मध्य रेखा के दाईं ओर 2 सेमी. की दूरी पर ठोड़ी में 2 सेमी. × 1 सेमी. माप का गुमटा है ।

5. निचले ओष्ट के भीतर की ओर कई छोटे-छोटे गुमटे हैं और उपरिष्ठ विदीर्ण घाव हैं जो ऊपरी जबड़े के दांतों के अनुवर्ती है ।

6. दाएं वक्ष के सामने की ओर ऊपरी भाग में 11 सेमी. × 10 सेमी. माप का खरोंचदार गुमटा है । पसलियां क्षति-रहित हैं ।

7. बाएं कन्धे के ऊपर की ओर 3.5 सेमी. × 1.5 सेमी. माप का गुमटा है ।"

2. अभियोजन पक्षकथन के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं :–

अभियुक्त और उसकी पत्नी जौली अपने तीन अप्राप्तवय बच्चों के साथ अभि. सा. 18 के मकान में किराए पर रहते थे जो उसने अभियुक्त को पट्टे पर दे रखा था । अभियुक्त शराब पीता था और घर पर नशे की हालत में ही वापस आया करता था और अपनी पत्नी के साथ झगड़ा किया करता था । तारीख 1 दिसंबर, 2009 को अपराह्न लगभग 10 बजे मृतका के देवर (अभि. सा. 2) को अभिकथित रूप से अभियुक्त के भाई (अभि. सा. 5) से एक कॉल प्राप्त की जिसमें अभि. सा. 5 ने उसे

बताया कि उसे मृतका ने फोन पर बताया है कि अभियुक्त मृतका के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और तुरन्त घर वापस आने की प्रार्थना की । चूंकि अभि. सा. 5 यात्रा पर था इसलिए उसने अभि. सा. 2 से अपने भाई के यहां जाकर स्थिति को समझने के लिए कहा । अभि. सा. 2 तत्काल ही अभि. सा. 3 तथा एक अन्य व्यक्ति अर्थात् जोस को लेकर घटनास्थल पर पहुंचा । जब वे अभियुक्त के निवास पर पहुंचे तब घर का द्वार आधा खुला हुआ था और उन्होंने अभियुक्त को उसके हाथ में मूसल लिए हुए देखा । मृतक और उसके बच्चे चटाई पर बैठे हुए थे । अभि. सा. 2 ने मकान में प्रवेश करने का प्रयास किया किन्तु अभियुक्त ने उसे तथा अन्य व्यक्तियों को धमकी देकर रोक दिया । इसके पश्चात् उसने देखा कि अभियुक्त ने मूसल (तात्विक वस्तु-1) से मृतका के सिर के पीछे की ओर वार किया । इसके पश्चात् अभियुक्त ने दरवाजा बंद कर दिया । अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 द्वारा की गई चीख-पुकार की आवाज सुनकर पड़ोसी एकत्र हो गए, पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस अभियुक्त के निवास पर आ गई और दरवाजा खोलकर अभियुक्त को अभिरक्षा में ले लिया । अभि. सा. 2 ने बच्चों को अपने साथ ले लिया और मृतका को अस्पताल ले जाने के पूर्व वह बच्चों को अपने घर पर छोड़ आया, अस्पताल में मृतका को मृत घोषित कर दिया गया ।

3. अभि. सा. 1 मृतका और अभियुक्त का सबसे बड़ा पुत्र है । घटना के समय उसकी आयु मात्र 5 वर्ष और न्यायालय में परीक्षा के समय 9 वर्ष थी । बच्चे की समझबूझ की परख करने के पश्चात् विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने उसे साक्ष्य देने के लिए सक्षम पाया और उस बच्चे की सशपथ परीक्षा कराई । अभि. सा. 1 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि शोर सुनकर उसकी आंख खुली और उसने देखा कि उसके पिता ने उसकी माता पर मूसल से वार किया है । इस साक्षी ने अभि. सा. 2 के घटनास्थल पर पहुंचने और उससे तथा उसके भाई-बहिन से बात करने के संबंध में भी साक्ष्य दिया है । अभि. सा. 4 मृतका का पिता है जो केरल से बाहर गया हुआ था और उसे लगभग अपराह्न साढ़े आठ बजे अपनी पुत्री (मृतका) से एक कॉल प्राप्त हुई थी जिसमें मृतका

ने अभियुक्त के बारे में अपनी आशंका व्यक्त की और अभि. सा. 4 ने यह जानकारी घर के अन्य सदस्यों को भी दी ।

4. पुलिस के पहुंचने के पश्चात् अभि. सा. 2 और अभि. सा. 6 की मौजूदगी में मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 2) तैयार की गई । अभि. सा. 8 और अभि. सा. 9 की मौजूदगी में इस घटना से संबंधित महाजर (प्रदर्श पी. 3) भी तैयार की गई । महाजर (प्रदर्श पी. 3) के अनुसार मूसल (तात्विक वस्तु-1) को अभिगृहीत किया गया । अभियुक्त को पुलिस थाने ले जाया गया और पुलिस थाना राजपुरम के हैड कांस्टेबल (अभि. सा. 10) तथा पुलिस निरीक्षक (अभि. सा. 11) ने गिरफ्तारी के समय अभियुक्त द्वारा पहनी हुई कमीज (तात्विक वस्तु - 2) और लुंगी (तात्विक वस्तु - 3) अभिगृहीत किए जाने के संबंध में साक्ष्य दिया है । अभि. सा. 12 द्वारा शव के फोटो (प्रदर्श 5) खींचे गए । इसी पुलिस थाने से संबद्ध महिला पुलिस कांस्टेबल (अभि. सा. 13) द्वारा शव शवपरीक्षण के लिए ले जाया गया । ग्राम पंचायत कार्यालय के हैड क्लर्क द्वारा प्रमाणित स्वामित्व प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी. 6) से यह उपदर्शित होता है कि जिस मकान में घटना घटित हुई है वह अभि. सा. 18 का है । ग्राम अधिकारी (अभि. सा. 15) ने स्थल-नक्शा (प्रदर्श पी. 7) तैयार किया । अभि. सा. 2 द्वारा दिया गया कथन (प्रदर्श पी. 1) पुलिस उप निरीक्षक (अभि. सा. 16) द्वारा अभिलिखित किया गया था और इसी साक्षी ने अगले दिन पूर्वाह्न लगभग 8 बजे दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध सं. 139/09 के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 8) दर्ज की ।

5. अभि. सा. 19 अन्वेषण अधिकारी है जिसने सम्पूर्ण अन्वेषण किया है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है । मृतका द्वारा पहने गए वस्त्र तात्विक वस्तु-4 और तात्विक वस्तु-5 तथा घटनास्थल से प्राप्त की गई रक्तरंजित मिट्टी (तात्विक वस्तु-6) और मूसल (तात्विक वस्तु-1) को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रदर्श पी. 12 के अनुसार तैयार की गई सूची के साथ प्रस्तुत किया गया और उसके साथ एक आवेदन (प्रदर्श पी. 13) भी संलग्न किया गया जिसमें इन सभी वस्तुओं की परीक्षा न्यायालयिक प्रयोगशाला द्वारा कराए जाने का निवेदन किया गया । अभि. सा. 19 ने अभियुक्त को गिरफ्तारी ज्ञापन (प्रदर्श पी. 11) के अनुसार औपचारिक

रूप में गिरफ्तार किया और उसको सर्वेक्षणाधीन रखा । अन्वेषण अधिकारी ने घटनास्थल के फोटो खींचवाये जो प्रदर्श. 14 हैं । पुलिस को अस्पताल से संसूचना (प्रदर्श पी. 16) प्राप्त हुई जहां मृतका को ले जाया गया था ।

6. न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पी. 15 है जिसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि तात्विक वस्तु-4 और तात्विक वस्तु-5 अर्थात् मृतका द्वारा पहने गए वस्त्रों को छोड़कर सभी वस्तुओं पर मानव-रक्त पाया गया ।

7. अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात् अभियुक्त की परीक्षा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन कराई गई । अभियुक्त ने अपनी परीक्षा के दौरान पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यह बताया कि अभि. सा. 2 और उसका साथी उसके घर में आए और हंगामा करने लगे जिसके परिणामस्वरूप उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 232 के अधीन दोषमुक्ति के लिए उचित मामला नहीं है और न्यायालय ने अभियुक्त से अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा । अभियुक्त की ओर से कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया । इसके पश्चात्, न्यायालय ने अभियुक्त को ऊपर कथित रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया ।

8. हमने अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल और राज्य की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ लोक अभियोजक श्री एस. यू. नजर को सुना है । हमने अभिलेख का परिशीलन भी किया है ।

9. प्रतिरक्षा पक्ष के काउंसेल ने अभियोजन पक्षकथन में आई कतिपय कमियों की ओर इशारा किया है जो उनके अनुसार दोषसिद्धि में हस्तक्षेप किए जाने के लिए पर्याप्त है । विद्वान् काउंसेल ने यह बताया है कि अभियोजन पक्षकथन के अनुसार अभि. सा. 2 को अभियुक्त और मृतका के बीच हो रहे झगड़े की सूचना अभि. सा. 5 से प्राप्त हुई थी और अभि. सा. 5 ने भी यह साक्ष्य दिया है कि उसने इस झगड़े की सूचना अभि. सा. 2 को दी थी । तथापि, अभि. सा. 2 ने यह साक्ष्य

दिया है कि मृतका ने स्वयं अपनी आशंका के संबंध में उसे बताया था । इस साक्षी ने अभि. सा. 5 से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त किए जाने के संबंध में साक्ष्य नहीं दिया है जो विद्वान् काउंसेल के अनुसार अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक है । यह सत्य है कि अभि. सा. 2 ने मृतका द्वारा सूचना दिए जाने के संबंध में साक्ष्य तो दिया है किन्तु अभि. सा. 2 की प्रतिपरीक्षा के दौरान उससे ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है कि उसे यह सूचना अभि. सा. 5 से प्राप्त हुई थी । अभि. सा. 2 से ऐसा प्रश्न न पूछने पर यह नहीं कहा जा सकता है कि उसका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है । यह तथ्य कि अभि. सा. 2 को सूचना प्राप्त होने के संबंध में कुछ विरोधाभास है, अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक नहीं है क्योंकि अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 ने घटना के संबंध में साक्ष्य दिया है और वे इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं ।

10. अभि. सा. 1 अत्यंत महत्वपूर्ण साक्षी है जो कोई और नहीं अपितु अभियुक्त का बड़ा भाई है । यद्यपि, घटना के समय उसकी आयु पांच वर्ष थी, फिर भी उसने अपने पिता को अपनी माता पर तात्विक वस्तु-1 से वार करने के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य दिया है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभि. सा. 1 के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वह एक बालक है और चूंकि अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह साक्ष्य दिया है कि वह आमतौर पर अपराह्न 8.30 बजे सोता है, इसलिए, इस बात की बहुत कम संभावना रह जाती है कि उसने घटना देखी हो और इस साक्षी ने जो कुछ न्यायालय के समक्ष कहा है वह केवल अभि. सा. 2 द्वारा सिखाए पढ़ाए जाने का परिणाम है । विद्वान् काउंसेल ने अभि. सा. 1 की प्रतिपरीक्षा की ओर भी ध्यान दिलाया है जिसमें इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसके सोने जाने के पूर्व अभि. सा. 2 घर पर ही था । अभि. सा. 2 मृतका के घर पर अपराह्न 8.30 बजे अर्थात् अभि. सा. 1 के सो जाने के पूर्व पहुंचा था या उसके पश्चात्, यह महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि अभि. सा. 1 ने स्पष्ट रूप से यह बता दिया है कि उसकी आंख उसके माता-पिता के झगड़े की आवाज से खुली थी और इसके पश्चात् उसने अपनी माता पर पति द्वारा हमला होते हुए देखा । हम पिता के

उसके पुत्र द्वारा दिए गए परिसाक्ष्य को अनदेखा नहीं कर सकते । इस मामले में अभि. सा. 1 का साक्ष्य स्वतःस्फूर्त और आत्मविश्वासी है । इस साक्षी की बुद्धिमत्ता की परख विद्वान् विचारण न्यायाधीश द्वारा की गई है और इसे साक्ष्य देने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम पाया गया है । बाल साक्षी के अभिसाक्ष्य की संपुष्टि किया जाना आवश्यक हो सकता है किन्तु यदि उसका अभिसाक्ष्य न्यायालय को विश्वसनीय प्रतीत होता है और उसके साक्ष्य में कोई भी अतिश्योक्ति या सुधार नहीं पाया जाता है, तब न्यायालय ऐसे साक्ष्य का अवलंब ले सकता है । (**मध्य प्रदेश राज्य** बनाम **रमेश**[1] वाला मामला देखिए ।) वर्तमान मामले में बाल साक्षी अर्थात् अभि. सा. 1 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि उसके पिता ने उसकी माता पर तात्विक वस्तु-1 से वार किया है । इस साक्षी का साक्ष्य उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान भी डगमगाया नहीं है । कोई भी बालक जिसने अपने पिता या किसी व्यक्ति द्वारा अपनी माता पर हमला होने जैसी भयावह घटना देखेगा, वह ऐसी घटना को कभी भी भूल नहीं सकता और हमारा यह विश्वास नहीं है कि जिस साक्षी का परिसाक्ष्य किसी बालक की मात्र एक कल्पना है ।

11. विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल ने अभि. सा. 2 के परिसाक्ष्य को अपवाद माना है जिसने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने अभियुक्त को पकड़ने के लिए दरवाजा खोला था । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि चूंकि दरवाजे बन्द थे, इसलिए अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 द्वारा घटना देखे जाने की संभावना बहुत कम है । अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 दोनों साक्षियों के परिसाक्ष्य में यह उल्लेख है कि जब वे घटनास्थल पर पहुंचे, घर का दरवाजा खुला हुआ था और उन्होंने घर के अन्दर प्रवेश करने का प्रयास किया था किन्तु उन्हें अभियुक्त द्वारा धमकी दी गई थी जिसके हाथ में तात्विक वस्तु-1 थी । इससे डर कर इन साक्षियों ने घर में प्रवेश नहीं किया और इसके तत्काल पश्चात् ही अभियुक्त ने मृतका के सिर के पीछे की ओर वार कर दिया । इस घटना के पश्चात् ही अभियुक्त ने दरवाजा बन्द कर लिया ।

---

[1] (2011) 4 एस. सी. सी. 786 = 2011 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1956.

12. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि पहला कथन अभिलिखित किए जाने तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किए जाने के बीच विलंब है । पुलिस को रात में सूचना प्राप्त हो गई थी और अपराह्न 11.45 बजे अस्पताल से पुलिस थाने संसूचना (प्रदर्श पी. 16) भेज दी गई थी और वे भी घटनास्थल पर तत्काल पहुंच गए थे । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि इस बात का कोई कारण नहीं है कि अगले दिन अभि. सा. 2 का कथन अभिलिखित करने के लिए वे अपराह्न 8 बजे तक प्रतीक्षा करते । अभियुक्त को अगले दिन अपराह्न 5.30 बजे गिरफ्तार किया गया था । विद्वान् काउंसेल का यह भी तर्क है कि यदि इन सब कमियों पर एक साथ विचार किया जाए तब अभियोजन पक्षकथन निश्चित रूप से कमजोर हो जाता है । यह तथ्य कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब है, इस मामले के लिए अधिक घातक नहीं है । पुलिस ने अभियुक्त को घटनास्थल से पकड़ा है । प्रथम सूचना देने वाला अभि. सा. 2 मृतका के साथ अस्पताल गया था । अगले दिन प्रातःकाल ही इस साक्षी का कथन अभिलिखित किया गया था । अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 19) से उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस संबंध में प्रश्न नहीं किया गया है कि वह इस स्थिति को स्पष्ट कर पाता कि विलंब क्यों हुआ । अभि. सा. 16 पुलिस उप निरीक्षक है जिसने अभि. सा. 2 का कथन अभिलिखित करने के पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की थी । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि रात की ड्यूटी करने वाले पुलिस अधिकारी रात में ही घटनास्थल पर गए थे । किन्तु अभि. सा. 2 का कथन अभिलिखित करने के लिए वह पुलिस थाने अगले दिन अपराह्न 8 बजे ही आया था ।

13. इन बातों को ऐसी खामियों की श्रृंखला नहीं माना जा सकता जिसके आधार पर अभियोजन पक्षकथन को निष्फल किया जा सके । प्रदर्श 16 से यह दर्शित होता है कि तारीख 1 दिसंबर, 2009 को अपराह्न 11.45 बजे जिला अस्पताल में संसूचना तैयार की गई थी । जब यह संसूचना पुलिस थाने भेजी गई, तब किसी भी पुलिस अधिकारी को इस बारे में नहीं बताया गया था । प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 19

या अभि. सा. 16 से इस संबंध में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है । इसीलिए, यह तर्क देना कि पुलिस ने प्रदर्श पी. 16 के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज नहीं की है, अधिक महत्वपूर्ण नहीं है ।

14. विद्वान् काउंसेल द्वारा इंगित किए गए सभी पहलुओं पर गहराई से विचार करने के पश्चात् हमारा यह निष्कर्ष है कि अभियुक्त के विरुद्ध किए गए मूल अभिकथन इन कमियों से किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होते हैं । अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 ने घटना के प्रत्यक्षदर्शी होने के संबंध में मौखिक साक्ष्य दिया है । इन साक्षियों के परिसाक्ष्यों को त्यक्त करने का कोई भी विधिमान्य कारण नहीं है । अभियोजन पक्ष ने यह साबित कर दिया है कि अभियुक्त मृतका के साथ निरन्तर झगड़ा किया करता था । वैज्ञानिक साक्ष्य से भी अभियुक्त के दोषी होने का संकेत मिलता है । इन सब बातों पर संचयी रूप से विचार करने पर हमारा यह मत है कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी ठहराने का निष्कर्ष निकालकर न्यायोचित किया है । हमें विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने की या कोई भी परिवर्तन करने का कोई भी कारण दिखाई नहीं देता है । पारित किया गया दंडादेश अभियुक्त के कृत्य से पूरी तरह मेल खाता है ।

परिणामतः, अपील खारिज की जाती है और निचले न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि और पारित दंडादेश की पुष्टि की जाती है । खर्चों के लिए कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

सपना नीलेश पटेल (श्रीमती)

बनाम

प्रवीन ईश्वरभाई पटेल और अन्य

(2015 का दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 64)

तारीख 3 मई, 2019

न्यायमूर्ति एम. जी. गिरटकर

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) – धारा 2(च), 3 और 20 – भरणपोषण का दावा – दावाकर्ता का पति संयुक्त कुटुम्ब का सदस्य है और अपने जीवनकाल के दौरान पटेल मंगल कार्यालय नामक एक कारबार की देखभाल करता था – दावाकर्ता के पति की मृत्यु के पश्चात् उसे संयुक्त कुटुम्ब की आय से वंचित होना पड़ा – दावाकर्ता के पास अन्य कोई आय का स्रोत न होने के कारण वह संयुक्त कुटुम्ब में आर्थिक दुरुपयोग की शिकार थी अतः न्यायालय द्वारा पटेल मंगल कार्यालय के कारबार का प्रत्यावर्तन मंजूर किए जाने वाला आदेश उचित है और वह अब तीस हजार रुपए प्रतिमाह के भरणपोषण की हकदार नहीं है ।

मामले का संक्षिप्त कथन इस प्रकार है कि मृतक ईश्वरभाई पटेल और शांतूभाई पटेल संयुक्त कुटुम्ब के सगे भाई थे । शांतूभाई की मृत्यु वर्ष 1975 में हुई । शांतूभाई के दो पुत्र अर्थात् निलेश और दिलीप थे । आवेदक सपना निलेश की विधवा है, जिसकी मृत्यु तारीख 27 मार्च, 2010 को हुई । ईश्वरभाई पटेल के दो पुत्र अर्थात् प्रवीन और नितिन थे । शांतूभाई की मृत्यु के पश्चात्, उनके पुत्र निलेश और दिलीप की देखभाल ईश्वरभाई द्वारा की जा रही थी । वे संयुक्त कुटुम्ब गठित करते थे । आवेदक का संयुक्त कुटुम्ब कारबार था । आवेदक के पति मृतक निलेश पटेल मंगल कार्यालय के कारबार की देखरेख करते थे । आवेदक/सपना के पति की मृत्यु के पश्चात् इसका ग्रहण प्रत्यर्थी सं. 1/

प्रवीन पटेल द्वारा किया गया । इस प्रकार, उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं था । इसलिए, आवेदक/सपना द्वारा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अधीन आवेदन फाइल किया गया । यह 2014 के पी. डब्ल्यू. डी. डी. मामला सं. 3 के रूप में दर्ज किया गया । गढ़चिरौली के विद्वान् प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षकारों के साक्ष्य अभिलिखित किए और भागतः याचिका मंजूर की । प्रत्यर्थियों को तारीख 16 अक्तूबर, 2014 के आदेश की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर आवेदक/सपना पटेल को गढ़चिरौली के पटेल मंगल कार्यालय का कब्जा वापस देने का निर्देश दिया गया । तीस हजार रुपए के मासवार भरणपोषण के उसके दावे को खारिज किया गया । गैर-आवेदक सं. 1 प्रवीन पटेल ने आवेदक/सपना को पटेल मंगल कार्यालय का कब्जा वापस देने की चुनौती देते हुए 2014 की दांडिक अपील सं. 45 फाइल की । आवेदक/सपना ने तीस हजार रुपए प्रतिमास भरणपोषण की मंजूरी से इनकारी की चुनौती देते हुए 2014 की दांडिक अपील सं. 48 में जे. एम. एफ. सी. के विनिश्चय को चुनौती दी । यह पुनरीक्षण 2014 की दांडिक अपील सं. 45 और 2014 की दांडिक अपील सं. 48 में गढ़चिरौली के विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 18 अप्रैल, 2015 के एक ही निर्णय के विरुद्ध किया गया है । उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण आवेदन भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – इसमें कोई विवाद नहीं है कि संयुक्त कुटुम्ब था और यह संयुक्त कुटुम्ब संपत्ति है । आवेदक ने स्वयं और अन्य साक्षियों की परीक्षा करायी । उनके साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि उनके पति अपने जीवनकाल के दौरान पटेल मंगल कार्यालय की देखभाल कर रहे थे और यह उनका आय का एकमात्र स्रोत था । उनके पति की मृत्यु वर्ष 2010 में हुई । उनके ससुर और प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के पिता की संयुक्त कुटुम्ब सम्पत्तिधारक थे । उन लोगों ने गढ़चिरौली में भूमि खरीदी और संयुक्त कुटुम्ब संपत्ति की आय से पटेल मंगल कार्यालय का निर्माण किया । अभिलेख के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि निलेश के साथ प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 संयुक्त रूप से रह रहे थे । आवेदक के पति की

मृत्यु आवेदक और उसके पुत्र को छोड़कर तारीख 27 मार्च, 2010 को हुई । प्रत्यर्थी सं. 1 बड़ा पुत्र होने के कारण अपना कारबार आरम्भ किया और कुटुम्ब में कुछ मतभेद होने के कारण वर्ष 1999 में संयुक्त कुटुम्ब छोड़ दिया और स्वयं संयुक्त कुटुम्ब संपत्ति के उपार्जन की सहायता से विस्फोटक विनिर्माण, खनन पट्टा, खदान पट्टा आदि का लाइसेंस अभिप्राप्त कर कारबार करने लगा । पटेल मंगल कार्यालय का निर्माण ईश्वरभाई और शांतूभाई द्वारा संयुक्त रूप से खरीदी गई भूमि पर किया गया था । आवेदक के पति ईश्वरभाई से मतभेद होने के कारण संयुक्त कुटुम्ब से अलग हो गए और विवाह-हाल/पटेल मंगल कार्यालय के कारबार को देखना आरम्भ कर दिया था । आवेदक के पति, निलेश की मृत्यु के पश्चात् प्रत्यर्थी सं. 1/प्रवीन ने पटेल मंगल कार्यालय को अधिकार में ले लिया । इसमें कोई विवाद नहीं है कि सभी संयुक्त कुटुम्ब सम्पत्तियां प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 के कब्जे में हैं । इसमें कोई विवाद नहीं है कि आवेदक के पास कोई कारबार नहीं है । यद्यपि, प्रत्यर्थी सं. 1/प्रवीन ने यह कहा कि पटेल मंगल कार्यालय उसकी निजी संपत्ति है, प्रतिपरीक्षा में विनिर्दिष्ट स्वीकृति से स्पष्टतः यह दर्शित होता है कि पटेल मंगल कार्यालय संयुक्त कुटुम्ब संपत्ति है । आवेदक और उसके साक्षियों द्वारा पेश साक्ष्य के अनुसार, पटेल मंगल कार्यालय की देखभाल उसकी मृत्यु तक आवेदक के पति द्वारा किया जा रहा था । आवेदक की आय का यह एकमात्र स्रोत था जिससे वह पटेल मंगल कार्यालय की आय से वंचित है । यह महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के उपखंड (IV) के अधीन यथापरिभाषित आर्थिक दुरुपयोग है अतः, यह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन यथापरिभाषित घरेलू हिंसा है । आवेदक और प्रत्यर्थी संयुक्त रूप से रह रहे थे और उस तारीख तक स्वयं प्रत्यर्थी सं. 1 की स्वीकृति के अनुसार उनके संयुक्त कुटुम्ब संपत्ति का विभाजन नहीं हुआ है इसलिए, उद्धृत विनिश्चय इस मामले को लागू नहीं होता है । खंड (IV)(क) के अनुसार, सभी या किन्हीं आर्थिक या वित्तीय संसाधन जिनके लिए व्यथित व्यक्ति किसी विधि या रूढ़ि के अधीन हकदार है, का वंचन ..... आर्थिक दुरुपयोग है । इस मामले में, आवेदक के पास अपने पति के जीवनकाल के दौरान

पटेल मंगल कार्यालय से आय का एकमात्र स्रोत था । अपने पति की मृत्यु के पश्चात्, प्रत्यर्थी सं. 1 ने उक्त पटेल मंगल कार्यालय का कब्जा ग्रहण किया और आवेदक को पटेल मंगल कार्यालय के वित्तीय स्रोत से वंचित किया । अतः, यह आर्थिक दुरुपयोग के समान है । प्रत्यर्थी सं. 1 ने विनिर्दिष्ट रूप से यह स्वीकार किया कि पटेल मंगल कार्यालय संयुक्त कुटुम्ब संपत्ति है । उसके पास कई कारबार हैं । आवेदक की मृत्यु के पश्चात्, प्रत्यर्थी सं. 1 ने पटेल मंगल कार्यालय का कब्जा ग्रहण किया और आवेदक को आय के स्रोत से वंचित किया । प्रत्यर्थी सं. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि आवेदक के पति निलेश की मृत्यु के पश्चात् वह मृतक निलेश के कुटुम्ब सदस्य अर्थात् आवेदक और उसके पुत्र का भरणपोषण करने के लिए सहमत हुआ था । आवेदक के पास कोई आय का स्रोत नहीं है । वह आर्थिक दुरुपयोग से ग्रस्त है । विद्वान् जे. एम. एफ. सी. ने सभी साक्ष्यों पर विचार किया और उचित ही आवेदक/सपना को पटेल मंगल कार्यालय के कब्जे के प्रत्यावर्तन का अनुतोष प्रदान किया । पटेल मंगल कार्यालय के प्रत्यावर्तन के मंजूर होने के पश्चात्, आवेदक को प्रतिमास तीस हजार रुपए का भरणपोषण देने की कोई आवश्यकता नहीं है । विद्वान् जे. एम. एफ. सी. का निर्णय पूर्णतः वैध और सही है । (पैरा 7, 8, 10, 14, 16, 17 और 22)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2019]	2019 आल एम. आर. (क्रिमिनल) 511 = 2018 (3) ए. बी. आर. (क्रिमिनल) 692 : **रेखा बालासाहेब पाटिल** बनाम **श्रीमती दुर्गावती श्रीधर पाटिल और अन्य** ;	11
[2016]	2016 आल एम. आर. (क्रिमिनल) 414 : **ओम प्रकाश सिंघल और अन्य** बनाम **शिमला गर्ग** ;	12
[2016]	2016 आल. एम. आर. (क्रिमिनल) 1475 = 2015 (3) ए. बी. आर. (क्रिमिनल) 107 : **श्री दजवीप वी. पाटकर** बनाम **श्रीमती वीना डी. पाटकर** ;	18

[2016] 2016 आल एम. आर. (क्रिमिनल) 2291 = 2016 (1) ए. बी. आर. (क्रिमिनल) 590 :
धनंजय रामकिशन गायकवाड और अन्य बनाम **सुनन्दा धनंजय गायकवाड और एक अन्य** ; 20

[2015] 2015 (6) स्केल 219 = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 2605 :
शालिनी बनाम **किशोर और अन्य** ; 20

[2015] 2015 (2) महाराष्ट्र ला जर्नल (क्रिमिनल) 509 :
जुवेरिया अब्दुल माजिद पटनी बनाम **आतिफ इकबाल मन्सूरी और एक अन्य** ; 21

[2013] 2013 क्रिमिनल ला जर्नल 2182 (दिल्ली) :
हिमा चूग बनाम **प्रीतम अशोक सदाफुले और अन्य** ; 13

[2013] 2013 आल एम. आर. (क्रिमिनल) 145 :
2012 क्रिमिनल ला जर्नल 4106 :
गंगाधर प्रधान बनाम **रश्मिबाला प्रधान** ; 19

[2010] 2010 (118) डी. आर. जे. 520 = ए. आई. आर. 2011 (एन. ओ. सी.) 171 (दिल्ली) :
विजय वर्मा बनाम **राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली राज्य और एक अन्य** ; 12

[2010] 2010 (118) डी. आर. जे. 582 :
हरबंस लाल मलिक बनाम **पायल मलिक** । 13

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2015 की दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 64.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 401 के अधीन पुनरीक्षण ।

आवेदक की ओर से श्री वी. एन. मोरांडे

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री एस. वी. सिरपूरकर

आदेश

यह पुनरीक्षण 2014 की दांडिक अपील सं. 45 और 2014 की

दांडिक अपील सं. 48 में गढ़चिरौली के विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 18 अप्रैल, 2015 के एक ही निर्णय के विरुद्ध किया गया है ।

2. आवेदक/सपना विधवा निलेश पटेल का पक्षकथन संक्षेप में इस प्रकार है कि मृतक ईश्वरभाई पटेल और शांतूभाई पटेल संयुक्त कुटुम्ब के सगे भाई थे । शांतूभाई की मृत्यु वर्ष 1975 में हुई । शांतूभाई के दो पुत्र अर्थात् निलेश और दिलीप थे । आवेदक सपना निलेश की विधवा है, जिसकी मृत्यु तारीख 27 मार्च, 2010 को हुई । ईश्वरभाई पटेल के दो पुत्र अर्थात् प्रवीन और नितिन थे । शांतूभाई की मृत्यु के पश्चात्, उनके पुत्र निलेश और दिलीप की देखभाल ईश्वरभाई द्वारा की जा रही थी । वे संयुक्त कुटुम्ब गठित करते थे । आवेदक का संयुक्त कुटुम्ब कारबार था । आवेदक के पति मृतक निलेश पटेल मंगल कार्यालय के कारबार की देखरेख करते थे । आवेदक/सपना के पति की मृत्यु के पश्चात् इसका ग्रहण प्रत्यर्थी सं. 1/प्रवीन पटेल द्वारा किया गया । इस प्रकार, उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं था । इसलिए, आवेदक/सपना द्वारा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम (इसमें इसके पश्चात् महिला संरक्षण अधिनियम कहा गया है) की धारा 12 के अधीन आवेदन फाइल किया गया । यह 2014 के पी. डब्ल्यू. डी. डी. मामला सं. 3 के रूप में दर्ज किया गया ।

3. गढ़चिरौली के विद्वान् प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षकारों के साक्ष्य अभिलिखित किए और भागतः याचिका मंजूर की । प्रत्यर्थियों को तारीख 16 अक्तूबर, 2014 के आदेश की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर आवेदक/सपना पटेल को गढ़चिरौली के पटेल मंगल कार्यालय का कब्जा वापस देने का निर्देश दिया गया । तीस हजार रुपए के मासवार भरणपोषण के उसके दावे को खारिज किया गया । गैर-आवेदक सं. 1 प्रवीन पटेल ने आवेदक/सपना को पटेल मंगल कार्यालय का कब्जा वापस देने की चुनौती देते हुए 2014 की दांडिक अपील सं. 45 फाइल की । आवेदक/सपना ने तीस हजार रुपए प्रतिमास भरणपोषण की मंजूरी से इनकारी की चुनौती देते हुए 2014 की दांडिक अपील सं. 48 में जे. एम. एफ. सी. के विनिश्चय को चुनौती दी ।

4. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री वी. एन. मोरांडे और प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री एस. वी. सिरपूरकर को सुना ।

5. आवेदक के विद्वान् काउंसेल श्री मोरांडे का यह निवेदन है कि पटेल मंगल कार्यालय की देखभाल आवेदक/सपना के पति श्री निलेश पटेल द्वारा की जाती थी । यह निलेश पटेल और उनके कुटुम्ब की आय का एकमात्र स्रोत था । इसमें कोई विवाद नहीं है कि यह संयुक्त कुटुम्ब सम्पत्ति है । वर्ष 2010 में निलेश पटेल की मृत्यु के पश्चात्, प्रत्यर्थी सं. 1 ने पटेल मंगल कार्यालय का कब्जा ग्रहण किया । आवेदक के पास आय का कोई स्रोत नहीं है । उन्होंने प्रत्यर्थी सं. 1/प्रवीन पटेल की तात्विक स्वीकृति को इंगित किया और यह निवेदन किया कि उन्होंने विनिर्दिष्ट रूप से स्वीकार किया है कि निलेश की मृत्यु के पश्चात्, नातेदारों की एक बैठक हुई । उक्त बैठक में, उन्होंने संयुक्त कुटुम्ब सम्पत्ति के विभाजन तक निलेश के कुटुम्ब के भरणपोषण की सहमति दी थी । उन्होंने आगे यह स्वीकार किया कि आवेदक का पुत्र उपार्जन नहीं कर रहा है । वह लगभग 18 वर्ष का है । विद्वान् काउंसेल ने आगे निवेदन किया कि पटेल मंगल कार्यालय का कुछ भाग प्रत्यर्थी नितिन और दिलीप के कब्जे में है । विद्वान् काउंसेल श्री मोरांडे ने यह भी निवेदन किया कि विद्वान् जे. एम. एफ. सी. ने उचित ही पटेल मंगल कार्यालय के प्रत्यावर्तन के राहत की मंजूरी दी है । अतः, पुनरीक्षण को मंजूर करने का अनुरोध किया ।

6. प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री सिरपूरकर ने यह निवेदन किया कि पटेल मंगल कार्यालय का निर्माण प्रत्यर्थी सं. 1/प्रवीन द्वारा किया गया था । यह उनकी निजी संपत्ति थी इसलिए यह आवेदक/सपना को प्रत्यावर्तित नहीं की जा सकती । विद्वान् काउंसेल ने आगे निवेदन किया कि उस समय कोई घरेलू नातेदारी नहीं थी जब आवेदन फाइल किया गया । उन्होंने यह भी निवेदन किया कि मृतक निलेश का पूरा कुटुम्ब और अन्य लोग अलग-अलग रह रहे हैं । अतः, कोई घरेलू नातेदारी नहीं है । अन्त में, उन्होंने

यह निवेदन किया कि विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने दोनों अपीलों का ठीक ही विनिश्चय किया है ।

7. इसमें कोई विवाद नहीं है कि संयुक्त कुटुम्ब था और यह संयुक्त कुटुम्ब संपत्ति है । आवेदक ने स्वयं और अन्य साक्षियों की परीक्षा करायी । उनके साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि उनके पति अपने जीवनकाल के दौरान पटेल मंगल कार्यालय की देखभाल कर रहे थे और यह उनका आय का एकमात्र स्रोत था । उनके पति की मृत्यु वर्ष 2010 में हुई । उनके ससुर और प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के पिता की संयुक्त कुटुम्ब सम्पत्तिधारक थे । उन लोगों ने गढ़चिरौली में भूमि खरीदी और संयुक्त कुटुम्ब संपत्ति की आय से पटेल मंगल कार्यालय का निर्माण किया । अभिलेख के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि निलेश के साथ प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 संयुक्त रूप से रह रहे थे । आवेदक के पति की मृत्यु आवेदक और उसके पुत्र को छोड़कर तारीख 27 मार्च, 2010 को हुई । प्रत्यर्थी सं. 1 बड़ा पुत्र होने के कारण अपना कारबार आरम्भ किया और कुटुम्ब में कुछ मतभेद होने के कारण वर्ष 1999 में संयुक्त कुटुम्ब छोड़ दिया और स्वयं संयुक्त कुटुम्ब संपत्ति के उपार्जन की सहायता से विस्फोटक विनिर्माण, खनन पट्टा, खदान पट्टा आदि का लाइसेंस अभिप्राप्त कर कारबार करने लगा ।

8. पटेल मंगल कार्यालय का निर्माण ईश्वरभाई और शांतूभाई द्वारा संयुक्त रूप से खरीदी गई भूमि पर किया गया था । आवेदक के पति ईश्वरभाई से मतभेद होने के कारण संयुक्त कुटुम्ब से अलग हो गए और विवाह-हाल/पटेल मंगल कार्यालय के कारबार को देखना आरम्भ कर दिया था । आवेदक के पति, निलेश की मृत्यु के पश्चात् प्रत्यर्थी सं. 1/प्रवीन ने पटेल मंगल कार्यालय को अधिकार में ले लिया । इसमें कोई विवाद नहीं है कि सभी संयुक्त कुटुम्ब सम्पत्तियां प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 के कब्जे में हैं । इसमें कोई विवाद नहीं है कि आवेदक के पास कोई कारबार नहीं है ।

9. प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा यह दलील दी गई कि आवेदक ब्यूटी पार्लर कारबार कर रही है किन्तु उसके दावे को साबित करने के लिए अभिलेख

पर कुछ नहीं है । प्रत्यर्थी सं. 1 की स्वीकृति से स्पष्टतः यह दर्शित होता है कि आवेदक के पुत्र के पास कोई कारबार नहीं है । उसकी आयु लगभग 18 वर्ष है । प्रत्यर्थी सं. 1 की प्रतिपरीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि निलेश की मृत्यु के पश्चात् कई बैठकें हुईं जब निलेश ने ईश्वरभाई के जीवनकाल के दौरान अलग रहना आरम्भ कर दिया था । उन्होंने आगे यह स्वीकार किया कि आज तक उन लोगों के बीच उनके कुटुम्ब सम्पत्तियों का विभाजन नहीं हुआ है । उन्होंने आगे यह स्वीकार किया कि उनके पास कृषि भूमि, मकान और पटेल मंगल कार्यालय सहित संयुक्त कुटुम्ब सम्पत्ति है । गुजरात में कुछ संयुक्त कुटुम्ब सम्पत्तियां हैं । उन्होंने आगे यह स्वीकार किया कि गढ़चिरौली की सम्पत्ति को उनके दादा अम्बालाल पटेल के गढ़चिरौली आने के पश्चात् खरीदा गया था । उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि निलेश की मृत्यु के पश्चात् नातेदारों की बैठक हुई और वह संयुक्त कुटुम्ब संपत्ति के विभाजन तक निलेश के कुटुम्ब का भरणपोषण करने के लिए सहमत हुआ । इस विशिष्ट स्वीकृति से स्पष्टतः यह दर्शित होता है कि पटेल मंगल कार्यालय आवेदक और प्रत्यर्थियों की संयुक्त कुटुम्ब सम्पत्ति है । प्रत्यर्थी सं. 1/प्रवीन निलेश के कुटुम्ब अर्थात् आवेदक और उसके पुत्र का भरणपोषण के लिए सहमत था । प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा ली गई गारंटी इस कारण भी हो सकती हैं कि उसने पटेल मंगल कार्यालय को अपने कब्जे में लिया था अन्यथा ऐसा विनिश्चय लेने के लिए उसके पास कोई कारण नहीं था ।

10. यद्यपि, प्रत्यर्थी सं. 1/प्रवीन ने यह कहा कि पटेल मंगल कार्यालय उसकी निजी संपत्ति है, प्रतिपरीक्षा में विनिर्दिष्ट स्वीकृति से स्पष्टतः यह दर्शित होता है कि पटेल मंगल कार्यालय संयुक्त कुटुम्ब संपत्ति है । आवेदक और उसके साक्षियों द्वारा पेश साक्ष्य के अनुसार, पटेल मंगल कार्यालय की देखभाल उसकी मृत्यु तक आवेदक के पति द्वारा किया जा रहा था । आवेदक की आय का यह एकमात्र स्रोत था जिससे वह पटेल मंगल कार्यालय की आय से वंचित है । यह महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के उपखंड (IV) के अधीन यथापरिभाषित आर्थिक दुरुपयोग है अतः, यह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन

यथापरिभाषित घरेलू हिंसा है ।

11. प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के विद्वान् काउंसेल श्री सिरपूरकर ने यह निवेदन किया कि वह अलग रह रही है इसलिए, कोई घरेलू नातेदारी नहीं है । अपने निवेदन के संबंध में, उन्होंने **रेखा बालासाहेब पाटिल** बनाम **श्रीमती दुर्गावती श्रीधर पाटिल और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का जोरदार अवलंब लिया । उद्धृत विनिश्चय में, पुत्रवधू ने साझी गृहस्थी संपत्ति में अधिकार का दावा किया था । किन्तु, यह अनन्यतः उसकी सास की संपत्ति थी । यह उसकी सास की पृथक् संपत्ति थी इसलिए, इसे साझा मकान नहीं माना जा सकता । इस मामले में, पटेल मंगल कार्यालय संयुक्त कुटुम्ब संपत्ति है और यह आवेदक की आय का एकमात्र स्रोत था । इसलिए, उद्धृत विनिश्चय इस मामले को लागू नहीं होता ।

12. विद्वान् काउंसेल श्री सिरपूरकर ने यह निवेदन किया कि आवेदक प्रत्यर्थियों के साथ नहीं रह रही है इसलिए, कोई घरेलू नातेदारी नहीं है । अपने निवेदन के समर्थन में, उन्होंने **विजय वर्मा** बनाम **राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली और एक अन्य**[2] वाले मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय के विनिश्चय को इंगित किया । उद्धृत मामले के तथ्यों में काफी अन्तर है । पत्नी आवेदक फाइल करने के ठीक पहले मकान में नहीं रह रही थी बल्कि अपने माता-पिता को छोड़कर यू. एस. ए. में बस गई थी । उसने अपने माता-पिता की संपत्ति में अपने हिस्से का दावा किया । अतः यह घरेलू हिंसा नहीं हो सकता । इसलिए, उद्धृत विनिश्चय प्रस्तुत मामले को लागू नहीं होता । विद्वान् काउंसेल ने **ओम प्रकाश सिंघल और अन्य** बनाम **शिमला गर्ग**[3] वाले मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विनिश्चय को इंगित किया और यह निवेदन किया कि पक्षकार एकसाथ नहीं रह रहे हैं अतः यहां कोई घरेलू हिंसा नहीं है । पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित

---

[1] 2019 आल एम. आर. (क्रिमिनल) 511 = 2018 (3) ए. बी. आर. (क्रिमिनल) 692.

[2] 2010 (118) डी. आर. जे. 520 = ए. आई. आर. 2011 (एन. ओ. सी.) 171 (दिल्ली).

[3] 2016 आल एम. आर. (क्रिमिनल) 414.

किया गया कि "यदि कोई कुटुम्ब सदस्य साझी गृहस्थी छोड़ता है और अपनी निजी गृहस्थी बसाता है तो घरेलू नातेदारी समाप्त हो जाती है ।" इस मामले में, यद्यपि वे अलग भोजन कक्ष में रह रहे हैं, संपत्ति संयुक्त संपत्ति है और पटेल मंगल कार्यालय आवेदक के पति के कब्जे में था और वह पटेल मंगल कार्यालय के आय के स्रोत से वंचित है । अतः उद्धृत विनिश्चय इस मामले को लागू नहीं होता ।

13. प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल श्री सिरपूरकर ने **हिमा चूग** बनाम **प्रीतम अशोक सदाफुले और अन्य**[1] वाले मामले के विनिश्चय को इंगित किया । यह मत व्यक्त किया गया है कि याची अस्थायी रूप से भारत वापस आया । संरक्षण आदेश अपने पति के विरुद्ध ही अभिप्राप्त किया जा सकता है जो व्यथित व्यक्ति के साथ घरेलू नातेदारी में है न कि ससुरालवालों के विरुद्ध । उद्धृत मामले के तथ्य बहुत भिन्न हैं । **हरबंस लाल मलिक** बनाम **पायल मलिक**[2] वाले मामले में, यह मत व्यक्त किया गया है कि "व्यथित व्यक्ति और घरेलू नातेदारी का यह अभिप्राय है कि माता-पिता के साथ पुत्र की पत्नी का कोई घरेलू नातेदारी नहीं हो सकता जब माता-पिता पुत्र के साथ नहीं रह रहे हैं और अपने पति के माता-पिता के साथ पत्नी का कोई घरेलू नातेदारी नहीं हो सकता जब पुत्र अपनी पत्नी के साथ विदेश में रह रहा है, अपने कुटुम्ब का वहां भरणपोषण कर रहा है और बच्चे विदेश में पैदा हुए हैं ।"

14. इस मामले में, आवेदक और प्रत्यर्थी संयुक्त रूप से रह रहे थे और उस तारीख तक स्वयं प्रत्यर्थी सं. 1 की स्वीकृति के अनुसार उनके संयुक्त कुटुम्ब संपत्ति का विभाजन नहीं हुआ है इसलिए, उद्धृत विनिश्चय इस मामले को लागू नहीं होता है ।

15. घरेलू नातेदारी को धारा 2(च) में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया है :-

"(च) 'घरेलू नातेदारी' से ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी

---

[1] 2013 क्रिमिनल ला जर्नल 2182 (दिल्ली).

[2] 2010 (118) डी. आर. जे. 582.

अभिप्रेत है, जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं, जब वे समरक्तता, विवाह द्वारा या विवाह, दत्तक ग्रहण की प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा संबंधित हैं या एक अविभक्त कुटुम्ब के रूप में एक साथ रहने वाले कुटुम्ब के सदस्य हैं ।"

आवेदक संयुक्त कुटुम्ब में कुटुम्ब सदस्य के रूप में प्रत्यर्थी सं. 1 के साथ रह रही थी । इसलिए, आवेदक और प्रत्यर्थियों के बीच घरेलू नातेदारी है । घरेलू हिंसा को महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के अधीन इस प्रकार परिभाषित किया गया है :-

"3. **घरेलू हिंसा की परिभाषा** - इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोप या किसी कार्य का करना या आचरण, घरेलू हिंसा गठित करेगा यदि वह, -

(क) से (घ) . . . . . .

स्पष्टीकरण 1 - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, -

(I) 'शारीरिक दुरुपयोग'

(II) 'लैंगिक दुरुपयोग'

(III) 'मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग'

(IV) 'आर्थिक दुरुपयोग' के अन्तर्गत निम्नलिखित है -

(क) ऐसे सभी या किन्हीं आर्थिक या वित्तीय संसाधनों, जिनके लिए व्यथित व्यक्ति किसी विधि या रूढ़ि के अधीन हकदार है, चाहे वे किसी न्यायालय के किसी आदेश के अधीन या अन्यथा संदेय हों या जिनकी व्यथित व्यक्ति, किसी आवश्यकता के लिए, जिसके अन्तर्गत व्यथित व्यक्ति और उसके बालकों, यदि कोई हों, के लिए घरेलू आवश्यकताएं भी हैं, अपेक्षा करता है, किन्तु जो उन तक सीमित नहीं है, स्त्रीधन, व्यथित

व्यक्ति के संयुक्त रूप से या पृथक्तः स्वामित्वाधीन संपत्ति, साझी गृहस्थी और उसके रखरखाव से संबंधित भाटक का संदाय, से वंचित करना ।

(ख) . . . . .

(ग) . . . . . ।"

16. खंड (IV)(क) के अनुसार, सभी या किन्हीं आर्थिक या वित्तीय संसाधन जिनके लिए व्यथित व्यक्ति किसी विधि या रूढ़ि के अधीन हकदार है, का वंचन ..... आर्थिक दुरुपयोग है ।

17. इस मामले में, आवेदक के पास अपने पति के जीवनकाल के दौरान पटेल मंगल कार्यालय से आय का एकमात्र स्रोत था । अपने पति की मृत्यु के पश्चात्, प्रत्यर्थी सं. 1 ने उक्त पटेल मंगल कार्यालय का कब्जा ग्रहण किया और आवेदक को पटेल मंगल कार्यालय के वित्तीय स्रोत से वंचित किया । अतः, यह आर्थिक दुरुपयोग के समान है ।

18. **श्री दजवीप वी. पाटकर** बनाम **श्रीमती वीना डी. पाटकर**[1] वाले मामले में, इस न्यायालय के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया कि "महिला संरक्षण अधिनियम के उपबंध के अधीन आवेदन तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के आधिक्य में हैं न कि अल्पीकरण में । सिविल न्यायालय के समक्ष समरूप आवेदनों के लम्बित रहने के बावजूद, प्रत्यर्थी पत्नी को महिला संरक्षण अधिनियम के अधीन उपबंधित उपचार का आश्रय लेने से अपवर्जित नहीं किया जा सकता । सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 से संबंधित सिद्धांत लागू नहीं होते । अधिनियम की धारा 26(3) प्रतिकूल विनिश्चयों/आदेशों की संभाव्यता से बचने की पर्याप्त सावधानी बरतती है" । आवेदक के दावे को केवल इसलिए नहीं फेंका जा सकता कि उसके पास विभाजन की ईप्सा करने का उपचार है ।

19. आवेदक के विरुद्ध "आर्थिक दुरुपयोग" एक सतत् दुरुपयोग है ।

---

[1] 2016 आल एम. आर. (क्रिमिनल) 1475 = 2015 (3) ए. बी. आर. (क्रिमिनल) 107.

गंगाधर प्रधान बनाम **रश्मिबाला प्रधान**[1] वाले मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, "याचिका के फाइल किए जाने की तारीख तक, याची को कोई अनुतोष मंजूर नहीं किया गया था जो उसने ईप्सा की थी । अतः, याची का वाद हेतुक सतत् बना रहा अर्थात् उसके अधिकार के वंचन का कार्य सतत् जारी रहा । धारा 12 के अधीन याचिका संधार्य है ।"

20. **शालिनी** बनाम **किशोर और अन्य**[2] वाले मामले में, उच्चतम न्यायालय के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया कि "पिछला संबंध घरेलू नातेदारी है ।" **धनंजय रामकिशन गायकवाड और अन्य** बनाम **सुनन्दा धनंजय गायकवाड और अन्य**[3] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया कि, धारा 2(क) में यथा अधिकथित 'व्यथित व्यक्ति' के संबंध में स्पष्टतः यह उपबंधित है कि ऐसी कोई महिला जो प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में है या रही है । 'घरेलू नातेदारी' की परिभाषा का भी अभिप्राय ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी है जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या साझी गृहस्थी में एकसाथ किसी समय रह चुके हैं । इस मामले में, आवेदक प्रत्यर्थियों के साथ साझी गृहस्थी में रह रही थी । अतः, वह 'व्यथित व्यक्ति' है ।

21. **जुवेरिया अब्दुल माजिद पटनी** बनाम **आतिफ इकबाल मन्सूरी और एक अन्य**[4] वाले मामले में, उच्चतम न्यायालय के निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि "शारीरिक दुरुपयोग" और "लैंगिक दुरुपयोग" के अलावा "मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग" तथा "आर्थिक दुरुपयोग" भी घरेलू हिंसा गठित करता है । इस मामले में, आवेदक प्रत्यर्थी सं. 1 के हाथों आर्थिक दुरुपयोग सह रही है ।

---

[1] 2013 आल एम. आर. (क्रिमिनल) जर्नल 145 = 2012 क्रिमिनल ला जर्नल 4106.

[2] 2015 (6) स्केल 219 = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 2605.

[3] 2016 आल एम. आर. (क्रिमिनल) 2291 = 2016 (1) ए. बी. आर. (क्रिमिनल) 590.

[4] 2015 (2) महाराष्ट्र ला जर्नल (क्रिमिनल) 509.

22. प्रत्यर्थी सं. 1 ने विनिर्दिष्ट रूप से यह स्वीकार किया कि पटेल मंगल कार्यालय संयुक्त कुटुम्ब संपत्ति है । उसके पास कई कारबार हैं । आवेदक की मृत्यु के पश्चात्, प्रत्यर्थी सं. 1 ने पटेल मंगल कार्यालय का कब्जा ग्रहण किया और आवेदक को आय के स्रोत से वंचित किया । प्रत्यर्थी सं. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि आवेदक के पति निलेश की मृत्यु के पश्चात् वह मृतक निलेश के कुटुम्ब सदस्य अर्थात् आवेदक और उसके पुत्र का भरणपोषण करने के लिए सहमत हुआ था । आवेदक के पास कोई आय का स्रोत नहीं है । वह आर्थिक दुरुपयोग से ग्रस्त है । विद्वान् जे. एम. एफ. सी. ने सभी साक्ष्यों पर विचार किया और उचित ही आवेदक/सपना को पटेल मंगल कार्यालय के कब्जे के प्रत्यावर्तन का अनुतोष प्रदान किया । पटेल मंगल कार्यालय के प्रत्यावर्तन के मंजूर होने के पश्चात्, आवेदक को प्रतिमास तीस हजार रुपए का भरणपोषण देने की कोई आवश्यकता नहीं है । विद्वान् जे. एम. एफ. सी. का निर्णय पूर्णतः वैध और सही है ।

23. पूर्वोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, पुनरीक्षण भागतः मंजूर किया जाता है । 2014 की दांडिक अपील सं. 45 और 48 में गढ़चिरौली के विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 18 अप्रैल, 2015 के निर्णय को अभिखंडित और अपास्त किया जाता है । 2014 के पी. डब्ल्यू. डी. डी. मामला सं. 3 में तारीख 16 अक्तूबर, 2014 के गढ़चिरौली के विद्वान् प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्णय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

अभिलेखों और दस्तावेजों को विद्वान् विचारण न्यायालय को वापस भेजा जाए ।

पुनरीक्षण आवेदन भागतः मंजूर किया गया ।

पा.

निमीष नेमा

बनाम

श्रीमती लक्ष्मी नेमा और एक अन्य

(2018 का दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 1481)

तारीख 3 अप्रैल, 2019

न्यायमूर्ति विष्णु प्रताप सिंह चौहान

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 500 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482] – मानहानि – परिवादी (प्रत्यर्थी) द्वारा दावा किया जाना कि आवेदक द्वारा जारी किया गया नोटिस मानहानिकारक है – विधिक नोटिस में संपूर्ण संपत्ति के हड़पने का अभिकथन – मानहानिकारक शब्दों का अभाव – आवेदक ने विधिक नोटिस द्वारा विल पर आक्षेप किया है और यह दावा किया है कि प्रश्नगत विल उसकी माता द्वारा निष्पादित नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में आवेदक के इस कृत्य से अपमान या मानहानि साबित नहीं होती है और निचले न्यायालय में चल रही मानहानि की कार्यवाही अनुचित है ।

इस मामले में प्रत्यर्थी द्वारा आवेदक के विरुद्ध एक परिवाद मानहानि के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष फाइल किया गया । आवेदक की माता और प्रत्यर्थी सं. 1 आपस में सगी बहिनें हैं और प्रत्यर्थी सं. 2, प्रत्यर्थी सं. 1 का पुत्र है तथा आवेदक का मौसेरा भाई है । प्रत्यर्थी सं. 1 और आवेदक की माता श्रीमती बृजरानी की मृत्यु हो गई । बृजरानी की मृत्यु के पश्चात् उसकी स्थावर संपत्ति उत्तराधिकारियों अर्थात् लक्ष्मी, कृष्णा और नारायणी में विभाजित होनी थी किन्तु प्रत्यर्थी सं. 2 के अनुसार बृजरानी ने प्रत्यर्थी सं. 2 के पक्ष में विल निष्पादित की हुई थी और उस विल के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 2 ने दावा किया कि वह संपूर्ण स्थावर और जंगम संपत्ति की हकदार है जो बृजरानी ने अपनी मृत्यु के पश्चात् छोड़ी है । आवेदक श्रीमती कृष्णा का पुत्र है और वह श्रीमती कृष्णा का एकमात्र उत्तराधिकारी है, अतः उसने यह दावा

किया है कि वह बृजरानी द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के एक तिहाई भाग पर उसका उत्तराधिकार है । बृजरानी की मृत्यु के पश्चात् आवेदक का हिस्सा प्रत्यर्थियों द्वारा आवेदक को नहीं दिया गया है, इसलिए उसने बृजरानी द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के एक तिहाई भाग पर दावा करते हुए नोटिस भेजा और साथ ही उसने इस संबंध में किसी भी विल के निष्पादित किए जाने से इनकार किया । आवेदक ने नोटिस में यह उल्लेख किया कि प्रत्यर्थियों ने कूटरचित दस्तावेज तैयार किए हैं और बृजरानी की सम्पूर्ण संपत्ति को हड़पने का प्रयास किया है । नोटिस के अन्तिम पैरा में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि यदि आवेदक को उसका एक तिहाई हिस्सा नहीं दिया जाता है, तब वह उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करेगा । इस नोटिस से व्यथित होकर दोनों प्रत्यर्थियों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह के समक्ष दंड संहिता की धारा 500 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए परिवाद फाइल किया जिसमें यह दावा किया कि बृजरानी ने अपनी मृत्यु के पूर्व स्वेच्छया विल निष्पादित की थी किन्तु अपीलार्थी का यह अभिकथन है कि वह विल कूटरचित है और वह प्रत्यर्थियों द्वारा ही तैयार की गई है और उन्होंने इस तथ्य का विश्वास अन्य नातेदारों तथा ज्ञात व्यक्तियों को भी दिलाया है और यह भी अभिकथन किया है कि उनका यह कृत्य मानहानि की परिधि में आता है इस कृत्य से अपने नातेदारों के बीच तथा परिवार में प्रत्यर्थियों की छवि धूमिल होती है । विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह ने दीपक (अभि. सा. 1) और लक्ष्मी नेमा (अभि. सा. 2) के कथन अभिलिखित किए और इसके पश्चात् मामले को निपटाने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दमोह के पास भेज दिया । विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दमोह ने दोनों पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् तारीख 26 अगस्त, 2017 के आदेश द्वारा दंड संहिता की धारा 500 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए शिकायत दर्ज की और आवेदक को नोटिस जारी किया । तारीख 26 अगस्त, 2017 के आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर आवेदक ने यह आवेदन इस आधार पर फाइल किया है कि प्रत्यर्थियों ने आवेदक पर यह दबाव डाला है कि वह सिविल वाद में प्रतिरक्षा के लिए कोई कार्यवाही न करे और

प्रथमदृष्ट्या मानहानि का कोई भी मामला नहीं बनता है । आवेदक ने प्रत्यर्थियों को सिविल वाद के संबंध में विधिक नोटिस तामील कराया । प्रत्यर्थियों द्वारा दुर्भावना और अन्तरस्थ हेतु के साथ परिवाद फाइल किया गया है और इस परिवाद से उद्भूत दांडिक कार्यवाहियों और आक्षेपित आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया । उच्च न्यायालय ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को अपास्त किया और धारा 482 के अधीन आवेदन मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – पक्षकारों के बीच यह पूर्णतया सिविल विवाद है । प्रत्यर्थी ने बृजरानी द्वारा निष्पादित विल के आधार पर हक का दावा करते हुए सिविल वाद फाइल किया है । आवेदक को बृजरानी का उत्तराधिकारी होने के नाते विल के संबंध में प्रतिरक्षा लेने का प्रत्येक अधिकार प्राप्त है । यदि आवेदक ने विल पर आक्षेप किया है और यह दावा किया है कि यह विल बृजरानी द्वारा निष्पादित नहीं है, तब अपीलार्थी के इस कृत्य से अपमान या मानहानि दर्शित नहीं होती है । प्रथमदृष्ट्या, अभिकथित अपराध के संघटक अपीलार्थी के विरुद्ध साबित नहीं होते हैं । (पैरा 11)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[1992] ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 604 :
हरियाणा राज्य और अन्य बनाम
चौधरी भजनलाल और अन्य । 12, 13

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2018 का दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 1481.

परिवाद सं. 884/2017 में तारीख 26 अगस्त, 2017 को न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दमोह के आदेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन आवेदन ।

आवेदक की ओर से श्री संजय पाण्डेय

प्रत्यर्थी की ओर से श्री संदीप महावर

न्यायमूर्ति विष्णु प्रताप सिंह चौहान – यह आवेदन परिवाद सं. 884/2017 में तारीख 26 अगस्त, 2017 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दमोह द्वारा पारित उस आदेश से व्यथित होकर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन फाइल की गई है जिसके द्वारा विद्वान् विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 500 के अधीन दांडिक परिवाद दर्ज किया और आवेदक को न्यायालय में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया ।

2. संक्षेप में इस आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक की माता और प्रत्यर्थी सं. 1 आपस में सगी बहिनें हैं और प्रत्यर्थी सं. 2, प्रत्यर्थी सं. 1 का पुत्र है तथा आवेदक का मौसेरा भाई है । प्रत्यर्थी सं. 1 और आवेदक की माता श्रीमती बृजरानी की मृत्यु हो गई । बृजरानी की मृत्यु के पश्चात् उसकी स्थावर संपत्ति उत्तराधिकारियों अर्थात् लक्ष्मी, कृष्णा और नारायणी में विभाजित होनी थी किन्तु प्रत्यर्थी सं. 2 के अनुसार बृजरानी ने प्रत्यर्थी सं. 2 के पक्ष में विल निष्पादित की हुई थी और उस विल के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 2 ने दावा किया कि वह संपूर्ण स्थावर और जंगम संपत्ति की हकदार है जो बृजरानी ने अपनी मृत्यु के पश्चात् छोड़ी है । आवेदक श्रीमती कृष्णा का पुत्र है और वह श्रीमती कृष्णा का एकमात्र उत्तराधिकारी है, अतः उसने यह दावा किया है कि वह बृजरानी द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के एक तिहाई भाग पर उसका उत्तराधिकार है । बृजरानी की मृत्यु के पश्चात् आवेदक का हिस्सा प्रत्यर्थियों द्वारा आवेदक को नहीं दिया गया है, इसलिए उसने बृजरानी द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के एक तिहाई भाग पर दावा करते हुए नोटिस भेजा और साथ ही उसने इस संबंध में किसी भी विल के निष्पादित किए जाने से इनकार किया । आवेदक ने नोटिस में यह उल्लेख किया कि प्रत्यर्थियों ने कूटरचित दस्तावेज तैयार किए हैं और बृजरानी की सम्पूर्ण संपत्ति को हड़पने का प्रयास किया है । नोटिस के अन्तिम पैरा में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि यदि आवेदक को उसका एक तिहाई हिस्सा नहीं दिया जाता है, तब वह उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करेगा ।

3. इस नोटिस से व्यथित होकर दोनों प्रत्यर्थियों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह के समक्ष दंड संहिता की धारा 500 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए परिवाद फाइल किया जिसमें यह दावा किया कि बृजरानी ने अपनी मृत्यु के पूर्व स्वेच्छया विल निष्पादित की थी किन्तु अपीलार्थी का यह अभिकथन है कि वह विल कूटरचित है और वह प्रत्यर्थियों द्वारा ही तैयार की गई है और उन्होंने इस तथ्य का विश्वास अन्य नातेदारों तथा ज्ञात व्यक्तियों को भी दिलाया है और यह भी अभिकथन किया है कि उनका यह कृत्य मानहानि की परिधि में आता है इस कृत्य से अपने नातेदारों के बीच तथा परिवार में प्रत्यर्थियों की छवि धूमिल होती है ।

4. विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह ने दीपक (अभि. सा. 1) और लक्ष्मी नेमा (अभि. सा. 2) के कथन अभिलिखित किए और इसके पश्चात् मामले को निपटाने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दमोह के पास भेज दिया । विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दमोह ने दोनों पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् तारीख 26 अगस्त, 2017 के आदेश द्वारा दंड संहिता की धारा 500 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए शिकायत दर्ज की और आवेदक को नोटिस जारी किया ।

5. तारीख 26 अगस्त, 2017 के आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर आवेदक ने यह आवेदन इस आधार पर फाइल किया है कि प्रत्यर्थियों ने आवेदक पर यह दबाव डाला है कि वह सिविल वाद में प्रतिरक्षा के लिए कोई कार्यवाही न करे और प्रथमदृष्ट्या मानहानि का कोई भी मामला नहीं बनता है । आवेदक ने प्रत्यर्थियों को सिविल वाद के संबंध में विधिक नोटिस तामील कराया । प्रत्यर्थियों द्वारा दुर्भावना और अन्तरस्थ हेतु के साथ परिवाद फाइल किया गया है और इस परिवाद से उद्भूत दांडिक कार्यवाहियों और आक्षेपित आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया ।

6. प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि मृतक बृजरानी द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2 के पक्ष में निष्पादित अभिकथित विल रजिस्ट्रीकृत की गई थी । आवेदक ने दुर्भावनापूर्ण यह अभिकथन किया है कि प्रत्यर्थियों ने विल से संबंधित

कूटरचित दस्तावेज तैयार किया है और यह दावा किया है कि यह अभिकथन परिवार के सदस्यों तथा समाज में छवि धूमिल करने के लिए किया गया है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलिखित कथन के आधार पर दंड संहिता की धारा 500 के अधीन परिवाद दर्ज करके ठीक ही किया है और इस आवेदन के खारिज किए जाने की प्रार्थना की है ।

7. दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, अभिलेख, आक्षेपित आदेश तथा इस आवेदन के साथ फाइल किए गए अन्य दस्तावेजों, नोटिस की प्रति, अन्तर्वर्ती आवेदन तथा चतुर्थ अपर सिविल न्यायाधीश, वर्ग-II, दमोह में फाइल किए गए सिविल वाद की प्रति जिसे नियमित सिविल वाद सं. ए-00033/2015 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया था, का परिशीलन किया ।

8. मानहानि का अपराध दंड संहिता की धारा 499 के अधीन परिभाषित किया गया है । इस मामले में, प्रत्यर्थी ने यह अभिकथन करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद फाइल किया कि अपीलार्थी ने अधिवक्ता के माध्यम से उसे नोटिस भेजा है जिसमें उसने बृजरानी द्वारा छोड़ी गई संपत्ति में अपना एक तिहाई हिस्सा होने का दावा किया है और प्रत्यर्थियों ने बृजरानी द्वारा छोड़ी गई सम्पूर्ण संपत्ति को हड़पने के आशय से कूटरचित और जाली दस्तावेज तैयार किए हैं । परिणामस्वरूप प्रत्यर्थियों ने दंड संहिता की धारा 500 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए परिवाद फाइल किया है । नोटिस के पैरा 2 और 3 में यह उल्लेख किया गया है कि बृजरानी द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के एक तिहाई भाग का दावा किस प्रकार किया है और नोटिस के पैरा 4 में यह उल्लेख किया है कि उसे यह पता चला था कि दोनों प्रत्यर्थियों ने सम्पूर्ण संपत्ति को हड़पने के लिए अपने पक्ष में विल तैयार की है ।

9. सुविधा के लिए दंड संहिता की धारा 499 को निम्न प्रकार कोट किया जा रहा है :-

> "**499. मानहानि** - जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशियत शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, या दृश्य रूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता या

प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की अपहानि की जाए या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता या प्रकाशित करता है ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, एतस्मिनपश्चात् अपवादित दशाओं के सिवाय उसके बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है ।

स्पष्टीकरण 1 – किसी मृत व्यक्ति को कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा यदि वह लांछन उस व्यक्ति की ख्याति की, यदि वह जीवित होता, अपहानि करता, और उसके परिवार या अन्य निकट संबंधियों की भावनाओं को उपहत करने के लिए आशयित हो ।

स्पष्टीकरण 2 – किसी कंपनी या संगम या व्यक्तियों के समूह के संबंध में उसकी वैसी हैसियत में कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा ।

स्पष्टीकरण 3 – अनुकल्प के रूप में, या व्यंगोक्ति के रूप में अभियुक्त लांछन मानहानि की कोटि में आ सकेगा ।

स्पष्टीकरण 4 – कोई लांछन किसी व्यक्ति की ख्याति की अपहानि करने वाला नहीं कहा जाता जब तक कि वह लांछन दूसरों की दृष्टि में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उस व्यक्ति के सदाचारिक या बौद्धिक स्वरूप को हेय न करे या उस व्यक्ति की जाति के या उसकी आजीविका के संबंध में उसके शील को हेय न करे या उस व्यक्ति की साख को नीचे न गिराए या यह विश्वास न कराए कि उस व्यक्ति का शरीर घृणोत्पादक दशा में है या ऐसी दशा में है जो साधारण रूप से निकृष्ट समझी जाती है ।"

10. दंड संहिता की धारा 499 की परिभाषा और नोटिस जिसके आधार पर प्रत्यर्थियों ने दंड संहिता की धारा 500 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए परिवाद फाइल किया है, विचारण न्यायालय ने साक्षियों के अभिलिखित कथनों के आधार पर इस कृत्य को मानहानिकर माना है जबकि नोटिस का परिशीलन करने के पश्चात् इस न्यायालय को

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को भेजे गए विधिक नोटिस में कोई भी अपमानजनक या मानहानिकर शब्द दिखाई नहीं देता है ।

11. इसके अतिरिक्त, पक्षकारों के बीच यह पूर्णतया सिविल विवाद है । प्रत्यर्थी ने बृजरानी द्वारा निष्पादित विल के आधार पर हक का दावा करते हुए सिविल वाद फाइल किया है । आवेदक को बृजरानी का उत्तराधिकारी होने के नाते विल के संबंध में प्रतिरक्षा लेने का प्रत्येक अधिकार प्राप्त है । यदि आवेदक ने विल पर आक्षेप किया है और यह दावा किया है कि यह विल बृजरानी द्वारा निष्पादित नहीं है, तब अपीलार्थी के इस कृत्य से अपमान या मानहानि दर्शित नहीं होती है । प्रथमदृष्ट्या, अभिकथित अपराध के संघटक अपीलार्थी के विरुद्ध साबित नहीं होते हैं ।

12. **हरियाणा राज्य और अन्य** बनाम **चौधरी भजनलाल और अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या किसी परिवाद को अभिखण्डित करने के लिए निम्न बिन्दु व्यक्त किए हैं :-

> "108. दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XIV के अनेक सुसंगत उपबंधों के निर्वचन और संविधान के अनुच्छेद 226 या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन न्यायालय की असाधारण शक्ति के प्रयोग के संबंध में इस न्यायालय द्वारा दिए गए अनेक विनिश्चयों में अधिकथित सिद्धांतों के आधार पर हमने मामलों को उदाहरण के साथ निम्न वर्गों में विभाजित किया है जिनमें न्यायालय द्वारा की जाने वाली इस शक्ति के प्रयोग किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने या न्याय की जीत के लिए किया जा सकता है यद्यपि संक्षिप्त रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से अपरिवर्तनीय सिद्धांत या सूत्र नहीं बनाए जा सकते हैं और ऐसे मामलों की सम्पूर्ण सूची देना भी संभव नहीं है जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया गया हो –
>
> 1. ऐसे मामले जिनमें प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या शिकायत

---

[1] ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 604.

में अभिकथन किए गए हों, यदि उन्हें प्रथमदृष्ट्या पूर्णतया सही मान लिया जाए, तब भी अभियुक्त के विरुद्ध कोई अपराध न बनता हो ।

2. ऐसे मामले जिनमें प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और अन्य सामग्री में ऐसे अभिकथन किए गए हों कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से कोई भी संज्ञेय अपराध गठित न होता हो जिसके आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(1) के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण दंड संहिता की धारा 155(2) के अनुसार मजिस्ट्रेट के आदेश के परिणामस्वरूप किया जाए ।

3. ऐसे मामले जिनमें प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या शिकायत में ऐसे अविवादित अभिकथन किए गए हों जिनके समर्थन में प्राप्त किए गए साक्ष्य से किसी भी अपराध का अभियुक्त द्वारा कारित किया जाना प्रकट न होता हो ।

4. ऐसे मामले जिनमें प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए अभिकथनों से कोई संज्ञेय अपराध न बनता हो किन्तु केवल असंज्ञेय अपराध बनता हो, तब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155(2) के अधीन यथा अनुध्यात मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी पुलिस अधिकारी अन्वेषण करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता ।

5. ऐसे मामले जिनमें प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या शिकायत में किए गए अभिकथन इतने अर्थहीन और अन्तर्निहित रूप से इतने असंभावी हों कि उनके आधार पर कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति इस निष्कर्ष पर न पहुंच सके कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है ।

6. ऐसे मामले जिनमें दंड प्रक्रिया संहिता या उससे संबंधित अधिनियम (जिसके अधीन दांडिक कार्यवाही संस्थित की गई है) के किसी भी उपबंध में विद्यमान ऐसा स्पष्ट विधिक वर्जन है जिसके आधार पर दांडिक कार्यवाही संस्थित न की जा सके और न जारी रखी जा सके और/या दंड प्रक्रिया

संहिता या उससे संबंधित अधिनियम में ऐसे विशेष उपबंध हों जिनके अधीन व्यथित पक्षकार की शिकायत के प्रतितोष का उपबंध किया गया हो ।

7. ऐसे मामले जिनमें दुर्भावना से दांडिक कार्यवाहियां संस्थित की गई हों या ऐसे मामले जिनमें या अभियुक्त के प्रति प्रतिशोध की भावना से या निजी वैरभाव से कार्यवाहियां संस्थित की गई हों ।

109. हम इस संबंध में भी सावधान करना चाहते हैं कि दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने की शक्ति का प्रयोग अत्यंत किफायत से दक्षता के साथ किया जाना चाहिए वह भी विरल से विरलतम मामलों में ही ; न्यायालय के लिए यह न्यायोचित नहीं होगा कि वह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या शिकायत में किए गए अभिकथनों की असलियत और विश्वसनीयता की जांच करे और न्यायालय की असाधारण या अन्तर्निहित शक्ति का प्रयोग मनमानी अधिकारिता के रूप में नहीं किया जा सकता ।"

13. पूर्वगामी चर्चा और **हरियाणा राज्य और अन्य** बनाम **चौधरी भजनलाल** (उपरोक्त) वाले मामले में अधिकथित सिद्धांत को दृष्टिगत करते हुए इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि ऐसा प्रतीत होता है कि दांडिक कार्यवाही दुर्भावनापूर्वक संस्थित की गई है । इस न्यायालय की राय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन प्रतिष्ठापित अन्तर्निहित शक्ति का अवलंब लेने के लिए एक उचित मामला है । परिणामतः, यह आवेदन मंजूर किया जाता है और तारीख 26 अगस्त, 2017 का वह आक्षेपित आदेश एतद्द्वारा अभिखंडित किया जाता है जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने आवेदक के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 500 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया है ।

आवेदन मंजूर किया गया ।

अस.

(2019) 2 दा. नि. प. 226 मध्य प्रदेश

दीपक अग्रवाल

बनाम

निधि बंसल और एक अन्य

(2018 का दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 1333)

तारीख 6 मई, 2019

न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 125(4) – विवाह-विच्छेदित पत्नी भरणपोषण का दावा करने के लिए निरंतर 'पत्नी' होने की प्रास्थिति का उपभोग कर सकती है – आवेदक-पति द्वारा यह अभिवाक् किया जाना कि पत्नी द्वारा परित्याग किए जाने के कारण विवाह-विच्छेद की डिक्री पारित हुई थी, असंगत है और कुटुंब न्यायालय द्वारा मंजूर किया गया भरणपोषण उचित है ।

इस पुनरीक्षण को फाइल करने के लिए वर्णित तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 23 नवंबर, 2015 को आवेदक और प्रत्यर्थी सं. 1 के बीच विवाह अनुष्ठापित हुआ था । इसके पश्चात् दहेज की मांग के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ था । प्रत्यर्थी-पत्नी को आवेदक-पति द्वारा प्रताड़ित किया गया था और दो दिन तक उसे खाना नहीं दिया गया था । उसने दूरभाष से अपने माता-पिता को प्रताड़ित किए जाने और दुर्व्यवहार किए जाने की सूचना दी । यह भी अभिकथन किया गया है कि आवेदक ने प्रत्यर्थी सं. 1 के पिता से दूरभाष के माध्यम से दहेज की मांग की थी तथा आवेदक द्वारा पुनर्विवाह करने की भी धमकी दी थी । इस कारण से, प्रत्यर्थी सं. 1 के पिता तनावग्रस्त हो गए थे और अन्ततोगत्वा उन्हें हृदयाघात पहुंचा और जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई । सितंबर, 2007 में प्रत्यर्थी सं. 1 ने लड़की को जन्म दिया जिस पर आवेदक ने अपनी अप्रसन्नता अभिव्यक्त की और पैदा हुई बच्ची का गला दबाने की कोशिश की जिसे वहां पर मौजूद व्यक्तियों द्वारा बचा लिया गया था । उस समय आवेदक द्वारा दहेज की मांग भी की गई

थी तथा उसके द्वारा प्रत्यर्थी सं. 1 को पुत्री के साथ ग्वालियर छोड़ दिया था । प्रत्यर्थी सं. 1 के पास आय का कोई स्रोत नहीं था और इसलिए वह अपना तथा अपनी पुत्री का भरणपोषण करने में असमर्थ थी । इसलिए, उसने अपने तथा अपनी पुत्री के भरणपोषण का दावा करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन आवेदन फाइल किया । कुटुंब न्यायालय ने आवेदन को भागतः मंजूर कर लिया तथा आवेदक को प्रत्यर्थी सं. 1 के पक्ष में प्रतिमास 15,000/- रुपए तथा प्रत्यर्थी सं. 2 के पक्ष में प्रतिमाह 10,000/- रुपए भरणपोषण का संदाय करने के लिए आवेदक को निदेश दिया जिसके विरुद्ध आवेदक ने यह पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया है । उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण आवेदन खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रत्यर्थी ने स्वेच्छया से अपने पति के घर का त्याग कर दिया था और वह व्याभिचारी जीवन में संलिप्त थी, इन तथ्यों का दोनों पक्षकारों की ओर से दिए गए साक्ष्य के आधार पर विश्लेषण किया जाना चाहिए । कुटुंब न्यायालय ने आदेश के पैरा 27 में यह मत व्यक्त किया है कि आवेदक ने परित्याग के आधार पर विवाह-विच्छेद के अभिकथित निर्णय और डिक्री पर प्रदर्श नहीं डाला गया था । यद्यपि, श्रीमती मीना बंसल (ए. डब्ल्यू. 2) की स्वीकार्यता के अनुसार उसकी प्रतिपरीक्षा के पैरा 21 में यह प्रकट हुआ है कि आवेदक और प्रत्यर्थी सं. 1 के बीच में विवाह-विच्छेद हुआ था । माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए यद्यपि प्रत्यर्थी-पत्नी ने विवाह-विच्छेद की डिक्री के पारित होने के पश्चात्, वह पति के साथ रहने के लिए बाध्य नहीं थी परन्तु चूंकि वैवाहिक संबंध हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अधीन कुटुंब न्यायालय द्वारा मंजूर किए गए विवाह-विच्छेद से समाप्त हुए थे, प्रत्यर्थी सं. 1 ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अर्थ के अन्तर्गत तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की उपधारा (1) का स्पष्टीकरण (ख) के अन्तर्गत भरणपोषण निरन्तर दे रहा था जिसमें यह उपबंध किया गया है कि कोई स्त्री जिसके पति द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन कुटुंब न्यायालय से पारित डिक्री के कारण विवाह-विच्छेद हुआ है तो ऐसी स्त्री अपने पूर्व पति से भरणपोषण का दावा

करने के सीमित प्रयोजन के लिए पत्नी की प्रास्थिति का निरन्तर वह उपभोग कर सकती है । इसलिए, पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के उपबंधों के अधीन भरणपोषण पाने की हकदार है । (पैरा 6)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2000] ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 952 :
रोहताश सिंह बनाम **श्रीमती रामेन्द्री और अन्य** । 6

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2018 का दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 1333.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397 और 401 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन ।

आवेदकों की ओर से सर्वश्री वी. के. भारद्वाज, ज्येष्ठ अधिवक्ता साथ में रोहित बाथम

प्रत्यर्थी की ओर से श्री नरोत्तम शर्मा

न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव – 2010 के मामला सं. 48, (श्रीमती निधि अग्रवाल और एक अन्य बनाम दीपक अग्रवाल) वाले मामले में अपर प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर द्वारा तारीख 14 दिसंबर, 2017 के आदेश से व्यथित हुआ जिसके द्वारा 15,000/- रुपए तथा 10,000/- रुपए भरणपोषण क्रमशः प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के पक्ष में अधिनिर्णीत किया गया, इसलिए यह पुनरीक्षण आवेदन आवेदक-पति द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397/401 के अधीन फाइल किया गया है ।

2. इस पुनरीक्षण को फाइल करने के लिए वर्णित तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 23 नवंबर, 2015 को आवेदक और प्रत्यर्थी सं. 1 के बीच विवाह अनुष्ठापित हुआ था । इसके पश्चात् दहेज की मांग के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ था । प्रत्यर्थी-पत्नी को आवेदक-पति द्वारा प्रताड़ित किया गया था और दो दिन तक उसे खाना नहीं दिया गया था । उसने

दूरभाष से अपने माता-पिता को प्रताड़ित किए जाने और दुर्व्यवहार किए जाने की सूचना दी । यह भी अभिकथन किया गया है कि आवेदक ने प्रत्यर्थी सं. 1 के पिता से दूरभाष के माध्यम से दहेज की मांग की थी तथा आवेदक द्वारा पुनर्विवाह करने की भी धमकी दी थी । इस कारण से, प्रत्यर्थी सं. 1 के पिता तनावग्रस्त हो गए थे और अन्ततोगत्वा उन्हें हृदयाघात पहुंचा और जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई । सितंबर, 2007 के मास में प्रत्यर्थी सं. 1 ने लड़की को जन्म दिया जिस पर आवेदक ने अपनी अप्रसन्नता अभिव्यक्त की और पैदा हुई बच्ची का गला दबाने की कोशिश की जिसे वहां पर मौजूद व्यक्तियों द्वारा बचा लिया गया था । उस समय आवेदक द्वारा दहेज की मांग भी की गई थी तथा उसके द्वारा प्रत्यर्थी सं. 1 को पुत्री के साथ ग्वालियर छोड़ दिया था । प्रत्यर्थी सं. 1 के पास आय का कोई स्रोत नहीं था और इसलिए वह अपना तथा अपनी पुत्री का भरणपोषण करने में असमर्थ थी । इसलिए, उसने अपने तथा अपनी पुत्री के भरणपोषण का दावा करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन आवेदन फाइल किया । कुटुंब न्यायालय ने आवेदन को भागतः मंजूर कर लिया तथा आवेदक को प्रत्यर्थी सं. 1 के पक्ष में प्रतिमास 15,000/- रुपए तथा प्रत्यर्थी सं. 2 के पक्ष में प्रतिमाह 10,000/- रुपए भरणपोषण का संदाय करने के लिए आवेदक को निदेश दिया जिसके विरुद्ध आवेदक ने यह पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया है ।

3. आवेदक के विद्वान काउंसेल ने यह दलील दी कि प्रत्यर्थी-निधि ने स्वेच्छा से आवेदक के घर को त्याग दिया था और वह निखिल नामक व्यक्ति के साथ व्याभिचारी जीवन जी रही थी । प्रत्यर्थी सं. 1 ने इस तथ्य को छिपाया था कि व्याभिचारी, क्रूरता और परित्याग के आधार पर लुधियाना न्यायालय द्वारा तारीख 24 जनवरी, 2011 को निर्णय और डिक्री पारित करके विवाह-विच्छेद की डिक्री पारित की गई है । आक्षेपित आदेश किसी समुचित कारण पर समनुदेशित नहीं किया गया है, इसलिए भरणपोषण के बारे में आदेश को अपास्त किया जाता है ।

4. काउंसेल को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया है ।

5. यह स्वीकृत स्थिति है कि तारीख 23 नवंबर, 2015 को विवाह का अनुष्ठापन हुआ था । सुस्थिर विधि यह है कि पत्नी दैनिक खर्चों के लिए भरणपोषण का दावा कर सकती है । ऐसे भरणपोषण में चिकित्सा उपचार के लिए उपगत खर्चे भी आ सकते हैं । इस बारे में पति की बाध्यता है कि ऐसे खर्चों का संदाय करे, इसे आस्थगित नहीं किया जा सकता है ।

6. प्रत्यर्थी ने स्वेच्छया से अपने पति के घर का त्याग कर दिया था और वह व्याभिचारी जीवन में संलिप्त थी, इन तथ्यों का दोनों पक्षकारों की ओर से दिए गए साक्ष्य के आधार पर विश्लेषण किया जाना चाहिए । कुटुंब न्यायालय ने आदेश के पैरा 27 में यह मत व्यक्त किया है कि आवेदक ने परित्याग के आधार पर विवाह-विच्छेद के अभिकथित निर्णय और डिक्री पर प्रदर्श नहीं डाला गया था । यद्यपि, श्रीमती मीना बंसल (ए. डब्ल्यू. 2) की स्वीकार्यता के अनुसार उसकी प्रतिपरीक्षा के पैरा 21 में यह प्रकट हुआ है कि आवेदक और प्रत्यर्थी सं. 1 के बीच में विवाह-विच्छेद हुआ था परन्तु आक्षेपित आदेश के पैरा 30 में यह भी मत व्यक्त किया गया है कि **रोहताश सिंह** बनाम **श्रीमती रामेन्द्री और अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए यद्यपि प्रत्यर्थी-पत्नी ने विवाह-विच्छेद की डिक्री के पारित होने के पश्चात्, वह पति के साथ रहने के लिए बाध्य नहीं थी परन्तु चूंकि वैवाहिक संबंध हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अधीन कुटुंब न्यायालय द्वारा मंजूर किए गए विवाह-विच्छेद से समाप्त हुए थे, प्रत्यर्थी सं. 1 ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अर्थ के अन्तर्गत तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की उपधारा (1) का स्पष्टीकरण (ख) के अन्तर्गत भरणपोषण निरन्तर दे रहा था जिसमें यह उपबंध किया गया है कि कोई स्त्री जिसका पति द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन कुटुंब न्यायालय से पारित डिक्री के कारण विवाह-विच्छेद हुआ है तो ऐसी स्त्री अपने पूर्व पति से भरणपोषण का दावा करने के सीमित प्रयोजन के लिए पत्नी की प्रास्थिति का निरन्तर वह उपभोग कर सकती है । इसलिए, पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के उपबंधों के अधीन भरणपोषण पाने की हकदार है ।

---

[1] ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 952.

7. पूर्वोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में कोई प्रतिकूलता या अवैधानिकता का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है जिससे इस न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना आवश्यक हो । परिणामस्वरूप आवेदक-पति द्वारा फाइल किए गए पुनरीक्षण आवेदन को गुणागुण रहित होने के कारण खारिज किया जाता है ।

आवेदन खारिज किया गया ।

आर्य

(2019) 2 दा. नि. प. 231 **राजस्थान**

सुबहान खान

बनाम

राजस्थान राज्य

(2014 की डी. बी. दांडिक अपील सं. 708)

तारीख 15 अप्रैल, 2019

न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 307, 302 और 30 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या का प्रयत्न – क्षतिग्रस्त साक्षी – विश्वसनीयता हेतु – यह अभिकथन किया जाना कि अभियुक्त-अपीलार्थी अपनी पत्नी, 8 मास के पुत्र तथा दो पुत्रियों जिनकी आयु 7 वर्ष और 5 वर्ष की थी, उन पर चाकू और कनूत से वेधित घाव पहुंचाए – अभियुक्त-अपीलार्थी को यह संदेह था कि उसकी पत्नी के अतिरिक्त वैवाहिक प्रेम-प्रसंग है जो अपराध कारित किए जाने का हेतु है – यदि क्षतिग्रस्त पत्नी के परिसाक्ष्य की घटना के बारे में अन्य साक्षियों द्वारा संपुष्टि हुई है और अभियुक्त की बहिन और साले ने उसके विरुद्ध साक्ष्य दिया है और अपराध में अभियुक्त की सह-अपराधिता के बारे में कोई संदेह नहीं है तथा चिकित्सा साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध अपराध भी सिद्ध हुआ है तो अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि उचित है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 300, 302 और 304 भाग-I [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या या हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त-अपीलार्थी के बारे में यह अभिकथन किया जाना कि उसके द्वारा चाकू और कनूत द्वारा वेधित करके 8 मास के अपने पुत्र की हत्या की – जहां मामले में क्षतिग्रस्त पत्नी के परिसाक्ष्य की अभियुक्त के पड़ोसियों और बहिन द्वारा संपुष्टि हुई है और चिकित्सा साक्ष्य से मृतक के शरीर पर कई छिन्न घाव सिद्ध हुए हैं तथा अभियुक्त ने बर्बर तरीके से अपराध किया – वहां पर मात्र इस कारण से कि अभियुक्त ने अपने जीवन को समाप्त करने के लिए बिजली के तारों के ऊपर से छलांग लगाई तो उसका कार्य दंड संहिता की धारा 300 के अधीन उपबंधित किसी अपवाद के अंतर्गत नहीं आ सकता है – धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि न्यायसंगत है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 307 और 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27] – हत्या और हत्या का प्रयत्न – आयुध की बरामदगी – अभियुक्त-अपीलार्थी ने अन्वेषक अधिकारी को यह बताया कि आयुध घर के अंदर शुष्कित हिना पौधे के अंदर छुपा कर रखा था – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य की आयुध की बरामदगी के बारे में अन्वेषक अधिकारी द्वारा संपुष्टि की गई, बरामदगी विश्वसनीय है ।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 134, 114 (जी) और 118 – साक्षियों की संख्या – प्रतिकूल निष्कर्ष बालक साक्षी की परीक्षा नहीं करना – प्रभाव – हत्या का विचारण – अभियुक्त की क्षतिग्रस्त पत्नी का परिसाक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य से यह साबित हुआ है कि अभियुक्त द्वारा चाकू से अपनी दो पुत्रियों पर हमला किया गया जिसके परिणामस्वरूप वे शारीरिक और मानसिक रूप से पंगु हो गए – क्षतिग्रस्त पत्नी का परिसाक्ष्य अकाट्य पाया गया – बालक साक्षियों की परीक्षा न करने पर अभियोजन पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना पर्याप्त नहीं है ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 357क – पीड़ित प्रतिकर – अभियुक्त के बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने

अपने 8 मास के पुत्र की चाकू और कनूत से वेधित घाव पहुंचाकर हत्या की और अपनी 7 और 5 वर्ष की पुत्रियों पर भी हमला किया – अभियुक्त की पुत्रियों को क्षतियों के कारण शारीरिक और मानसिक निर्योग्यता पहुंची – अभियुक्त गरीब व्यक्ति होने के कारण प्रतिकर देने में असमर्थ है – तीनों पीड़ितों के संबंध में जांच प्रारंभ करने और प्रतिकर मंजूर करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण को निदेश जारी किया जाना उचित है ।

इस अपील के निपटारे के लिए सुसंगत व आवश्यक तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है – बाबू खान (शिकायतकर्ता) ने अन्य बातों के साथ यह अभिकथन करते हुए तारीख 1 नवंबर, 2009 को 7.15 बजे पूर्वाह्न सरकारी अस्पताल सोजात सिटी में श्री अमर सिंह, थाना गृह अधिकारी पुलिस थाना में लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी/1 दर्ज की कि उसकी जवान बहिन सीमा का 15-16 वर्ष पूर्व अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ विवाह हुआ था । उनके विवाह से दो पुत्रियां और एक पुत्र ने जन्म लिया था । पुत्रियों की आयु 7 और 5 वर्ष है और पुत्र 8 माह का है । अभियुक्त झगड़ालू प्रकृति का था और उसने तीन वर्ष पूर्व अपने पिता पर हमला भी किया था । उसकी बहिन सीमा को अभियुक्त द्वारा भी प्रताड़ित किया गया था परंतु परिवार के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उसने उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्रवाई नहीं की । 8 मास पूर्व इत्तिलाकर्ता ने सुबहान खान के काउंसेल से मिलने की कोशिश की ताकि कुटुंब के क्रियाकलाप सामान्य रूप से चलते रहें । सुबहान खान अपने कुटुंब के साथ सोजात में अंतरित होने के लिए सहमत हुआ । बाबू खान ने मोहम्मद हसन के घर में एक कमरा किराए पर लिया और वहां पर सुबहान खान किसी पद पर नियोजित हो गया था । 8 मास पूर्व दोनों पति-पत्नी के बीच केवल छोटी-मोटी घटनाएं घटीं और इस प्रकार इत्तिलाकर्ता ने यह महसूस किया कि स्थिति में सुधार आ जाएगा । तारीख 1 नवंबर, 2009 की प्रात: 5.30 बजे सुबह इत्तिलाकर्ता अपनी बहिन की चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके मकान की ओर गया । साक्षी नरपत सिंह (अभि. सा. 23), चंपा लाल (अभि. सा. 24), जगदीश चंद्र (अभि. सा. 25) और मदीना (अभि. सा. 5), इत्तिलाकर्ता की पत्नी

उसके पीछे-पीछे गई और श्रीमती सीमा के मकान पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सुबहान खान ने सीमा के सिर पर कुंद आयुध से कई प्रहार किए थे जिसके कारण वह जमीन पर गिर गई थी । साक्षियों के पहुंचने पर, सुबहान खान अपने हाथ पर कुंद आयुध लेकर मकान की छत पर चढ़ गया था । इत्तिलाकर्ता और अन्य साक्षी ने कमरे के अंदर से उक्त दृश्य को देखा था और यह देखकर उन्हें आघात लगा कि सीमा और उसकी पुत्री मुसम्मात मूमल और मुसम्मात मुसी ने जमीन पर आहत को गिरा हुआ पाया था और उसके शरीर से रक्त बह रहा था तथा कमरे का सम्पूर्ण फर्श और बैडशीट आदि रक्त में डूबे हुए थे ; 108 एम्बुलेंस बुलाई गई थी । इत्तिलाकर्ता ने पुलिस थाने पर उस बारे में उक्त सूचना दी थी । उसी बीच में उन्होंने किसी व्यक्ति की छत से नीचे गिरते हुए आवाज सुनी थी । बाहर आने के पश्चात् जमाल खान और दाउद खान ने उसे बताया था कि सुबहान खान ने छत के नजदीक बिजली की लाइन से छलांग लगाने की कोशिश की परंतु इसके बजाय वह नीचे गिर गया और उसे क्षतियां पहुंचीं । इत्तिलाकर्ता ने यह अभिकथन किया है कि सुबहान खान ने कई क्षतियां कारित करके अपने स्वयं के संबंधी की हत्या करने का प्रयास किया और इसके पश्चात् उसने बिजली की तारों के पास से कूदकर स्वयं आत्महत्या करने की कोशिश की । उसकी बहिन, भतीजियां और भतीजा उसे सरकारी अस्पताल सजोत पर ले गए थे जहां उन तीनों ने अपनी-अपनी गंभीर क्षतियों के उपचार का प्रबंध किया था । इस रिपोर्ट के आधार पर, दंड संहिता की धारा 307, 323 और 309 के अधीन अपराधों के लिए पुलिस थाना सोजत नगर पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 416/2009 दर्ज कराई थी और मामले में अन्वेषण प्रारंभ किया गया था । थाना भारसाधक अधिकारी, (अभि. सा. 27) अमर सिंह, सरकारी अस्पताल पर पहुंचा और श्रीमती सीमा, मुसम्मात मूमल, मुसम्मात मुसी की क्षति रिपोर्ट प्रदर्श पी/13, प्रदर्श पी/14, प्रदर्श पी/15 और प्रदर्श पी/16 एकत्र की । सभी क्षतिग्रस्त व्यक्ति बहुत बुरे आकार में थे और इस प्रकार चिकित्सा अधिकारी ने उन्हें आगे उपचार के लिए एम. टी. एम. अस्पताल जोधपुर भेजा था । बालक हबीब की एम. डी. एम. अस्पताल पर उसी दिन मृत्यु हो गई थी

जिस पर चिकित्सा ज्यूस्टि डाक्टर जगदीश जगतावत अभि. सा. 13 द्वारा उसके शव की शवपरीक्षण किया जाना था जिन्होंने शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी/21) जारी की थी जिसमें यह राय व्यक्त की गई थी । हबीब की मृत्यु का कारण सिर पर लगी हुई क्षति है जो मृत्यु कारित किए जाने के लिए प्रकृति के साधारण अनुक्रम में पर्याप्त थी । मामले में अध्यपेक्षित औपचारिकताएं की गई थीं जिसमें क्षतिग्रस्त व्यक्ति के रक्तरंजित कपड़े एकत्रित किए गए थे और मृतक को लाया गया था । घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था । अभियुक्त को 1 नवंबर, 2009 को गिरफ्तार किया गया था और उसके रक्तरंजित कपड़े अभिगृहीत किए गए थे । तारीख 2 नवंबर, 2009 को अभियुक्त ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अन्वेषक अधिकारी को सूचना (प्रदर्श पी/36) दी गई थी जिसके अनुसरण में अन्वेषक अधिकारी ने रक्तरंजित कुंद और रक्तरंजित चाकू जिसे झाड़ी के अन्दर छुपाया गया था, बरामद किया गया था और झाड़ी की बगल में अभियुक्त और उसके कुटुम्ब के सदस्य निवास करते हैं । अभिगृहीत वस्तुएं रसायनिक परीक्षा के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजे गए थे । तीनों क्षतिग्रस्त व्यक्तियों की एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त की गई थीं । चिकित्सीय राय क्षतियों की प्रकृति के बारे में दी गई थीं । डाक्टर सुरैन कुमार शर्मा ने यह अभिव्यक्त करते हुए अपनी राय दी है कि तीनों क्षतिग्रस्त मुसम्मात मूमल, मुसम्मात मुसी और श्रीमती सीमा को पहुंची क्षतियां उनके जीवन के लिए गंभीर थीं । तीनों क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को एम. डी. एम. अस्पताल जोधपुर शल्यक्रिया के लिए रखा गया था जहां से उनके बैड हेड टिकट एकत्र किए गए थे । अन्वेषण समाप्त करने के पश्चात् अपीलार्थियों के विरुद्ध अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोजत नगर के न्यायालय में दंड संहिता की धारा 302, 307, 323, 324, 326 और 309 के अधीन अपराध के लिए आरोप पत्र फाइल किया गया था । चूंकि अपराध सेशन विचारणीय थे इसलिए, मामले को अपर सेशन न्यायाधीश, सोजत नगर विचारण के लिए सुपुर्द किया गया था । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302, 307 और 309 के अधीन आरोप विरचित किए गए जिन्होंने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और

विचारण किए जाने का दावा किया । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कुल मिलाकर 27 साक्षियों की परीक्षा की तथा प्रदर्शित 38 दस्तावेज की परीक्षा कराई । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन मामले को प्रश्नगत करते हुए अभियुक्तों ने अभियोजन साक्ष्य में वर्णित अभिकथनों से इनकार किया परंतु अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्ष्य को देना नहीं चुना । विचारण की समाप्ति पर विद्वान् विचारण न्यायालय ने पूर्वोक्त रूप में अपीलार्थियों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करने की कार्रवाई की । इसलिए, यह अपील फाइल की गई है । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय ने न्यायालय पर दी गई दलीलों पर सोच-समझ कर विचार किया है और सावधानीपूर्वक अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का बारीकी से पुन: मूल्यांकन किया है । प्रथम इत्तिलाकर्ता बाबू खान का श्रीमती मदीना अभि. सा. 5 के साथ विवाह हुआ था जो अभियुक्त-अपीलार्थी की सगी बहिन है । उस समय श्रीमती सीमा (अभि. सा. 4) जो बाबू खान की बहिन है । उसका अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ विवाह हुआ था । इस प्रकार पक्षकारों की आपस में नातेदारी थी । क्षतिग्रस्त साक्षी (अभि. सा. 4) श्रीमती सीमा जो अभियुक्त-अपीलार्थी की पत्नी है, उसने दृढ़ रूप से अपने साक्ष्य में यह कथन किया है और निर्भीक रूप से यह बात रखी है कि वह किराए के मकान में खाना बना रही थी । वह अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ रहती थी और प्रात: 5.30 बजे पूर्वाह्न उसने अपने पति को अपनी दोनों पुत्रियों को और पुत्र को बुरी तरह पीटते हुए देखा था तथा कमरे के अन्दर उसने चाकू से उन पर हमला किया । वह दौड़ कर अपने कमरे के अंदर चली गई और उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया जिस पर सुबहान खान ने कुंद आयुध से उसके सिर, हाथ, कंधे और हथेलियों पर हमला कर दिया, वह चीखी-चिल्लाई जिस पर उसका भाई बाबू खान मदीना, चंपा लाल, जगदीश चन्द्र और अन्य पड़ोसी लोग अंदर पहुंचे और इसके पश्चात् वह बेहोश होकर गिर पड़ी । उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि सुबहान खान ने बालक हबीब खान जो 8 मास का है, उसके सिर पर क्षति कारित की जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई । उसने स्पष्ट रूप

से यह कथन किया है कि सुबहान खान ने 8 मास के बालक हबीब खान पर सिर की क्षति कारित की, जिस कारणवश उसकी मृत्यु हो गई । मुसम्मात मोमाल पर चाकू से क्षतियां कारित करने के कारण पर वह घूमने फिरने में असमर्थ हो गई । मुसम्मात मुसी अपने को पहुंची हुई क्षतियों के कारण शारीरिक और मानसिक निर्योग्यता से ग्रसित है । उसने यह कथन किया कि उसका पति झगड़ालू प्रकृति का था और यह धमकी दिया करता था कि वह उनकी हत्या कर दे । उसने तीन वर्ष पूर्व अपने पिता की भी पिटाई की थी । इस साक्षी से की गई प्रति-परीक्षा में कुछ भी महत्वपूर्ण बात प्रकट नहीं हुई है जिससे उसका परिसाक्ष्य को त्यक्त किया जा सके । इस साक्षी का यह भी सुझाव दिया गया था कि नरपत सिंह उनके मकान पर आया-जाया करता था जिस पर सुबहान खान उससे झगड़ा किया करता था । तथापि, इस साक्षी ने इस सुझाव से इनकार किया है जिससे उस पर अविश्वास का लांछन लगाने का उद्देश्य रहा । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में सच्चाई से यह कथन किया है कि घटना के समय काफी अंधेरा था । उसने यह स्पष्ट बयान दिया है कि जब वह कमरे के अंदर गई, उसने देखा कि सुबहान खान मुसकान पर चाकू से वेधित घाव कर रहा था । हबीब खान और मोमाल क्षतिग्रस्त दिशा में नीचे पड़े हुए थे । इस प्रकार इस साक्षी का साक्ष्य जिसकी मौजूदगी में घटना के स्थान पर घटना घटी, उस पर संदेह नहीं किया जा सकता और जिस घटना से स्वत: हमें विश्वास प्रेरित होता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने खतरनाक आयुध से अपनी पत्नी और बच्चों पर विभत्स रूप से हमला किया था और उनको कई क्षतियां पहुंचाई थीं । हबीब खान को कारित की गई क्षतियों को घातक होना साबित किया गया है और जबकि तीन क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को जो क्षतियां कारित की गईं उनके जीवन को समाप्त करने के संबंध में श्रीमती सीमा के साक्ष्य का अभि. सा. 1 बाबू खान अभि. सा. 5 मदीना (अभियुक्त-अपीलार्थी की सगी बहिन), नरपत सिंह (अभि. सा. 23), चंपा लाल (अभि. सा. 24) और जगदीश चन्द्र (अभि. सा. 25) के साक्ष्य से संपुष्टि हुई है । यह तथ्य कि मदीना अभियुक्त की बहिन रही है, उसने उसके विरुद्ध साक्ष्य दिया है, इसलिए, अपराध में अभियुक्त की सह-अपराधिता के बारे में

कोई संदेह नहीं है । डाक्टर सुरेन्द्र कुमार शर्मा ने तीनों क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को एक्सरे रिपोर्ट और बिस्तर-पर्ची टिकट की परीक्षा करने के पश्चात् उनकी क्षतियों की प्रकृति का निर्धारण किया है और यह राय व्यक्त की है कि सीमा की क्षतियां उसके जीवन के लिए जोखिमपूर्ण थीं । मूमल और मुसी की क्षतियों के बारे में गंभीर प्रकृति का होना राय दी गई है । डाक्टर जगदीश जगतावात (अभि. सा. 13) ने हबीब खान के शव का शवपरीक्षण किया और यह राय व्यक्त की कि शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी/21) में जानकारी में आई क्षति प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित किए जाने के लिए पर्याप्त थी । डाक्टर सुरेन्द्र कुमार गुप्ता जो उस सुसंगत समय पर एम. डी. एम. अस्पताल के शल्यक्रिया विभाग में रेजीडेंट डाक्टर थे । उन्होंने यह कथन किया है कि मुसी की सर्जन डाक्टर अखिलेश गुप्ता द्वारा तारीख 1 नवंबर, 2009 को शल्य क्रिया की गई है । उसके उदर को खोला गया था और वपा जो बाहर निकला हुआ था, पीछे अंदर की ओर दबाया गया और इसके पश्चात् अमाशय की भित्ति की सिलाई की गई थी । यह राय उसने अभिव्यक्त की है कि मुसी के उदरीय क्षेत्र के अन्य आंतरिक अंग सामान्य थे । उसी दिन मूमल पर डाक्टर ने यह राय व्यक्त की है कि उसकी सभी शल्य क्रिया प्रक्रिया को पूरा नहीं की गई थी । जिस वजह से मूमल और मुसी दोनों की मृत्यु हो सकी । प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य की अभियुक्त के मकान के अंदर सूखे हुए पत्तों में छुपाए गए आयुध की बरामदगी के तथ्य से भी संपुष्टि होती है । उसके द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अन्वेषक अधिकारी, अमर सिंह को प्रदान की गई सूचना के अनुसरण में ऐसा किया गया था जिसकी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य से संपुष्टि होती है । श्री भगीरथ विश्नोई ने यह दलील दी है कि दो क्षतिग्रस्त लड़कियों की साक्ष्य में परीक्षा नहीं की गई और इसलिए, अभियोजन (यथामुद्रित) पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना जरूरी है । अभियुक्त ने यह उल्लेख किया है जिसे कुछ कारण से अस्वीकार कर दिया गया कि विधि विनिश्चयों की श्रृंखला से सुस्थिर है कि मामले में साक्षियों की गुणता प्रकट हुई है न की उनकी मात्रा, जिसे न्यायालय द्वारा महत्व दिया गया हो । इसके अतिरिक्त, चूंकि उपलब्ध

चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार और श्रीमती सीमा के कथन के अनुसार लड़कियां गंभीर हमलों की वजह से सिरच्छेदन के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हुई हैं, प्रकटत: उनके साक्ष्य को लेखबद्ध करना संभव नहीं था । हम अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री भगीरथ विश्नोई द्वारा किए गए अभिवाक् का उल्लेख कर सकते हैं । दलीलों के दौरान क्षतिग्रस्त लड़कियां मूमल और मुसी दोनों द्वारा उक्त घटना में भोगी गई क्षतियों जिन्होंने उनके जीवन को पंगु बना दिया । हमने यह महसूस किया कि पीड़िताओं के दुख और दर्द को हल्का करने के लिए पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अधीन प्रतिकर की मंजूरी करके उनके मामले में कुछ सीमा तक विचार किया जा सकता है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357क को तारीख 31 दिसंबर, 2009 को संविधि में अन्तर्विष्ट किया गया था । यहां पर निर्देश देने की दृष्टि से उल्लेख किया जा सकता है कि राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम वर्ष, 2012 में परिदत्त की गई है । वर्तमान मामले का निर्णय जिसे वर्ष 2010 में विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया था । तथापि, विधि इस बारे में सुस्थापित है कि वैधानिक अधिकारों के बारे में अपील जिस पर विचारण न्यायालय का अधिनिर्णय है और अपील के लंबित रहने के दौरान अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है और जिस प्रयोजन के लिए उसका विचारण अभियुक्त की दोषसिद्धि के बजाय निरंतर किया जाना समझा जाना चाहिए । जब अपील का विनिश्चय कर दिया गया है, तब विचारण न्यायालय का निर्णय अपीली निर्णय में सम्मिलित हो जाता है । अभियुक्त के बारे में अत्यधिक निर्धन व्यक्ति होना कहा गया है और इस प्रकार, अभियुक्त के कहने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके तीनों पीड़ितों के लिए प्रतिकर मंजूर किए जाने पर विचार किए जाने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है । तथापि, पीड़ित प्रतिकर स्कीम जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357क के संदर्भ में राजस्थान राज्य द्वारा पुनर्स्थापित किया गया है, इस पहलू पर ध्यान देने के लिए लागू किया जा सकता है । वर्तमान मामले का निर्णय जिसे तारीख 26 नवंबर, 2010 को विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया है परंतु अपील जो विचारण में निरंतर रही है जिसमें

तीन क्षतिग्रस्तों के मामले में उनके लिए अपील प्रक्रम पर पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अधीन प्रतिकर की मंजूरी के लिए निश्चित रूप से विचार किया जा सकता है । माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 31 में पीड़ित प्रतिकर स्कीम के प्रवर्तन के लिए विचार किया जाए कि न्यायालय धारा 357क (2) में उल्लेख करते हुए मजिस्ट्रेट, विचारण न्यायालय या अपील न्यायालय पुनरीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना सम्मिलित है । माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 36 में आगे यह भी मत अभिव्यक्त किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357क का प्रभाव भूतलक्षी है । इस मामले को ध्यान में रखते हुए चूंकि घटना जिला पाली की है, हम पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली को यह निदेश देते हैं कि तीनों पीड़ितों की वर्तमान प्रास्थिति के बारे में ; और वर्तमान घटना में की गई क्षतियों के कारण उन पर पहुंचाई गई निर्योग्यता के बारे में और उनकी शारीरिक निर्योग्यता की प्रतिशतता ; यदि कोई है, तो उस बारे में संपूर्ण रूप से जांच करें, और उस बारे में निर्धारण करते हुए पूर्णकालिक सचिव चिकित्सा बोर्ड से राय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, यदि ऐसा अपेक्षित है । पूर्णकालिक सचिव की रिपोर्ट पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अधीन पीड़ितों को प्रतिकर दिलाने के लिए विचार किए जाने हेतु न्यायालय के परिशीलन हेतु रखी जाएगी । (पैरा 10, 13, 16, 18 और 22)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2001] ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 1528 :
श्रीमती अखतारी बी. बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** । 22

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2014 की डी. बी. दांडिक अपील सं. 708.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री बी. राय बिसनोल

प्रत्यर्थी की ओर से श्री अनिल जोशी, लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने दिया ।

न्या. मेहता – यह वर्तमान अपील 2009 के सेशन मामला सं. 17 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश सोजत सिटी द्वारा तारीख 26 नवंबर, 2010 को पारित किए गए निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी सुबहान खान द्वारा फाइल की गई है :–

अपराध	दंड	जुर्माना	जुर्माने के व्यतिक्रम में दंड
दंड संहिता की धारा 302 के अधीन	आजीवन कारावास	2,000/-	अतिरिक्त 6 मास का कठोर कारावास
दंड संहिता की धारा 307 के अधीन	आजीवन कारावास	1,000/-	अतिरिक्त 3 मास का कठोर कारावास
दंड संहिता की धारा 309 के अधीन	एक वर्ष का कारावास	500/-	1 मास का अतिरिक्त कारावास

उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन वर्तमान अपील फाइल की है ।

2. इस अपील के निपटारे के लिए सुसंगत व आवश्यक तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं :–

बाबू खान (शिकायतकर्ता) ने अन्य बातों के साथ यह अभिकथन करते हुए तारीख 1 नवंबर, 2009 को 7.15 बजे पूर्वाह्न सरकारी अस्पताल सोजत सिटी में श्री अमर सिंह, थाना गृह अधिकारी पुलिस थाना में लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी/1 दर्ज की कि उसकी जवान बहिन सीमा का 15-16 वर्ष पूर्व अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ विवाह हुआ था । उनके विवाह से दो पुत्रियां और एक पुत्र ने जन्म लिया था । पुत्रियों की आयु 7 और 5 वर्ष है और पुत्र 8 माह का है । अभियुक्त झगड़ालू प्रकृति का था और उसने तीन वर्ष पूर्व अपने पिता पर हमला भी किया था । उसकी बहिन सीमा को अभियुक्त द्वारा भी प्रताड़ित किया गया

था परंतु परिवार के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उसने उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्रवाई नहीं की । 8 मास पूर्व इत्तिलाकर्ता ने सुबहान खान के काउंसेल से मिलने की कोशिश की ताकि कुटुंब के क्रियाकलाप सामान्य रूप से चलते रहे । सुबहान खान अपने कुटुंब के साथ सोजत में स्थानांतरित होने के लिए सहमत हुआ । बाबू खान ने मोहम्मद हसन के घर में एक कमरा किराए पर लिया और वहां पर सुबहान खान किसी पद पर नियोजित हो गया था । 8 मास पूर्व दोनों पति-पत्नी के बीच केवल कुछ छुटपुट घटनाएं घटीं और इस प्रकार इत्तिलाकर्ता ने यह महसूस किया कि स्थिति में सुधार आ जाएगा । तारीख 1 नवंबर, 2009 की प्रात: 5.30 बजे सुबह इत्तिलाकर्ता अपनी बहिन की चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके मकान की ओर गया । साक्षी नरपत सिंह (अभि. सा. 23), चंपा लाल (अभि. सा. 24) जगदीश चंद्र (अभि. सा. 25) और मदीना (अभि. सा. 5), इत्तिलाकर्ता की पत्नी उसके पीछे-पीछे गई और श्रीमती सीमा के मकान पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सुबहान खान ने सीमा के सिर पर कुंद आयुध से कई प्रहार किए थे जिसके कारण वह जमीन पर गिर गई थी । साक्षियों के पहुंचने पर, सुबहान खान अपने हाथ पर कुंद आयुध के स्थान पर मकान की छत पर चढ़ गया था । इत्तिलाकर्ता और अन्य साक्षी ने कमरे के अंदर से उक्त दृश्य को देखा था और यह देखकर उन्हें आघात लगा कि सीमा और उसकी पुत्री मुसम्मात मूमल और मुसम्मात मुसी ने जमीन पर आहत को गिरा हुआ पाया था और उसके शरीर से रक्त बह रहा था तथा कमरे का सम्पूर्ण फर्श और बैडशीट आदि रक्त में डूबे हुए थे ; 108 एम्बुलेंस बुलाई गई थी । इत्तिलाकर्ता ने पुलिस थाने में उस बारे में उक्त सूचना दी थी । उसी बीच में उन्होंने किसी व्यक्ति की छत से नीचे गिरते हुए आवाज सुनी थी । बाहर आने के पश्चात् जमाल खान और दाउद खान ने उसे बताया था कि सुबहान खान ने छत के नजदीक बिजली की लाइन से छलांग लगाने की कोशिश की परंतु इसके बजाय वह नीचे गिर गया और उसे क्षतियां पहुंचीं । इत्तिलाकर्ता ने यह अभिकथन किया है कि सुबहान खान ने कई क्षतियां कारित करके अपने स्वयं के संबंधी की हत्या करने का प्रयास किया और इसके पश्चात् उसने बिजली की तारों के पास से कूदकर स्वयं आत्महत्या करने के कोशिश की । उसकी बहिन,

भतीजियां और भतीजा उसे सरकारी अस्पताल सोजत पर ले गए थे जहां उन तीनों ने अपनी-अपनी गंभीर क्षतियों के उपचार का प्रबंध किया था ।

3. इस रिपोर्ट के आधार पर, दंड संहिता की धारा 307, 323 और 309 के अधीन अपराधों के लिए पुलिस थाना सोजत में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 416/2009 दर्ज कराई थी और मामले में अन्वेषण प्रारंभ किया गया था । थाना भारसाधक अधिकारी, (अभि. सा. 27) अमर सिंह, सरकारी अस्पताल पर पहुंचा और श्रीमती सीमा, मुसम्मात मूमल, मुसम्मात मुसी की क्षति रिपोर्ट प्रदर्श पी/13, प्रदर्श पी/14, प्रदर्श पी/15 और प्रदर्श पी/16 एकत्र की । सभी क्षतिग्रस्त व्यक्ति बहुत बुरे आकार में थे और इस प्रकार चिकित्सा अधिकारी ने उन्हें आगे उपचार के लिए एम. डी. एम. अस्पताल जोधपुर भेजा था । बालक हबीब की एम. डी. एम. अस्पताल पर उसी दिन मृत्यु हो गई थी जिस पर चिकित्सा ज्यूस्टि डाक्टर जगदीश जगतावत अभि. सा. 13 द्वारा उसके शव की शवपरीक्षण किया जाना था जिन्होंने शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी/21) जारी की थी जिसमें यह राय व्यक्त की गई थी । हबीब की मृत्यु का कारण सिर पर लगी हुई क्षति है जो मृत्यु कारित किए जाने के लिए प्रकृति के साधारण अनुक्रम में पर्याप्त थी । मामले में अध्यपेक्षित औपचारिकताएं की गई थीं जिसमें क्षतिग्रस्त व्यक्ति के रक्तरंजित कपड़े एकत्रित किए गए थे और मृतक को लाया गया था । घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था । अभियुक्त को तारीख 1 नवंबर, 2009 को गिरफ्तार किया गया था और उसके रक्तरंजित कपड़े अभिगृहीत किए गए थे । तारीख 2 नवंबर, 2009 को अभियुक्त ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अन्वेषक अधिकारी को सूचना (प्रदर्श पी/36) दी गई थी जिसके अनुसरण में अन्वेषक अधिकारी ने रक्तरंजित कुंद और रक्तरंजित चाकू जिसे झाड़ी के अन्दर छुपाया गया था, बरामद किया गया था और झाड़ी की बगल में अभियुक्त और उसके कुटुम्ब के सदस्य निवास करते हैं । अभिगृहीत वस्तुएं रसायनिक परीक्षा के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजे गए थे । तीनों क्षतिग्रस्त व्यक्तियों की एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त की गई थीं । चिकित्सा राय क्षतियों की प्रकृति के बारे में दी गई थीं । डाक्टर सुरैन कुमार शर्मा ने यह अभिव्यक्त करते हुए अपनी राय दी है कि

तीनों क्षतिग्रस्त मुसम्मात मूमल, मुसम्मात मुसी और श्रीमती सीमा को पहुंची क्षतियां उनके जीवन के लिए गंभीर थीं । तीनों क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को एम. डी. एम. अस्पताल जोधपुर शल्यक्रिया के लिए रखा गया था जहां से उनकी बिस्तर-पर्ची प्राप्त की गई ।

4. अन्वेषण समाप्त करने के पश्चात् अपीलार्थियों के विरुद्ध अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोजत नगर के न्यायालय में दंड संहिता की धारा 302, 307, 323, 324, 326 और 309 के अधीन अपराध के लिए आरोप पत्र फाइल किया गया था । चूंकि अपराध सेशन विचारणीय थे इसलिए, मामले को अपर सेशन न्यायाधीश, सोजत नगर विचारण के लिए सुपुर्द किया गया था ।

5. विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302, 307 और 309 के अधीन आरोप विरचित किए गए जिन्होंने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कुल मिलाकर 27 साक्षियों की परीक्षा की तथा प्रदर्शित 38 दस्तावेजों की परीक्षा कराई ।

6. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन मामले को प्रश्नगत करते हुए अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य में वर्णित अभिकथनों से इनकार किया परंतु अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्ष्य को देना नहीं चुना ।

7. विचारण की समाप्ति पर विद्वान् विचारण न्यायालय ने पूर्वोक्त रूप में अपीलार्थियों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करने की कार्रवाई की । इसलिए, यह अपील फाइल की गई है ।

8. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री भगीरथ विश्नोई ने पुरजोर यह दलील दी कि संपूर्ण अभियोजन पक्षकथन मिथ्या रूप से गढ़ा गया है । उनके अनुसार मुख्य अभियोजन साक्षी श्रीमती सीमा (अभि. सा. 4) जो अभियुक्त की पत्नी है, का साक्ष्य विभेदकारी है और पूर्णतया बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है । श्री भगीरथ विश्नोई ने यह भी दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने अपने साक्ष्य में दो क्षतिग्रस्त लड़कियों की परीक्षा नहीं कराई और इस प्रकार तात्विक साक्षियों के बारे में प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाता है और जिस बात को न्यायालय

द्वारा अपने समक्ष रखा भी गया है । उन्होंने यह भी दलील दी कि तथ्य को देखते हुए श्रीमती सीमा के नरपत सिंह (अभि. सा. 23) के साथ विवाहेतर प्रेम प्रसंग चला हुआ था और उसने क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को तथा मृतका को क्षतियां पहुंचाई थीं । श्री विश्नोई की दलील यह थी कि अभियुक्त की ऐसी कोई आपराधिक मन:स्थिति नहीं थी कि जिससे कि वह अपनी पत्नी या अपने स्वयं के पुत्र और पुत्रियों की हत्या करता । उन्होंने यह भी दलील दी कि यह तथ्य प्रकट नहीं हुआ है कि अभियुक्त बिजली की लाइन के ऊपर से छलांग लगाकर अपने जीवन को नष्ट करने की कोशिश की जिससे यह तथ्य स्पष्ट रूप से उपदर्शित होता है कि उसका अपने स्वयं के पुत्र की हत्या करने का कोई आपराधिक मन:स्थिति नहीं थी । उन्होंने पुरजोर यह दलील दी है कि सीमा और उसकी दो पुत्रियां (जो मानसिक चोट और तीव्र मानसिक वेदना से विकलांग हुई हैं) उन्होंने अपीलार्थी के साथ अपनी-अपनी भिन्नताएं व्यक्त की हैं और वे वर्तमान खुले हुए कैम्प में उसके साथ रह रहे हैं और इस प्रकार यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध जिसके लिए अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया । वह अभियुक्त दंड संहिता की धारा 304 भाग 1 के अधीन छोड़े जाने योग्य है और अभियुक्त के लिए अधिनिर्णीत दंड को उपयुक्त रूप में कम किया जाना चाहिए । इन आधारों पर उन्होंने जोरदार रूप से न्यायालय के समक्ष इस अपील को स्वीकार करने की प्रार्थना की ; और तारीख 26 नवंबर, 2010 के आक्षेपित निर्णय को अभिखंडित करने या उपयुक्तता के साथ संपरिवर्तित करने की भी प्रार्थना की गई ।

9. इसके विपरीत विद्वान् लोक अभियोजक ने अपीलार्थी के काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों का पुरजोर रूप से विरोध किया । उन्होंने यह दलील दी कि साक्षी (अभि. सा. 1) बाबू खान, (अभि. सा. 4) सीमा, (अभि. सा. 5) मदीना (अभियुक्त-अपीलार्थी की बहिन), (अभि. सा. 23) नरपत सिंह, (अभि. सा. 24) चंपा लाल सभी ने स्पष्ट और विश्वासोत्पादक और इस प्रभाव का तर्कपूर्ण साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त ने बिना किसी उत्तेजना के और किसी न्यायसंगत कारणों के धारदार आयुध से अपने तीनों बच्चे और अपनी पत्नी (श्रीमती सीमा) पर घातक प्रहार किए । उन्होंने यह दलील दी कि चिकित्सा साक्षी अभि. सा. 12

डाक्टर सुरेन्द्र कुमार शर्मा, अभि. सा. 13 डाक्टर जगदीश जगतावत, अभि. सा. 14 डाक्टर सुरेन्द्र, अभि. सा. 15 डाक्टर एस. पी. सिंह, अभि. सा. 16 डाक्टर सुनील गर्ग ने निर्भीक होकर अपना साक्ष्य दिया है और उनके विश्वसनीय परिसाक्ष्य से यह तथ्य साबित हुआ है कि तीन क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को खतरनाक आयुधों से असंख्य क्षतियां पहुंचाई गई हैं । मुसम्मात मूमल, मुसम्मात मुसी और श्रीमती सीमा को कारित की गई क्षतियां जीवन को समाप्त करने के लिए पर्याप्त थीं जबकि क्षतियां आठ मास के बालक हबीब को पहुंचाई गई थीं जो घातक साबित हुई हैं । उन्होंने हमें अभि. सा. 13 डाक्टर जगदीश जगतावत के कथन की ओर ध्यान दिलाया जिन्होंने यह कथन किया कि हबीब के शव का शवपरीक्षण करने पर उनकी जानकारी में यह आया कि उसके उदरी क्षेत्र में कटा हुआ घाव था और बच्चे के नीचे की तरफ पार्श्विक क्षेत्र पर विदीर्ण घाव था जो पार्श्विक हड्डियों के सामने अस्थिभंग हुआ था । ये क्षतियां प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं । उन्होंने यह भी दलील दी कि डाक्टर द्वारा प्रतिरक्षा पक्ष के सुझाव पर यह उत्तर दिया गया था कि क्षतियां गिरने की वजह से भी कारित हो सकती हैं, यह बात पूर्णतया अप्रमाणिक है क्योंकि अभियुक्त जो उसी कमरे में मौजूद था, उसने प्रतिरक्षा में ऐसी कोई कहानी नहीं बताई है कि बच्चे के गिरने की वजह से घातक क्षतियां पहुंची । उन्होंने आगे यह दलील दी कि बच्चे के शरीर पर कटी हुई क्षतियां आई हैं । उन्होंने यह भी दलील दी कि डाक्टर सुरेन्द्र कुमार द्वारा तीनों क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के शरीर पर कई कटे हुए घाव/छिन्न घाव जानकारी में आए हैं जो जीवन के लिए बहुत घातक हैं तथा ऐसी कोई कल्पना नहीं की जा सकती कि ये क्षतियां गिरने की वजह से कारित हुई हैं । उन्होंने यह दलील दी कि अभियोजन साक्षी खास तौर पर श्रीमती सीमा जो अभियुक्त बाबू खान की पत्नी है और बाबू खान जो उसका साला है और मदीना अभियुक्त की सगी बहिन है उनके पास अपीलार्थी के विरुद्ध कोई मिथ्या साक्ष्य देने का अवसर नहीं था । इस प्रकार, उसने यह दलील दी कि अभियुक्त की दोषसिद्धि जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किया गया है, को साक्ष्य के

मूल्यांकन पर आधारित है तथा आक्षेपित निर्णय में कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है ।

10. हमने न्यायालय पर दी गई दलीलों पर सोच-समझ कर विचार किया है और सावधानीपूर्वक अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का बारीकी से पुन: मूल्यांकन किया है ।

प्रथम इत्तिलाकर्ता बाबू खान की श्रीमती मदीना अभि. सा. 5 के साथ विवाह हुआ था जो अभियुक्त-अपीलार्थी की सगी बहिन है । उस समय श्रीमती सीमा (अभि. सा. 4) जो बाबू खान की बहिन है । उसका अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ विवाह हुआ था । इस प्रकार पक्षकारों की आपस में नातेदारी थी । क्षतिग्रस्त साक्षी (अभि. सा. 4) श्रीमती सीमा जो अभियुक्त-अपीलार्थी की पत्नी है, उसने दृढ़ रूप से अपने साक्ष्य में यह कथन किया है और निर्भीक रूप से यह बात रखी है कि वह किराए के मकान में खाना बना रही थी । वह अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ रहती थी और प्रात: 5.30 बजे पूर्वाह्न उसने अपने पति को अपनी दोनों पुत्रियों और पुत्रों को बुरी तरह पीटते हुए देखा था तथा कमरे के अन्दर उसने चाकू से उन पर हमला किया । वह दौड़ कर अपने कमरे के अंदर चली गई और उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया जिस पर सुबहान खान ने कुंद आयुध से उसके सिर, हाथ, कंधे और हथेलियों पर हमला कर दिया वह चीखी-चिल्लाई जिस पर उसका भाई बाबू खान मदीना, चंपा लाल, जगदीश चन्द्र और अन्य लोग पड़ोस से अंदर पहुंचे और इसके पश्चात् वह बेहोश होकर गिर पड़ी । उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि सुबहान खान ने बालक हबीब खान जो आठ मास का है, उसके सिर पर क्षति कारित की जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई । उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि सुबहान खान ने आठ मास के बालक हबीब खान पर सिर की क्षति कारित की, जिस कारणवश उसकी मृत्यु हो गई । मुसम्मात मूमल पर चाकू से क्षतियां कारित करने के कारण वह घूमने फिरने में असमर्थ हो गई । मुसम्मात मुसी अपने को पहुंची हुई क्षतियों के कारण शारीरिक और मानसिक निर्योग्यता से ग्रसित है । उसने यह कथन किया कि उसका पति झगड़ालू प्रकृति का था और यह धमकी दिया करता था कि वह उनकी हत्या कर दे । उसने तीन वर्ष पूर्व अपने पिता की भी पिटाई की थी । इस साक्षी से की गई

प्रतिपरीक्षा में कुछ भी महत्वपूर्ण बात प्रकट नहीं हुई है जिससे उसका परिसाक्ष्य को त्यक्त किया जा सके । इस साक्ष्य का यह भी सुझाव दिया गया था कि नरपत सिंह उनके मकान पर आया-जाया करता था जिस पर सुबहान खान उससे झगड़ा किया करता था । तथापि, इस साक्षी ने इस सुझाव से इनकार किया है जिससे उस पर अविश्वास का लांछन लगाने का उद्देश्य रहा । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में सच्चाई से यह कथन किया है कि घटना के समय काफी अंधेरा था । उसने यह स्पष्ट बयान दिया है कि जब वह कमरे के अंदर गई, उसने देखा कि सुबहान खान मुस्कान पर चाकू से वेधित घाव कर रहा था । हबीब खान और मोमाल क्षतिग्रस्त दिशा में नीचे पड़े हुए थे । इस प्रकार इस साक्षी का साक्ष्य जिसकी मौजूदगी में घटना के स्थान पर घटना घटी, उस पर संदेह नहीं किया जा सकता और जिस घटना से स्वत: हमें विश्वास प्रेरित होता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने खतरनाक आयुध से अपनी पत्नी और बच्चों पर विभत्स रूप से हमला किया था और उनको कई क्षतियां पहुंचाई थीं । हबीब खान को कारित की गई क्षतियां को घातक होना साबित किया गया है और जबकि तीन क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को जो क्षतियां कारित की गई उनको जीवन को समाप्त करने के संबंध में श्रीमती सीमा के साक्ष्य का अभि. सा. 1 बाबू खान अभि. सा. 5 मदीना (अभियुक्त अपीलार्थी की सगी बहिन), नरपत सिंह (अभि. सा. 23), चंपा लाल (अभि. सा. 24) जगदीश चन्द्र (अभि. सा. 25) के साक्ष्य से संपुष्टि हुई है । यह तथ्य कि मदीना अभियुक्त की बहिन रही है, उसने उसके विरुद्ध साक्ष्य दिया है, इसलिए, अपराध में अभियुक्त की सह-अपराधिता के बारे में कोई संदेह नहीं है ।

11. चिकित्सा परिसाक्ष्य जैसा कि डाक्टर सुरेन्द्र कुमार शर्मा (अभि. सा. 12) द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है, जिन्होंने सरकारी अस्पताल सोजत पर प्रारंभ में क्षतिग्रस्त व्यक्तियों की परिचर्चा की ; डाक्टर जगदीश जगतावत (अभि. सा. 13) चिकित्सा ज्यूस्टि, एम. डी. एम. अस्पताल जोधपुर जिन्होंने मृतक हबीब की शव-परीक्षा रिपोर्ट जारी की ; डाक्टर सुरेन्द्र गुप्ता रेजीडेंट डाक्टर शल्य चिकित्सा विभाग जिन्होंने एम. डी. एम. अस्पताल जोधपुर में मूमल और मुसी का उपचार करने में शल्य चिकित्सा प्रक्रिया किए जाने के बारे में साक्ष्य दिया है ; डाक्टर

एस. पी. सिंह (अभि. सा. 15) जिन्होंने दो क्षतिग्रस्त लड़कियों की बिस्तर-पर्ची जारी की ; डाक्टर सुरेन्द्र (अभि. सा. 16) जिन्होंने मुसी नाम के बच्चे की न्यूरो सर्जरी की । जिस बात के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य से संपुष्टि हुई है ।

12. डाक्टर सुरेन्द्र कुमार शर्मा (अभि. सा. 12), चिकित्सा ज्यूस्टि के कथन का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने चार क्षतिग्रस्त व्यक्तियों की परीक्षा की और क्षति रिपोर्ट जारी की जिनकी क्षतियों का निम्नलिखित वर्णन किया गया है :-

मूमल की क्षति रिपोर्ट (प्रदर्श पी/13) :

1. बाएं पार्श्विक क्षेत्र पर 3 × ½ इंच का छिन्न घाव ।

2. दाहिने पार्श्विक क्षेत्र पर 3 × ½ इंच का छिन्न घाव ।

3. पश्च कपाल क्षेत्र पर 2 × 2 इंच विर्दीण घाव ।

4. वक्ष के क्षेत्र पर ½ सें.मी. × ½ सें.मी. का विर्दीण घाव ।

मुसी की क्षति रिपोर्ट (प्रदर्श पी/14) :

1. सिर के पीछे की ओर 2 × 0.5 सें.मी. अलग-अलग और मस्तिष्क की गहराई तक छिन्न घाव ।

2. उदर पर 1 सें.मी x .2 सें.मी. का छिन्न घाव ।

सीमा की क्षति रिपोर्ट (प्रदर्श पी/15) :

1. सिर के आगे की ओर 4 × ½ इंच का छिन्न घाव ।

2. मस्तिष्क पर 2 × ½ इंच का छिन्न घाव ।

3. गर्दन के बाईं ओर 2 सें.मी. × ½ सें.मी. का छिन्न घाव ।

4. सिर की ओर 3 × ½ इंच का छिन्न घाव ।

5. दाहिने हथेली के पीछे की ओर 1 सें.मी. × 2 सें.मी. बहुत से कटे हुए घाव ।

6. पीठ के बाईं ओर 1.5 सें.मी. × 2 सें.मी. का छिन्न घाव ।

हबीब खान की क्षति रिपोर्ट (प्रदर्श पी/16) :

1. उदर पर 1 सें.मी. × ½ सें.मी. का छिन्न घाव ।

2. खोपड़ी के दाहिने ओर हेमाटोमा पर सूजन ।

3. सिर के बाईं ओर हेमाटोमा ।

13. डाक्टर सुरेन्द्र कुमार शर्मा ने तीनों क्षतिग्रस्त व्यक्तियों की एक्सरे रिपोर्ट और बिस्तर-पर्ची टिकट की परीक्षा करने के पश्चात् उनकी क्षतियों की प्रकृति का निर्धारण किया है और यह राय व्यक्त की है कि सीमा की क्षतियां उसके जीवन के लिए जोखिमपूर्ण थी । मूमल और मुसी की क्षतियों के बारे में गंभीर प्रकृति का होना राय दी गई है । डाक्टर जगदीश जगतावात (अभि. सा. 13) ने हबीब खान के शव का शवपरीक्षण किया और यह राय व्यक्त की कि शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी/21) में जानकारी में आई क्षति प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित किए जाने के लिए पर्याप्त थी । डाक्टर सुरेन्द्र कुमार गुप्ता जो उस सुसंगत समय पर एम. डी. एम. अस्पताल के शल्यक्रिया विभाग में रेजीडेंट डाक्टर थे । उन्होंने यह कथन किया है कि मुसी की सर्जन डाक्टर अखिलेश गुप्ता द्वारा तारीख 1 नवंबर, 2009 को शल्य क्रिया की गई है । उसके उदर को खोला गया था और वपा जो बाहर निकला हुआ था, पीछे अंदर की ओर दबाया गया और इसके पश्चात् अमाशय की भित्ति की सिलाई की गई थी । यह राय उसने अभिव्यक्त की है कि मुसी के उदरीय क्षेत्र के अन्य आंतरिक अंग सामान्य थे । उसी दिन मूमल डाक्टर ने यह राय व्यक्त की है कि यदि सभी शल्यक्रिया प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया था । जिस वजह से मूमल और मुसी दोनों की मृत्यु हो सकी ।

14. डाक्टर सुनील गर्ग (अभि. सा. 16) ने इस प्रभाव का साक्ष्य दिया कि वह तारीख 1 नवंबर, 2009 को न्यूरो सर्जरी विभाग एम. डी एम. अस्पताल जोधपुर में सह-आचार्य के पद पर तैनात था । उसने बेबी मुसी जिसकी आयु 3 वर्ष है, उसकी शिरोवल्क की सर्जरी की थी और उसकी दाहिनी पार्श्विक अस्थि का अस्थिभंग हुआ था और टुकड़ों में उनका विच्छिन्न हुआ था, उसे हटा दिया गया था । उपरोक्त मस्तिष्क की झिल्ली फटी हुई थी और मस्तिष्क द्रव्य बाहर आया हुआ था जिसकी

मरम्मत करके उसे संरक्षित किया गया था । उसने मुसी के शिरोवल्क की शल्यक्रिया प्रक्रिया की जिसका मस्तिष्क झिल्ली से बाहर की ओर आ रहा था । उसकी बाईं पार्श्विक अस्थि विच्छिन्न हुई थी । अत्यधिक मस्तिष्क द्रव्य को अलग किया गया था और घाव को बंद किया गया था । उसने सीमा के सिर का शल्यक्रिया को भी पूरा किया था और यह उल्लेख किया कि उसका पार्श्विक अस्थिभंग हुआ था जो टूटकर टुकड़ों में बंटी हुई थी । इन चिकित्सा साक्षियों से की गई प्रतिपरीक्षा में कुछ भी महत्वपूर्ण बात प्रकट नहीं हुई है ।

15. तीनों क्षतिग्रस्त व्यक्तियों और मृतक बालक के आकार और प्रकृति पर विचार करते हुए, हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि अभियुक्त व्यक्ति का आशय निरपवाद रूप से अपने स्वयं के कुटुंब के सदस्यों की हत्या करने का रहा था क्योंकि उसके विवेक में उनके प्रति नकारात्मक संदेह प्रकट हुआ है कि उसकी पत्नी नरपत सिंह के साथ प्रेम प्रसंग में अन्तर्वलित थी । मैं कम से कम इस बात से और श्री भगीरथ विश्नोई विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा दी गई दलील से सहमत नहीं हूं कि अभियुक्त द्वारा बिजली के तारों के पास से छलांग लगाना अपने जीवन को समाप्त करना है, उसका कार्य दंड संहिता की धारा 300 के अधीन उपबंधित अपवादों के अन्तर्गत आता है जिससे दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आरोप हल्का हो जाता है जिसके लिए अभियुक्त दंड संहिता की धारा 304 भाग-1 के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है ।

16. प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य की अभियुक्त के मकान के अंदर सूखे हुए पत्तों में छुपाए गए आयुध की बरामदगी के तथ्य से भी संपुष्टि होती है । उसके द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अन्वेषक अधिकारी, अमर सिंह को प्रदान की गई सूचना के अनुसरण में ऐसा किया गया था जिसकी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य से संपुष्टि होती है ।

17. प्रतिरक्षा काउंसेल की दलील यह है कि अभियुक्त का अपराध कारित करने के लिए कोई आपराधिक मन:स्थिति नहीं थी क्योंकि उसने बिजली के तारों के घेरे से स्वयं आत्महत्या करने का प्रयास किया । जब

हम इस तथ्य पर विचार करते हैं कि अभियुक्त ने विभत्स रूप से अपने स्वयं के कुटुंब के सदस्यों यानि तीन अल्पव्यस्कों और कोमल आयु के बच्चे और अपनी पत्नी को चाकू और कून्त जैसे खतरनाक आयुधों से हमला किया ।

18. श्री भगीरथ विश्नोई ने यह दलील दी है कि दो क्षतिग्रस्त लड़कियों की साक्ष्य में परीक्षा नहीं की गई और इसलिए, अभियोजन (यथामुद्रित) पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना जरूरी है । अभियुक्त ने यह उल्लेख किया है जिसे कुछ कारण से अस्वीकार कर दिया गया कि विधि विनिश्चयों की श्रृंखला से सुस्थिर है कि मामले में साक्षियों की गुणता प्रकट हुई है न की उनकी मात्रा, जिसे न्यायालय द्वारा महत्व दिया गया हो । इसके अतिरिक्त, चूंकि उपलब्ध चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार और श्रीमती सीमा के कथन के अनुसार लड़कियां गंभीर हमलों की वजह से सिरच्छेदन के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हुई हैं, प्रकटत: उनके साक्ष्य को लेखबद्ध करना संभव नहीं था ।

19. श्री भगीरथ विश्नोई ने यह दलील दी है कि श्रीमती सीमा और दो क्षतिग्रस्त लड़कियां वर्तमान समय में खुले हुए कैम्प में अभियुक्त के साथ रह रही थी और इस प्रकार, उसे उनके साथ उदारता बरतनी चाहिए थी । पक्षकारों के बीच समझौता के तथ्य के कारण जिस पर न तो सुसंगत रूप से विचार किया गया और न हत्या के अपराध में अन्तर्वलित मामले पर कार्यवाही की गई ।

20. इस प्रकार, हमारी यह दृढ़ राय है कि विचारण न्यायालय ने पूर्ण रूप से उचित रीति में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया है जबकि तारीख 26 नवबंर, 2010 के आक्षेपित निर्णय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध दोषिता का निष्कर्ष लेखबद्ध किया जो किसी अवैधानिकता या दुर्बलता से ग्रसित नहीं है ।

21. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए हम वर्तमान अपील में कोई गुणागुण नहीं पाते हैं और इस प्रकार, अपील विफल है और उसे खारिज किया जाता है ।

22. हम अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री भगीरथ विश्नोई द्वारा किए गए अभिवाक् का उल्लेख कर सकते हैं । दलीलों के दौरान क्षतिग्रस्त लड़कियां मूमल और मुसी दोनों द्वारा उक्त घटना में भोगी गई क्षतियों जिन्होंने उनके जीवन को पंगु बना दिया । हमने यह महसूस किया कि पीड़िताओं के दुख और दर्द को हल्का करने के लिए पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अधीन प्रतिकर की मंजूरी करके उनके मामले में कुछ सीमा तक विचार किया जा सकता है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357क को तारीख 31 दिसंबर, 2009 को संविधि में अन्तर्विष्ट किया गया था । यहां पर निर्देश देने की दृष्टि से उल्लेख किया जा सकता है कि राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम वर्ष, 2012 में परिदत्त की गई है । वर्तमान मामले का निर्णय जिसे वर्ष 2010 में विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया था । तथापि, विधि इस बारे में सुस्थापित है कि वैधानिक अधिकारों के बारे में अपील जिस पर विचारण न्यायालय का अधिनिर्णय है और अपील के लंबित रहने के दौरान अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है और जिस प्रयोजन के लिए उसका विचारण अभियुक्त की दोषसिद्धि के बजाय निरंतर किया जाना समझा जाना चाहिए । इस बारे में **श्रीमती अखतारी बी.** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले को निर्दिष्ट किया जा सकता है । जब अपील का विनिश्चय कर दिया गया है, तब विचारण न्यायालय का निर्णय अपीली निर्णय में सम्मिलित हो जाता है । अभियुक्त के बारे में अत्यधिक निर्धन व्यक्ति होना कहा गया है और इस प्रकार, अभियुक्त के कहने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके तीनों पीड़ितों के लिए प्रतिकर मंजूर किए जाने पर विचार किए जाने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है । तथापि, पीड़ित प्रतिकर स्कीम जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357क के संदर्भ में राजस्थान राज्य द्वारा पुनर्स्थापित किया गया है, इस पहलू पर ध्यान देने के लिए लागू किया जा सकता है । वर्तमान मामले का निर्णय जिसे तारीख 26 नवंबर, 2010 को विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया है परंतु अपील जो विचारण में निरंतर रही है जिसमें तीन क्षतिग्रस्तों के मामले में उनके लिए अपील

---

[1] ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 1528.

प्रक्रम पर पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अधीन प्रतिकर की मंजूरी के लिए निश्चित रूप से विचार किया जा सकता है । **मोहम्मद कलीम** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** (दांडिक अपील सं. 1726/2012) वाले मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 31 में पीड़ित प्रतिकर स्कीम के प्रवर्तन के लिए विचार किया जाए कि न्यायालय धारा 357क (2) में उल्लेख करते हुए मजिस्ट्रेट, विचारण न्यायालय या अपील न्यायालय पुनरीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना सम्मिलित है । माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 36 में आगे यह भी मत अभिव्यक्त किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357क का प्रभाव भूतलक्षी है । इस मामले को ध्यान में रखते हुए चूंकि घटना जिला पाली की है, हम पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली को यह निदेश देते हैं कि तीनों पीड़ितों की वर्तमान प्रास्थिति के बारे में ; और वर्तमान घटना में की गई क्षतियों के कारण उन पर पहुंचाई गई निर्योग्यता के बारे में और उनकी शारीरिक निर्योग्यता की प्रतिशतता ; यदि कोई है, तो उस बारे में संपूर्ण रूप से जांच करें, और उस बारे में निर्धारण करते हुए पूर्णकालिक सचिव चिकित्सा बोर्ड से राय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, यदि ऐसा अपेक्षित है । पूर्णकालिक सचिव की रिपोर्ट पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अधीन पीड़ितों को प्रतिकर दिलाने के लिए विचार किए जाने हेतु न्यायालय के परिशीलन हेतु रखी जाएगी ।

23. पीड़ितों को अगली तारीख को न्यायालय में उपस्थित कराया जाएगा जिस पर अनुपालन करने के लिए तारीख नियत की जाएगी ।

24. इस आदेश की प्रति पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली को अग्रेषित की जाएगी ।

25. पूर्णकालिक सचिव की रिपोर्ट प्राप्त करके मामले को तारीख 24 मई, 2019 के लिए सूचीबद्ध किया जाए ।

तद्नुसार आदेश किया गया ।

आर्य

देवेन्द्र उर्फ **देवो और अन्य**

बनाम

राजस्थान राज्य

(2015 की दांडिक अपील सं. 969)

तारीख 11 जुलाई, 2019

न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह सिरदाना और न्यायमूर्ति अशोक कुमार गौड़

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302, 365 और 201 – साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 27 के अधीन अभियुक्तों से प्राप्त सूचना के आधार पर शव और हत्या से संबंधित अन्य वस्तुओं की बरामदगी – अभियुक्तों और मृतक को अंतिम बार एक साथ देखने वाले प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का पक्षद्रोही होना – पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि – निर्णय को चुनौती – राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता संबंधी प्रश्न का उठाया जाना – राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता का निर्विवाद रूप से स्थापित न होना – अपहरण और अपराध के हेतु का भली-भांति साबित न होना – अंतिम बार एक साथ देखे जाने तथा मृत्यु के बीच के अन्तराल का अधिक होना – पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक परिस्थिति स्पष्ट, विश्वसनीय और निश्चयी साक्ष्य द्वारा सिद्ध की जानी चाहिए तथा उनके द्वारा घटनाओं की ऐसी श्रृंखला को सिद्ध किया जाए जिससे अभियुक्त के दोषी होने के अलावा अन्य किसी निष्कर्ष की कोई संभावना न हो ।

वर्तमान अपील का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि शिकायतकर्ता-करतार सिंह ने तारीख 15 मार्च, 2012 को पुलिस थाना, उद्योग नगर, भरतपुर में तारीख 5 मार्च, 2012 को अधिकथित रूप से हुई घटना के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट फाइल की । शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में यह आरोप लगाया कि तारीख 5 मार्च, 2012 को उसका साला – चरन सिंह **उर्फ** छुट्टी कटेलिया ग्राम में

गया और उसने यह सूचना दी कि उसकी पत्नी ने उसे वहां बुलाया तथा उसके साले – चरन सिंह और उसकी पत्नी को वहां से भूमि के एक खण्ड का विक्रय किए जाने के मद्दे धन एकत्र करना है और यह भी सूचित किया कि उसकी पत्नी मामले को वापस लेने के लिए सहमत हो गई है । शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि तारीख 5 मार्च, 2012 को रात्रि लगभग 9 और 10 बजे के बीच उसके साले चरन सिंह ने लालाराम नामक एक व्यक्ति, जो ग्राम कटेलिया का वासी था, से बातचीत की जिसके भाई ने चरन सिंह से भूमि के उस खण्ड का क्रय किया था । यह आरोपित किया गया कि उसके साले ने लालाराम से अपेक्षित धन की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया और उसके साले को उससे अगले दिन धन लेने के लिए उसके पास जाना था । यह और आरोप लगाया गया कि चरन सिंह ने अपनी पत्नी से भी उसकी बातचीत कराने की व्यवस्था की और उन दोनों ने लालाराम से उसके मोबाइल नं. 7500753394 पर बात की । शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उसके साले की पत्नी श्रीमती देवेन्द्री के देवो नामक किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध हैं और उसने देवो के साथ ही रहना आरंभ कर दिया । शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में यह और आरोप लगाया कि तारीख 5 मार्च, 2012 को उसके साले चरन सिंह और उसकी पत्नी देवेन्द्री ने लाला की भाभी, अर्थात् पूरण की पत्नी से भी उसके मोबाइल नं. 8008038553 पर बात की । शिकायतकर्ता ने यह अभिकथन किया कि उसका साला पिछले 25 वर्ष से उसके साथ ग्राम धौरमुई में निवास कर रहा है और वह उसकी पत्नी के कहने पर धौरमुई से धन प्राप्त करने के लिए गया था । शिकायतकर्ता ने यह अभिकथन किया कि उसने अपने साले का पता लगाने के लिए अनेक प्रयास किए और उसने अपने भिन्न-भिन्न नातेदारों से भी संपर्क किया किन्तु वह अपने साले चरन सिंह का पता नहीं लगा सका और उसे यह संदेह है कि चरन सिंह की पत्नी देवेन्द्री और देवेन्द्र ने, जो ग्राम कटेलिया, पुलिस थाना नौझील जिला मथुरा (उत्तर प्रदेश) का निवासी , उसके साले का अपहरण किया है और उसे बरामद करने के लिए पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए । दंड संहिता की धारा 365 के अधीन मामले को रजिस्टर करने के पश्चात्, पुलिस ने अपना अन्वेषण आरंभ किया और इस अन्वेषण के दौरान

उन्होंने दो अभियुक्तों अर्थात् देवेन्द्र **उर्फ** देवो और श्रीमती देवेन्द्री को गिरफ्तार किया । भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "1872 का अधिनियम" कहा गया है) की धारा 27 के अधीन अभियुक्तों-अपीलार्थियों से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मृतक चरन सिंह के मृत शरीर को बरामद किया और इसके अतिरिक्त अन्वेषण के दौरान अपराध को किए जाने से संबंधित अन्य वस्तुओं की भी बरामदगी की गई । अन्वेषण को पूरा करने के पश्चात्, पुलिस ने दंड संहिता की धारा 365, 302 और 201 के अधीन अपराधों के लिए वर्तमान अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया । अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात्, विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियुक्तों-अपीलार्थियों ने दंड संहिता की धारा 365, 302 और 201 के अधीन दंडनीय अपराधों को किया है और तद्नुसार उन पर दंडादेश भी अधिरोपित किया गया । विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियुक्तों-अपीलार्थियों ने मृतक चरन सिंह को उनके पास आने के लिए उत्प्रेरित किया और उसके पश्चात् उन्होंने उसका अपहरण किया तथा दोनों अभियुक्तों ने चाकू का उपयोग करते हुए उसके शरीर को क्षति पहुंचाकर मृतक चरन सिंह की हत्या की और इसके अतिरिक्त मृतक की हत्या करने के पश्चात् साक्ष्य को नष्ट करने के आशय से एक गड्ढा खोदकर मृतक शरीर को उसमें दफना दिया और उन्होंने इस प्रकार अन्य साक्ष्यों को भी नष्ट कर दिया । यद्यपि, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी रामकिशन (अभि. सा. 2), जो मृतक को अन्तिम बार देखने वाला एकमात्र साक्षी और उसने ही अभियुक्तों-अपीलार्थियों और मृतक व्यक्ति को अन्तिम बार एक साथ देखा था, पक्षद्रोही हो गया फिर भी विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस प्रकार का अन्य साक्ष्य विद्यमान है जो वर्तमान अभियुक्तों-अपीलार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से अपराध से जोड़ता है । विचारण न्यायालय आगे इस और निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियुक्त देवेन्द्र के बताए जाने पर मृत शरीर और दो टुकड़ों में खून से सने चाकू की बरामदगी और साथ ही खून से सने लाल रंग के एक पुराने पेटीकोट और एक पुरानी सलेटी रंग की खून से सनी पतलून (पेंट) की बरामदगी ने इस अपराध के संबंध में अभियुक्तों-अपीलार्थियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष

साक्ष्य उपलब्ध कराया है और मृतक से उनके संबंध को साबित किया है । हेतु के प्रश्न पर, विचारण न्यायालय ने इस निष्कर्ष को लेखबद्ध किया है कि चूंकि अभियुक्तों-अपीलार्थियों के बारे में यह कहा गया कि वे एक साथ रह रहे है और उनके बीच अवैध संबंध भी हैं इसलिए उनके पास भूमि के संव्यवहार से प्राप्त होने वाले धन को लेने के पश्चात् मृतक की हत्या करने का अनुचित हेतु भी है । विचारण न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचकर राजस्थान पुलिस की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता के संबंध में आक्षेप का स्पष्टीकरण भी उपलब्ध कराया है कि शिकायतकर्ता ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पुलिस थाना उद्योग नगर, भरतपुर में दाखिल की थी और चूंकि मृतक व्यक्ति ग्राम धौरमुई से गया था इसलिए, दंड संहिता की धारा 365 के अधीन अपराध राजस्थान में ही किया गया और यदि उसके पश्चात् मृतक कटेलिया ग्राम गया, जो पुलिस थाना नौझील, मथुरा (उत्तर प्रदेश) के अन्तर्गत आता है तो राजस्थान पुलिस की अन्वेषण करने और अभियुक्तों का विचारण करने की अधिकारिता उनके पास अक्षुण्ण है । उक्त निर्णय और दंडादेश से व्यथित होकर अपीलार्थियों द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में 2015 की दांडिक अपील सं. 408 फाइल की गई । उच्च न्यायालय ने अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – इन परिस्थितियों में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन, वर्तमान अभियुक्तों-अपीलार्थियों की अभिकथित अपराध को किए जाने में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका को सिद्ध करने में असफल रहा है । विचारण न्यायालय, अपराध के पीछे के हेतु पर विचार करते समय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चूंकि अभियुक्ता-अपीलार्थी श्रीमती देवेन्द्री के अभियुक्त देवेन्द्र **उर्फ** देवो के साथ अवैध संबंध थे तथा इसके अतिरिक्त वे मृतक चरन सिंह के भूखण्ड का विक्रय करने के पश्चात् उस धन को हड़पना चाहते थे इसलिए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्षियों ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी देवेन्द्र **उर्फ** देवो तथा श्रीमती देवेन्द्री पिछले 2-3 वर्ष से एक साथ रह रहे थे और वे ग्राम धौरमुई में स्थित अपने मकान पर नहीं रह रहे थे । साक्षियों ने यह और अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक चरन सिंह के उसकी पत्नी देवेन्द्री के साथ संबंधों के बारे में ग्राम के अनेक व्यक्तियों को जानकारी थी । घटना के

पश्चात् धन हड़पने का अभिकथित हेतु भी अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं करता है क्योंकि ऐसा कथन किया गया है कि धन को भूखण्ड के विक्रय के पश्चात् देवेन्द्री द्वारा अपने पास नहीं रखा गया था । अभि. सा. 3 श्रीमती महेन्द्री और अभि. सा. 4 रविन्द्र **उर्फ** लाला के कथन यह प्रकट करते हैं कि विक्रय के प्रतिफल की धनराशि को करतार सिंह को दिए जाने के लिए ग्राम धौरमुई ले जाया गया और चूंकि करतार सिंह उस दिन उपलब्ध नहीं था इसलिए उक्त धन को अभि. सा. 3 महेन्द्री अपने साथ वापस ले गई । अभि. सा. 3 श्रीमती महेन्द्री ने यह और कथन किया है कि चरन सिंह की मृत्यु के पश्चात् उक्त धनराशि को करतार सिंह के सुपुर्द कर दिया गया । अभि. सा. 4 रविन्द्र **उर्फ** लाला का कथन करतार सिंह को धन दिए जाने के तथ्य की आगे और संपुष्टि करता है । वे तथ्य, जो अभि. सा. 3 श्रीमती महेन्द्री और अभि. सा. 4 रविन्द्र **उर्फ** लाला के साक्ष्यों से अभिलेख पर आए हैं, स्पष्ट रूप से यह प्रकट करते हैं कि अभियुक्तों-अपीलार्थियों का उद्देश्य धन हड़पना नहीं था क्योंकि धन अभि. सा. 1 करतार सिंह को सुपुर्द करने का प्रस्ताव किया गया था और अन्ततः धन को मृतक चरन सिंह की मृत्यु के पश्चात् करतार सिंह को सौंप दिया गया था । (पैरा 40, 41, 42 और 43)

यह न्यायालय साक्ष्य की गहन जांच करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मृतक चरन सिंह के गायब हो जाने के पश्चात् मृतक की पत्नी द्वारा पुलिस थाना मांट को मृतक के गायब हो जाने के संबंध में इत्तिला की गई थी और अभि. सा. 1 करतार सिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस बात को स्वीकार किया है कि उसे पुलिस थाना मांट से मृतक चरन सिंह का पता ठिकाना पूछने के लिए टेलीफोन काल प्राप्त हुई थी । उक्त तथ्य आगे यह और सिद्ध करता है कि अभियुक्ता-अपीलार्थी श्रीमती देवेन्द्री ने स्वयं ही अपनी गुमशुदा पति को ढूंढने हेतु पुलिस थाना मांट को अनुरोध किया । यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उस हेतु, जिसके संबंध में यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्तों-अपीलार्थियों ने उस हेतु के लिए अपराध किया था, को अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं किया गया है । निचले न्यायालय ने अभियुक्तों-अपीलार्थियों की निशानदेही पर मृत शरीर की

बरामदगी संबंधी साक्ष्य के आधार पर यह पाया कि अपराध अभियुक्तों-अपीलार्थियों द्वारा किया गया है और इस तथ्य को इस साक्ष्य के आधार पर साबित किया गया । यह न्यायालय इस और निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उस अभिकथित स्थल, जहां मृत शरीर को दफनाया गया था, से संबंधित "फर्द नक्शा" (प्रदर्श पी. 8) पुलिस द्वारा तैयार किया गया, जो कि अयोध्या देवी (अभि. सा. 5) का घर है, जिसे नक्शे में "ई" के रूप में चिह्नित किया गया है और जिसमें यह दर्शित है कि मृत शरीर को उस गृह में सन्निर्मित एक कमरे और एक "बरामदे", जिसे "एक्स-1" के रूप में चिह्नित किया गया है, के सामने खुली जमीन में दफन किया गया । अन्वेषण अधिकारी ने दो व्यक्तियों, अर्थात् रंजीत सिंह (अभि. सा. 11) और गोविन्द सिंह (अभि. सा. 18) को साक्षी बनाया और उनकी उपस्थिति में यह स्थल नक्शा तैयार किया गया । अभियोजन ने एक रक्त से सने पेटीकोट की बरामदगी को भी दर्शित किया है जिसे पी. 13 के रूप में प्रदर्शित किया गया है । उक्त पेटीकोट को अभियुक्ता श्रीमती देवेन्द्री की माता श्रीमती चम्पा देवी, जो ग्राम सिंघना की निवासी है, के घर से बरामद किया गया । इसके अतिरिक्त, पुलिस ने एक पतलून (पेंट) की बरामदगी के संबंध में भी "फर्द बरामदगी" को तैयार किया और उक्त दस्तावेज पी. 33 के रूप में प्रदर्शित है । इस संबंध में यह कथन किया गया है कि अभियुक्त देवेन्द्र ने मृतक की हत्या का अपराध करते समय उक्त पतलून को पहना हुआ था । उक्त पतलून की बरामदगी भी ग्राम कटेलिया से हुई, जहां अभियुक्त देवेन्द्र **उर्फ** देवो रहता है । (पैरा 44, 45 और 46)

यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि दो वस्तुओं, अर्थात् कमीज और पेटीकोट को एफ एस एल रिपोर्ट हेतु भेजा गया और उनकी जांच के परिणाम में केवल यह दर्शित हुआ कि चाकू, कमीज, जर्सी, "बनियान", कच्छे और पेटीकोट पर ही रक्त पाया गया तथा उस परीक्षा के लिए भेजी गई सभी वस्तुओं पर पाए गए रक्त का रक्त-समूह अनिश्चायक थे । अभियोजन पक्ष उन वस्तुओं, जिन्हें परीक्षा के लिए भेजा गया था, पर पाए जाने वाले रक्त समूह के संबंध में ब्यौरों को स्थापित करने में असफल रहा है और कतिपय वस्तुओं पर पाए जाने वाले मानवीय रक्त के कारण ही यह अवधारणा नहीं बनाई जा सकती

कि अभियुक्तों-अपीलार्थियों से उन वस्तुओं की बरामदगी यह सिद्ध करती है कि वे अपराध के किए जाने में संलिप्त हैं । यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मृत शरीर और अपराध के किए जाने से संबंधित कतिपय अन्य वस्तुओं की बरामदगी स्वयं में ही ऐसा आधार नहीं उपलब्ध करा सकती जिससे अभियुक्तों को अपराध से जोड़ा जा सके या यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि किसी अकाट्य और ऐसे संपुष्टिकारक साक्ष्य, जो प्रत्यक्ष रूप से उन्हें अपराध के साथ जोड़ता हो, की अनुपस्थिति में उन्हें दंडित किया जा सकता है । यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विचारण न्यायालय द्वारा राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता के मुद्दे के संबंध में भी उचित और विधिक रीति से विनिश्चय नहीं किया गया है । शिकायतकर्ता ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि मृतक तारीख 5 मार्च, 2012 को स्वेच्छया ग्राम धौरमुई से गया था । उक्त शिकायतकर्ता ने यह और कथन किया है कि मृतक अपना धन प्राप्त करने के लिए ग्राम कटेलिया गया और उसके बारे में यह कहा गया है कि उसे अपनी पत्नी से एक टेलिफोन काल प्राप्त हुई थी । मृतक चरन सिंह द्वारा स्वेच्छया धौरमुई ग्राम से जाना कहीं भी यह दर्शित नहीं करता है कि उसे अभियुक्तों-अपीलार्थियों द्वारा उसका अपहरण करने के लिए धौरमुई ग्राम छोड़ने के लिए उत्प्रेरित किया गया । यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि दंड संहिता की धारा 362 के अधीन यथाउपबंधित "अपहरण" की परिभाषा यह अपेक्षा करती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बलपूर्वक किसी स्थान पर जाने के लिए विवश करता है या प्रवंचनापूर्ण उपायों से किसी स्थान पर जाने के लिए उत्प्रेरित करता है तो उसके बारे में यह माना जाता है कि उसने उस व्यक्ति का अपहरण किया है । वर्तमान मामले में अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य से यह तथ्य कहीं भी सिद्ध नहीं होता है कि मृतक चरन सिंह को ग्राम धौरमुई छोड़ने के लिए उत्प्रेरित किया गया और वह एक भूखण्ड के संदाय से संबंधित मुद्दे का समाधान करने के लिए स्वेच्छा से गया था, जिसका अभिकथित रूप से पूरण सिंह नामक व्यक्ति को विक्रय किया गया । अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि मृतक का अपहरण ग्राम धौरमुई से किया गया । अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि प्रारंभ में मृतक ग्राम कटेलिया गया और उसके पश्चात् उसे ग्राम जेवर ले जाया गया, जहां अभियुक्तों-

अपीलार्थियों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई । वर्तमान मामले में राजस्थान के राज्यक्षेत्र में अपहरण किए जाने का अपराध साबित नहीं होता है और तद्नुसार निचला न्यायालय गलती से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता से संबंधित मुद्दे को विचार में नहीं लिया जाना है और इस दांडिक मामले का सम्पूर्ण अन्वेषण और विचारण राजस्थान में सही रीति में हुआ है । ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय यह है कि अभियोजन पक्ष ऐसे विधिक, अकाट्य, विश्वासोत्पादक और विश्वसनीय साक्ष्य को सामने लाने में असफल रहा है जिससे कि उन परिस्थितियों को स्थापित किया जा सके, जिनका अवलंब लिया गया है ताकि अभियुक्तों-अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोपों को साबित किया जा सके । उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील को स्वीकार किया जाता है और अभियुक्तों-अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 365, 302 और 201 के अधीन आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 22 अगस्त, 2015 को पारित निर्णय को अभिखंडित और अपास्त किया जाता है । अपीलार्थियों की विचारण न्यायालय द्वारा दंड संहिता की धारा 365, 302 और 201 के अधीन अपराधों के लिए की गई दोषसिद्धि तथा उनके विरुद्ध पारित दंडादेश को भी अभिखंडित और अपास्त किया जाता है । अभियुक्त-अपीलार्थी, जो उनकी गिरफ्तारी के पश्चात् से ही अभिरक्षा में हैं, को तुरन्त अभिरक्षा से निर्मुक्त करने का आदेश किया जाता है, यदि उनकी आवश्यकता किसी अन्य मामले में नहीं है । (पैरा 47, 48, 49, 50, 51 और 52)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2018]	(2018) 16 एस. सी. सी. 139 : **नवनीतकृष्णन** बनाम **राज्य द्वारा पुलिस निरीक्षक** ;	39
[2012]	2012 की क्रिमिनल अपील सं. 71 : **रुपाली देवी** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** ;	22
[2004]	(2004) 8 एस. सी. सी. 95 : **मलेशी** बनाम **कर्नाटक राज्य** ।	22

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2015 की दांडिक अपील सं. 969.

2012 के सेशन विचारण मामला सं. 135 में अपर सेशन न्यायाधीश सं. 3, भरतपुर द्वारा तारीख 22 अगस्त, 2015 को पारित निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री अरविन्द कुमार अरोड़ा और जी. एस. फौजदार

प्रत्यर्थी की ओर से श्री जावेद चौधरी, लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अशोक कुमार गौड़ ने दिया ।

न्या. गौड़ – वर्तमान अपील अभियुक्तों-अपीलार्थियों, अर्थात् देवेन्द्र **उर्फ** देवो और श्रीमती देवेन्द्री द्वारा फाइल की गई है जिन्हें भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302, 365 और 201 के अधीन किए जाने वाले अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है । अभियुक्तों-अपीलार्थियों को 2012 के सेशन विचारण मामला सं. 135 में अपर सेशन न्यायाधीश सं. 3 के न्यायालय, भरतपुर द्वारा तारीख 22 अगस्त, 2015 को पारित निर्णय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है । अपीलार्थियों के विरुद्ध अधिरोपित दंडादेश निम्नानुसार हैं :–

अपराध	**दंडादेश**	**जुर्माना**	**जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम पर दंडादेश**
दंड संहिता की धारा 302 के अधीन	आजीवन कारावास	5,000/- रुपए	एक मास का कठोर कारावास
दंड संहिता की धारा 365 के अधीन	चार वर्ष का साधारण कारावास	5,000/- रुपए	एक मास का साधारण कारावास
दंड संहिता की धारा 201 के अधीन	एक वर्ष का साधारण कारावास	5,000/- रुपए	एक मास का साधारण कारावास

2. अपीलार्थियों ने उनकी दोषसिद्धि और उनके विरुद्ध पारित दंडादेश से व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की है । वर्तमान अपील के निपटारे हेतु सुसंगत और अनिवार्य तथ्य निम्नानुसार हैं ।

3. शिकायतकर्ता-करतार सिंह ने तारीख 15 मार्च, 2012 को पुलिस थाना, उद्योग नगर, भरतपुर में तारीख 5 मार्च, 2012 को अधिकथित रूप से हुई घटना के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट फाइल की ।

4. शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में यह आरोप लगाया कि तारीख 5 मार्च, 2012 को उसका साला – चरन सिंह **उर्फ** छट्टी कटेलिया ग्राम में गया और उसने यह सूचना दी कि उसकी पत्नी ने उसे वहां बुलाया है तथा उसके साले – चरन सिंह और उसकी पत्नी को वहां से भूमि के एक खण्ड का विक्रय किए जाने के मद्दे धन एकत्र करना है और यह भी सूचित किया था कि उसकी पत्नी मामले को वापस लेने के लिए सहमत हो गई है । शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि तारीख 5 मार्च, 2012 को रात्रि लगभग 9 और 10 बजे के बीच उसके साले चरन सिंह ने लालाराम नामक एक व्यक्ति, जो ग्राम कटेलिया का निवासी था, से बातचीत की जिसके भाई ने चरन सिंह से भूमि के उस खण्ड का क्रय किया था । यह आरोपित किया गया है कि उसके साले ने लालाराम से अपेक्षित धन की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया था और उसके साले को उससे अगले दिन धन लेने के लिए उसके पास जाना था । यह और आरोप लगाया गया कि चरन सिंह ने अपनी पत्नी से भी उसकी बातचीत कराने की व्यवस्था की थी और उन दोनों ने लालाराम से उसके मोबाइल नं. 7500753394 पर बात की थी । शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उसके साले की पत्नी श्रीमती देवेन्द्री के देवो नामक किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध हैं और उसने देवो के साथ ही रहना आरंभ कर दिया था । शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में यह और आरोप लगाया कि तारीख 5 मार्च, 2012 को उसके साले चरन सिंह और उसकी पत्नी देवेन्द्री ने लाला की भाभी, अर्थात् पूरण की पत्नी से भी उसके मोबाइल नं. 8008038553 पर बात की थी ।

5. शिकायतकर्ता ने यह अभिकथन किया है कि उसका साला

पिछले 25 वर्ष से उसके साथ ग्राम धौरमुई में निवास कर रहा था और वह उसकी पत्नी के कहने पर धौरमुई से धन प्राप्त करने के लिए गया था । शिकायतकर्ता ने यह अभिकथन किया है कि उसने अपने साले का पता लगाने के लिए अनेक प्रयास किए और उसने अपने भिन्न-भिन्न नातेदारों से भी संपर्क किया किन्तु वह अपने साले चरन सिंह का पता नहीं लगा सका और उसे यह संदेह है कि चरन सिंह की पत्नी देवेन्द्री और देवेन्द्र ने, जो ग्राम कटेलिया, पुलिस थाना नौझील जिला मथुरा (उत्तर प्रदेश) का निवासी था, उसके साले का अपहरण किया है और उसे बरामद करने के लिए पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए ।

6. दंड संहिता की धारा 365 के अधीन मामले को रजिस्टर करने के पश्चात्, पुलिस ने अपना अन्वेषण आरंभ किया और इस अन्वेषण के दौरान उन्होंने दो अभियुक्तों अर्थात् देवेन्द्र **उर्फ** देवो और श्रीमती देवेन्द्री को गिरफ्तार किया । भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "1872 का अधिनियम" कहा गया है) की धारा 27 के अधीन अभियुक्तों-अपीलार्थियों से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मृतक चरन सिंह के मृत शरीर को बरामद किया और इसके अतिरिक्त अन्वेषण के दौरान अपराध को किए जाने से संबंधित अन्य वस्तुओं की भी बरामदगी की गई ।

7. अन्वेषण को पूरा करने के पश्चात्, पुलिस ने दंड संहिता की धारा 365, 302 और 201 के अधीन अपराधों के लिए वर्तमान अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया ।

8. यह दांडिक मामला जिला और सेशन न्यायाधीश के न्यायालय, भरतपुर को सौंपा गया और विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 365, 302 और 201 के अधीन अपराधों के लिए वर्तमान अभियुक्तों-अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप विरचित किए । अभियुक्तों-अपीलार्थियों ने आरोपों को स्वीकार करने से इनकार किया और स्वयं के सम्पूर्ण घटना के संबंध में निर्दोष होने का अभिवचन करते हुए विचारण किए जाने का दावा किया ।

9. अभियोजन ने, अपने पक्षकथन के समर्थन में 23 साक्षियों को

प्रस्तुत किया जिन्हें अभि. सा. 1 से अभि. सा. 23 के रूप में चिह्नित किया गया है । अभियोजन ने विचारण न्यायालय के समक्ष अनेक दस्तावेजों को भी प्रदर्शित किया जिन्हें प्रदर्श पी. 1 से पी. 48 के रूप में चिह्नित किया गया है । दंड संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों-अपीलार्थियों के कथनों को लेखबद्ध किया गया और उन्होंने अपने समर्थन में किसी भी साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया ।

10. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात्, विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियुक्तों-अपीलार्थियों ने दंड संहिता की धारा 365, 302 और 201 के अधीन दंडनीय अपराधों को किया है और तद्नुसार उन पर दंडादेश भी अधिरोपित किया गया ।

11. विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियुक्तों-अपीलार्थियों ने मृतक चरन सिंह को उनके पास आने के लिए उत्प्रेरित किया और उसके पश्चात् उन्होंने उसका अपहरण किया तथा दोनों अभियुक्तों ने चाकू का उपयोग करते हुए उसके शरीर को क्षति पहुंचाकर मृतक चरन सिंह की हत्या की और इसके अतिरिक्त मृतक की हत्या करने के पश्चात् साक्ष्य को नष्ट करने के आशय से एक गड्ढा खोदकर मृतक शरीर को उसमें दफना दिया और उन्होंने इस प्रकार अन्य साक्ष्यों को भी नष्ट कर दिया ।

12. यद्यपि, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी रामकिशन (अभि. सा. 2), जो मृतक को अन्तिम बार देखने वाला एकमात्र साक्षी था और उसने ही अभियुक्तों-अपीलार्थियों और मृतक व्यक्ति को अन्तिम बार एक साथ देखा था, पक्षद्रोही हो गया था फिर भी विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस प्रकार का अन्य साक्ष्य विद्यमान है जो वर्तमान अभियुक्तों-अपीलार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से अपराध से जोड़ता है ।

13. विचारण न्यायालय आगे इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियुक्त देवेन्द्र के बताए जाने पर मृत शरीर और दो टुकड़ों में खून से सने चाकू की बरामदगी और साथ ही खून से सने एक लाल रंग के एक पुराने पेटीकोट और पुरानी सलेटी रंग की खून से सनी पतलून (पेंट) की

बरामदगी ने इस अपराध के संबंध में अभियुक्तों-अपीलार्थियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध कराया है और मृतक से उनके संबंध को साबित किया है ।

14. हेतु के प्रश्न पर, विचारण न्यायालय ने इस निष्कर्ष को लेखबद्ध किया है कि चूंकि अभियुक्तों-अपीलार्थियों के बारे में यह कहा गया था कि वे एक साथ रह रहे हैं और उनके बीच अवैध संबंध भी हैं इसलिए उनके पास भूमि के संव्यवहार से प्राप्त होने वाले धन को लेने के पश्चात् मृतक की हत्या करने का अनुचित हेतु भी है ।

15. विचारण न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचकर राजस्थान पुलिस की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता के संबंध में आक्षेप का स्पष्टीकरण भी उपलब्ध कराया है कि शिकायतकर्ता ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पुलिस थाना उद्योग नगर, भरतपुर में दाखिल की है और चूंकि मृतक व्यक्ति ग्राम धौरमुई से गया था इसलिए, दंड संहिता की धारा 365 के अधीन अपराध राजस्थान में ही किया गया था और यदि उसके पश्चात् मृतक कटेलिया ग्राम गया था, जो पुलिस थाना नौझील, मथुरा (उत्तर प्रदेश) के अन्तर्गत आता है तो राजस्थान पुलिस की अन्वेषण करने और अभियुक्तों का विचारण करने की अधिकारिता उसके पास अक्षुण्ण है ।

16. अभियुक्तों-अपीलार्थियों के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री जी. एस. फौजदार ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित निवेदन प्रस्तुत किए हैं :-

(क) अभियोजन पक्ष का सम्पूर्ण मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है और वर्तमान अभियुक्तों-अपीलार्थियों को अपराध से जोड़ने के लिए कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य विद्यमान नहीं है । 'अंतिम बार देखे जाने संबंधी साक्ष्य' अभियुक्तों-अपीलार्थियों की अपराध के किए जाने में किसी भी भूमिका को स्थापित नहीं करता है ।

विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अन्वेषण के दौरान पुलिस द्वारा प्राप्त किया गया 'अंतिम बार देखे जाने संबंधी साक्ष्य' केवल रामकिशन (अभि. सा. 2) का है और वह भी पक्षद्रोही

हो गया था तथा उसने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और इस प्रकार अंतिम बार देखे जाने के बारे में बताने वाले किसी साक्षी की अनुपस्थिति में अभियुक्तों-अपीलार्थियों की दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती ।

(ख) विद्वान् काउंसेल ने यह भी तर्क दिया कि मृतक व्यक्ति की दो व्यक्तियों अर्थात् लाला और लाला की भाभी महेन्द्री (अभि. सा. 3) के साथ कथित रूप से की गई बातचीत अन्तिम बार देखे जाने के आरोप को साबित नहीं करती क्योंकि दोनों मोबाइल नम्बरों के काल संबंधी ब्यौरों को अन्वेषण के दौरान पुलिस द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है । विद्वान् काउंसेल ने यह कथन किया कि पुलिस – अन्वेषण अधिकारी ने वर्तमान अभियुक्तों-अपीलार्थियों के अपराध के साथ संबंध को स्थापित करने हेतु उक्त बातचीत को निर्दिष्ट करते हुए यह कहानी तैयार की है, जिसके बारे में यह कहा गया है कि उसके संबंध में स्वयं मृतक द्वारा सूचना दी गई है तथा इस कथन के तथ्य के संबंध में पता लगाने या फोन काल के ब्यौरों को प्रस्तुत करके सत्यापित नहीं किया गया जिससे कि अभियुक्तों-अपीलार्थियों को सीधे-सीधे अपराध से जोड़ा जा सके ।

विद्वान् काउंसेल ने यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थियों की निशानदेही पर मृत शरीर और कतिपय अन्य वस्तुओं की बरामदगी पर उनकी दोषसिद्धि, अपराध के साथ उन्हें जोड़ने का पर्याप्त आधार नहीं उपलब्ध कराती । विद्वान् काउंसेल ने यह और तर्क दिया कि अन्वेषण के दौरान पुलिस द्वारा की गई बरामदगियों के संबंध में अत्यधिक संदेह विद्यमान है और वह विश्वासोत्पादक नहीं है ।

विद्वान् काउंसेल ने यह कथन किया कि मृतक के मृत शरीर की एक खुले स्थान से बरामदगी की गई है । पेटीकोट और पतलून की अभिकथित बरामदगी भी अत्यधिक संदेहास्पद है क्योंकि वे स्थान, जहां से उक्त वस्तुएं बरामद की गई हैं, भिन्न-भिन्न स्थान हैं और वे स्थान अभियुक्तों के किराए के निवास-स्थान, जहां वे

अभिकथित रूप से एक साथ निवास कर रहे हैं तथा अपराध किए जाने के स्थान से अत्यधिक दूर स्थित हैं ।

(ग) विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क दिया कि न्याय संबंधी विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान की रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 47) भी यह प्रकट नहीं करती है कि उन वस्तुओं पर किस समूह के रक्त पाए गए थे और उन रक्त समूहों का मिलान मृतक और वर्तमान अभियुक्तों-अपीलार्थियों के रक्त समूहों के साथ नहीं किया गया है ।

विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया कि रक्त समूहों की जांच की अनुपस्थिति में केवल मानव रक्त के पाए जाने का कोई महत्व नहीं है और इस प्रकार विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों-अपीलार्थियों को दोषसिद्ध ठहराए जाने में अवैधता बरती है ।

(घ) विद्वान् काउंसेल ने यह भी तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा साबित के रूप में पाया गया अपराध किए जाने का हेतु भी सुस्पष्टतया गलत है ।

विद्वान् काउंसेल ने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन साक्षियों ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक की पत्नी काफी लम्बे समय से उसके साथ निवास नहीं कर रही तथा मृतक स्वयं ही ग्राम धौरमुई में अपने जीजा के साथ निवास कर रहा था और इस प्रकार यह उपधारणा नहीं बनाई जा सकती कि अभियुक्तों-अपीलार्थियों के पास अपराध करने का कोई अनुचित हेतु विद्यमान था ।

(ङ) विद्वान् काउंसेल ने यह भी तर्क दिया कि पुलिस की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता के मुद्दे के संबंध में भी विचारण न्यायालय द्वारा उचित और विधिक रीति में विनिश्चय नहीं किया गया है ।

विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क दिया कि शिकायतकर्ता के अनुसार, मृतक ग्राम धौरमुई से कटेलिया स्वयं अपनी मर्जी से गया और इस संबंध में अभियुक्तों-अपीलार्थियों पर उसे उत्प्रेरित करने का कोई आरोप नहीं लगाया गया है क्योंकि मृतक ने स्वयं शिकायतकर्ता को यह सूचित किया था कि वह उसकी भूमि के

विक्रय से संबंधित मुद्दे का समाधान करने और धन प्राप्त करने के लिए ग्राम कटेलिया जा रहा है ।

विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क दिया कि राजस्थान राज्यक्षेत्र के भीतर दंड संहिता की धारा 365 के अधीन कोई अपराध नहीं किया गया और अभिकथित घटना, जिसके बारे में यह कहा गया है कि वह ग्राम कटेलिया में घटित हुई है और ऐसा मृतक द्वारा अभिकथित रूप से की गई बातचीत से साबित किया गया है और इसके अतिरिक्त मृतक शरीर की बरामदगी भी उत्तर प्रदेश में स्थित ग्राम जेवर से हुई है ।

विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क दिया कि राजस्थान पुलिस के पास शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई शिकायत को स्वीकार करने की भी अधिकारिता नहीं है और इसके अतिरिक्त अभियुक्तों-अपीलार्थियों को फंसाने के लिए इस सम्पूर्ण कहानी को तैयार किया गया है ।

17. विद्वान् लोक अभियोजक ने, विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तों-अपीलार्थियों को सिद्धदोष ठहराते हुए दिए गए तर्क का समर्थन किया है ।

18. विद्वान् लोक अभियोजक ने यह तर्क दिया कि अभियुक्तों-अपीलार्थियों के बीच अवैध संबंध हैं और वे मृतक से छुटकारा पाना चाहते थे । विद्वान् लोक अभियोजक ने यह भी तर्क दिया कि दोनों अभियुक्तों-अपीलार्थियों ने मृतक को भूमि के अभिकथित विक्रय से प्राप्त होने वाले धन का लालच देकर अपने स्थान पर बुलाया और उसके पश्चात् उस धन को हड़पने के लिए उन्होंने मृतक की हत्या करने का अपराध किया ।

19. विद्वान् लोक अभियोजक ने यह तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने मृतक और अभियुक्तों-अपीलार्थियों को "अन्तिम बार एक साथ देखे जाने" के साक्ष्य को स्पष्ट रूप से स्थापित किया है ।

20. विद्वान् लोक अभियोजक ने यह निवेदन किया कि मृतक की हत्या करने के हेतु को भी भलीभांति स्थापित किया गया है और इसके

अतिरिक्त मृत शरीर और अन्य वस्तुओं की बरामदगी भी सीधे-सीधे वर्तमान अभियुक्तों-अपीलार्थियों को अपराध के किए जाने से जोड़ती है ।

21. विद्वान् लोक अभियोजक ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि राजस्थान पुलिस की अधिकारिता संबंधी मुद्दे के संबंध में भी सही विनिश्चय किया गया है । विद्वान् काउंसेल ने यह कथन किया कि अभियुक्त-अपीलार्थी देवेन्द्र **उर्फ** देवो के अवैध संबंध थे और इसके अतिरिक्त उसने एक मकान किराए पर लिया था जहां वह काफी लंबे समय से दूसरी अभियुक्त-अपीलार्थी देवेन्द्री के साथ निवास कर रहा था और वहां उन्होंने एक षड्यंत्र रचने के पश्चात् यह सोचा कि मृतक से छुटकारा पाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि वह उनके रिश्ते में एक बाधा था और इसके अतिरिक्त वे उसके धन को भी हड़पना चाहते थे और इस प्रकार विचारण न्यायालय ने वर्तमान अभियुक्तों-अपीलार्थियों के दोष को सिद्ध करने के निष्कर्ष पर पहुंचकर कोई अविधिमान्य कार्य नहीं किया है ।

22. विद्वान् लोक अभियोजक ने **रूपाली देवी** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[1] तथा **मलेशी** बनाम **कर्नाटक राज्य**[2] वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लिया है ।

23. हमने बार द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है तथा आक्षेपित निर्णय का भी सावधानी से परिशीलन किया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध एक-एक साक्ष्य का ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया है । अब हम अभियोजन साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का आकलन करेंगे ।

24. अभि. सा. 1 करतार सिंह ने अपने परिसाक्ष्य में यह दावा किया है कि उसका साला चरन सिंह ग्राम धौरमुई में उसके साथ निवास कर रहा था और तारीख 5 मार्च, 2012 को मृतक चरन सिंह को अभियुक्त देवेन्द्र और देवेन्द्री से एक टेलीफोन काल प्राप्त हुई । उसने यह कथन किया है कि मृतक ने अभियुक्तों-अपीलार्थियों से फोन पर

---

[1] 2012 की क्रिमिनल अपील सं. 71.

[2] (2004) 8 एस. सी. सी. 95.

बातचीत करने के पश्चात् उसे यह सूचित किया कि उसे उसकी भूमि के विक्रय से प्राप्त होने वाले धन को लेने के लिए जाना है । उक्त साक्षी ने यह और कथन किया कि मृतक चरन सिंह तारीख 5 मार्च, 2012 को धौरमुई पहुंचा जहां उसने अभियुक्तों-अपीलार्थियों देवेन्द्र और देवेन्द्री से मुलाकात की । उसने यह और कथन किया कि तारीख 5 मार्च, 2012 की रात्रि को मृतक ने रविन्द्र **उर्फ** लाला से भी बात की और उसने रविन्द्र उर्फ लाला से यह कहा कि वह धन को तैयार रखे ।

25. उक्त साक्षी ने यह कथन किया है कि अभियुक्त देवेन्द्री ने मृतक और भूमि के क्रेता के बीच भूमि के विक्रय के संव्यवहार के संबंध में मथुरा में एक मामला फाइल किया है और इसके अतिरिक्त, उसे उक्त मामले के लम्बित होने के संबंध में चरन सिंह की मृत्यु से पूर्व कोई जानकारी नहीं थी और वह इस कथन से मुकर गया कि उसके पास चरन सिंह की मृत्यु से पूर्व उक्त मामले के बारे में कोई जानकारी थी ।

26. उक्त साक्षी ने इस तथ्य से भी इनकार किया कि अभियुक्त देवेन्द्री ने उसके विरुद्ध बलात्संग का अपराध किए जाने संबंधी कोई मामला फाइल किया है । उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे अभियुक्त देवेन्द्री द्वारा पुलिस थाना मांट में मृतक चरन सिंह की गुमशुदगी के बारे में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी ।

27. अभि. सा. 1 करतार सिंह ने इस बात से भी इनकार किया है कि उसे उस मोबाइल नम्बर के बारे में जानकारी नहीं है जिससे मृतक चरन सिंह द्वारा फोन काल की गई थी । साक्षी ने इस तथ्य से भी इनकार किया है कि मृतक चरन सिंह की लालाराम नामक एक व्यक्ति से कोई बातचीत हुई थी । साक्षी ने यह और स्वीकार किया है कि मृतक चरन सिंह और उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ दो वर्ष पूर्व ग्राम धौरमुई गए थे और उनके द्वारा ग्राम धौरमुई में ही एक पृथक् गृह का सन्निर्माण किया गया । उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि मृतक चरन सिंह ने उसे किसी फोनकाल के बारे में सूचना नहीं दी, जो उसे उसकी पत्नी की ओर से प्राप्त हुई थी और इसके अतिरिक्त उसे

इस बात की भी जानकारी नहीं है कि मृतक ग्राम जेवर गया था न कि ग्राम कटेलिया । अभि. सा. 1 करतार सिंह की मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा के सुसंगत भागों को सुगम संदर्भ के लिए यहां नीचे उद्धृत किया गया है :-

"देवेन्द्री ने जमीन का मुकदमा खेत खरीदने वाले पर मथुरा में लगाया था उसकी जानकारी मुझे चरन सिंह के मरने के बाद हुई है । फिर कहा जमीन के मुकदमे की जानकारी मुझे चरन सिंह के मरने से पहले थी क्योंकि देवेन्द्री ने उस पर स्टे लगा दिया था । देवेन्द्र ने केस इसलिए लगाया कि खेत के पैसे मुझे मिल जाएं । मुझे नहीं पता कि चरन सिंह के मरने से पहले मेरे खिलाफ मथुरा में कोई बलात्कार का मुकदमा देवेन्द्री ने दर्ज कराया हो । देवेन्द्री ने चरन सिंह के मरने से पहले मेरे खिलाफ चरन सिंह की गुमशुदी की रिपोर्ट मांट थाने में कराई हो तो मुझे नहीं पता लेकिन मांट थाने से मेरे पास फोन जरूर आया था । मांट थाने वालों ने कहा कि आपको छुट्टी की जानकारी है क्या । लाला **उर्फ** रविन्द्र को पहले से जानता हूं । जब चरन सिंह ने इस जमीन का सौदा लाला से किया तो मुझे नहीं बुलाया । मुझे ध्यान नहीं है कि मांट थाने से फोन आने के बाद मैंने उक्त रिपोर्ट दर्ज कराई हो । मुझे यह जानकारी नहीं है कि चरन सिंह के किस नम्बर पर किस नम्बर का मोबाइल फोन तारीख 5 मार्च, 2012 को आया । तारीख 5 मार्च, 2012 को चरन सिंह ने लाला नाम के व्यक्ति से मेरे सामने बात नहीं की थी । चरन सिंह ने जेवर से लाला से फोन पर बात की थी । यह सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी. 1 में चरन सिंह द्वारा लाला से फोन पर बात करने वाली बात मेरे को चरन सिंह ने नहीं बताई । लाला ने बताई थी । यह सही है कि लाला ने यह बात बताई यह बात प्रदर्श पी. 1 में अंकित नहीं है । देवेन्द्री ने फोन से बात की, जो लाला व मेहन्द्री से की यह बात भी प्रदर्श पी. 1 में अंकित नहीं है ।

मुझे ध्यान नहीं रहा इसलिए देवेन्द्री द्वारा लाला व महेन्द्री से

बात करने वाली बात प्रदर्श पी. 1 में नहीं लिखाई । मैंने देवेन्द्री को देवेन्द्र के साथ सोते नहीं देखा केवल रहते हुए देखा था । जो कटेलिया में रहते देखा था । देवेन्द्र धौरमुई आता-जाता रहता है । गांव में इसकी रिश्तेदारी है । यह सही है कि देवेन्द्र धौरमुई आता था तब हमारे घर भी आता था उसकी बुआ गांव में है जिनके घर पर खाना खाता था । देवेन्द्र से मैंने डेढ साल पहले यह कहा था कि तू चरन सिंह व हमारे घर क्यों आता है । मोबाइल नम्बर 7500753394 लाला का है और 8006038553 लाला के भाई पूरन का है । चरन सिंह के फोन आने की और उसकी पत्नी द्वारा बुलाने की बात लाला ने मुझे तारीख 6 मार्च, 2012 को जब मैं कटेलिया गया तब बताई थी । यह सही है कि चरन सिंह के साथ दुर्घटना घटी थी जिसमें उसका हाथ कट गया था । जब हाथ कटा तब देवेन्द्री चरन सिंह के साथ थी और चरन सिंह की उसने सेवा की ।

प्रतिपरीक्षा

यह सही है कि तारीख 5 मार्च, 2012 को चरन सिंह पर फोन आने के समय चरन सिंह व उसकी पत्नी मेरे पास नहीं थे दोनों जेवर में थे । चरन सिंह सुबह 10-11 बजे जेवर गया था जो पैसे लेने गया था । जमीन संबंधी विवाद को लेकर कटेलिया में पंचायत नहीं हुई । इस घटना से दो साल पूर्व चरन सिंह व उसके बच्चे व पत्नी मेरे पास से चले गए । फिर कहा आज से दो साल पूर्व चले गए । आज भी इनका मकान धौरमुई में अलग बना हुआ है । अब वह मकान खाली पड़ा हुआ है उसमें कोई नहीं रह रहा है । चरन सिंह व उसकी पत्नी दोनों दो साल पहले आज से मजदूरी करने गए थे उस समय कुछ सामान को साथ ले गए । मैंने नहीं देखा कि अब मकान में सामान है या नहीं । चरन सिंह मजदूरी करने गया उस समय उसके मकान में गया था उसके बाद उसके मकान में आज तक नहीं गया हूं ।

प्रदर्श पी. 1 मैंने हाथ से लिखी थी । यह थाने में लिखी थी । यह कहना गलत है कि बलवीर सिंह ने लिखाई हो । उस समय

बलवीर सिंह वहां नहीं था । बाहर लिखी थी । मोटरसाइकिल की सीट पर रखकर लिखी थी । मोटरसाइकिल की सीट पर कापी रखकर उस पर कागज रखकर रिपोर्ट लिखी थी । प्रदर्श पी. 1 का सी से डी भाग सही है, जो मैंने सही लिखाया है । प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी. 1 में देवेन्द्र द्वारा भी देवेन्द्री के साथ फोन करके चरन सिंह को बुलाने वाली बात इसलिए नहीं लिखाई क्योंकि देवेन्द्र का फोन करके बुलाना मुझे बाद में पता चला था । देवेन्द्र का फोन करने की बात मुझे लाला **उर्फ** रविन्द्र ने, जिसने खेत खरीदा था उसने बताया था तथा देवेन्द्र व देवेन्द्री ने भाभी महेन्द्री के फोन पर भी फोन करके बताया था कि पैसे तैयार रखना । तारीख 5 मार्च, 2012 के बाद चरन सिंह से मेरी मुलाकात नहीं हुई । मैंने यह जानकारी नहीं की कि चरन सिंह के पास किस नम्बर से फोन आया था । यह जानकारी पुलिस ने की होगी । रिपोर्ट में मैंने देवेन्द्र और देवेन्द्री के नाजायज संबंध होने का जो उल्लेख किया है इसके अलावा अन्य चीजों का इसलिए उल्लेख नहीं किया क्योंकि मुझे उस समय यह नहीं पता था कि इन दोनों ने चरन सिंह को मार दिया है ।

देवेन्द्र और देवेन्द्री चरन सिंह को लेने धौरमुई नहीं आए थे । फोन पर दी गई सूचना पर चरन सिंह धौरमुई से अपनी स्वेच्छया से गया था । चरन सिंह से मैंने यह नहीं पूछा कि किसका फोन आया है, उसने कहा कि बुलाया है पैसे लेने जा रहा हूं । प्रदर्श पी. 1 में चरन सिंह को उसकी पत्नी ने फोन करके बुलाया फिर वह गया, यह सही लिखा हुआ है । चरन सिंह ने मुझसे कहा था कि मेरी पत्नी केस को वापिस ले लेगी और खेत की बिक्री के पैसे मिल जाएंगे । जिसके लिए चरन सिंह गया था । मुझे 14 तारीख को यह जानकारी हुई कि चरन सिंह जेवर गया है, कटेलिया नहीं गया है ।

मुझे यह जानकारी थी कि देवेन्द्र व देवेन्द्री पति-पत्नी की हैसियत से एक साल से जेवर में रहते थे । यह सही है कि यह बात मैंने रिपोर्ट में नहीं लिखाई मैंने जरूरी नहीं समझा इसलिए

रिपोर्ट में यह बात नहीं लिखाई । देवेन्द्र व देवेन्द्री के संबंध की बाबत मैंने अपने साले से कोई रिपोर्ट नहीं करवाई । घटना से एक साल पहले से देवेन्द्र व देवेन्द्री जेवर में रह रहे थे । मैं 14 के आस पास कटेलिया गया था । मैं तारीख 5 मार्च, 2012 के बाद तारीख 14 मार्च को कटेलिया गया था उससे पहले नहीं गया । चरन सिंह के जेवर जाने वाली बात मैंने लाला **उर्फ** रविन्द्र, महेन्द्री के द्वारा बताने पर लिखाई है । मुझे नहीं पता कि देवेन्द्री जब जेवर में रह रही थी तो चरन सिंह को कटेलिया क्यों बुलाया । अपनी मुझे परीक्षा में चरन सिंह को 5 तारीख जेवर पहुंच जाना । रविन्द्र और महेन्द्री से टेलीफोन से हुई वार्ता के आधार पर उनके द्वारा बताए अनुसार लिखाया है । मुझे तारीख का याद नहीं है कि किस दिन लाला ने मुझे फोन करके बताया था । चरन सिंह को हम ढूंढ रहे थे । 5 तारीख से 15 तारीख के बीच फोन करके बताया था । होली के त्यौहार के बाद हम 7-8 तारीख से चरन सिंह को ढूंढने लगे । मैं कटेलिया सर्वप्रथम ढूंढने नहीं गया क्योंकि गांव में लोग बता रहे थे, कोई कह रहा था दौसा में देखा है कोई कह रहा था कांमा में देखा है, इसलिए मैं कटेलिया नहीं गया अन्य जगहों पर ढूंढता रहा । संजय ने मुझे बताया था कि उसने चरन सिंह को कांमा में देखा है । मेरे परिवार में मेरे भाइयों ने बताया कि वह कटेलिया गया होता तो अब तक आ जाता । वह अपनी बहिन के पास कमालपुरा गया होगा इसलिए में कटेलिया ढूंढने नहीं गया । यह सही है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी. 1 में मैंने यह नहीं लिखाया है कि चरन सिंह 5 तारीख को जेवर पहुंच गया यह बात मुझे लाला और महेन्द्री ने बताई थी । 6-7 तारीख को मैं कहीं भी तलाश करने नहीं गया ।

मुझे नहीं पता कि देवेन्द्र को पुलिस ने किस तारीख को गिरफ्तार किया । मुझे नहीं पता कि देवेन्द्र को किस स्थान से गिरफ्तार किया । पुलिस ने मेरा बयान लिया था । यह सही है कि मैंने पुलिस बयान प्रदर्श डी.1 में चरन सिंह की पत्नी द्वारा उसे बुलाना लिखाया था । चरन सिंह ने जाते समय देवेन्द्र द्वारा फोन

करना मुझे नहीं बताया था । आज बयानों में जो देवेन्द्र का नाम बताया है वह सही बताया है ।"

28. इत्तिला देने वाले करतार सिंह (अभि. सा. 1) के कथन की जांच स्पष्ट रूप से यह प्रकट करती है कि मृतक चरन सिंह तारीख 5 मार्च, 2012 को ग्राम धौरमुई गया और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 15 मार्च, 2012 को दर्ज कराई गई । उक्त कथन यह एक महत्वपूर्ण तथ्य भी प्रकट करता है कि मृतक ने अपनी पत्नी के साथ दो व्यक्तियों, अर्थात् श्रीमती महेन्द्री (अभि. सा. 3) और रविन्द्र उर्फ लाला (अभि. सा. 4) से बात की । अभि. सा. 1 करतार सिंह की प्रतिपरीक्षा से आगे यह और प्रकट होता है कि उसे तारीख 6 मार्च, 2012 को जब वह ग्राम कटेलिया गया था तो लाला से अभिकथित बातचीत के बारे में पता चला था ।

29. न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि "अन्तिम बार एक साथ देखा जाना" किसी अभियुक्त के विरुद्ध एक सुदृढ़ परिस्थितिक साक्ष्य है, तथापि, मृत्यु होने त अभियुक्तों को मृतक के साथ अन्तिम बार देखे जाने के बीच समय का अन्तराल युक्तियुक्त रूप से इतना कम होना चाहिए जिससे दोषी होने का अनुमान सरलता से लगाया जा सके । जब समय का यह अन्तराल काफी बड़ा होता है तो न्यायालय को उस साक्ष्य की संपुष्टि हेतु ऐसी अन्य परिस्थितियों पर ध्यान देना पड़ता है, जो अभियुक्त को अभिकथित अपराध से जोड़ सकें ।

30. वर्तमान मामले के तथ्य यह प्रकट करते हैं कि मृतक ने तारीख 5 मार्च, 2012 को ग्राम धौरमुई से प्रस्थान किया और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 15 मार्च, 2012 को दर्ज की गई तथा "अन्तिम बार एक साथ देखे जाने" का साक्ष्य वर्तमान मामले में सिद्ध नहीं होता है क्योंकि पुलिस ने मृतक के अभियुक्तों-अपीलार्थियों के साथ होने को साबित करने के लिए कोई भी संपुष्टिकारक साक्ष्य एकत्र नहीं किया है ।

31. यह न्यायालय आगे और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि श्रीमती महेन्द्री (अभि. सा. 3), जो पूरण सिंह की पत्नी है तथा रविन्द्र **उर्फ** लाला (अभि.सा 4), दोनों के मोबाइल नम्बर प्रस्तुत किए गए हैं

और चूंकि उनके मोबाइल पुलिस के पास उपलब्ध थे फिर भी अभियुक्तों-अपीलार्थियों को अपराध से जोड़ने हेतु फोन काल के अभिलेख संबंधी साक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया । पुलिस से यह अपेक्षित है कि वह "अन्तिम बार एक साथ देखे जाने" के साक्ष्य को सिद्ध करने के लिए उक्त मोबाइलों के काल ब्यौरों संबंधी उक्त साक्ष्य को अभिलेख पर प्रस्तुत करके संपुष्टिकारक साक्ष्य को एकत्र करती ।

32. न्यायालय इस निष्कर्ष पर भी पहुंचता है कि पुलिस ने आरंभ में रामकिशन (अभि. सा. 2) नामक एक व्यक्ति के कथन को लेखबद्ध किया, जिसके संबंध में यह कहा गया कि वह उस समय मृतक के साथ था जब मृतक अभियुक्तों-अपीलार्थियों के साथ था । उक्त साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित होकर सम्पूर्ण घटना से इनकार कर दिया और उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया । अभियोजन से, अभिकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के पक्षद्रोही होने को ध्यान में रखते हुए यह अपेक्षित था कि वह "अन्तिम बार एक साथ देखे जाने" के संपुष्टिकारक साक्ष्य को एकत्रित करता ।

33. अभि. सा. 1 करतार सिंह (शिकायतकर्ता) के कथन पर विचार करते समय यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों-अपीलार्थियों के विरुद्ध ऐसा सुदृढ़ परिस्थितिक साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है, जहां यह कहा जा सकता हो कि उन्हें अन्तिम बार मृतक के साथ इक्कटठा देखा गया था।

34. यह न्यायालय अभि. सा. 3 श्रीमती महेन्द्री, पत्नी श्री पूरण सिंह के कथन को निर्दिष्ट करना भी उपयुक्त समझता है, जिसके साथ मृतक ने अभिकथित रूप से अपनी मृत्यु से पूर्व बातचीत की थी । उक्त साक्षी की मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा के सुसंगत भागों को सुगम संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है :-

मुख्य परीक्षा

"देवेन्द्री ने पूरन सिंह और रविन्द्र के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा किया था जो झूठा ही था और झूठा निकला । रविन्द्र मेरा देवर है । रविन्द्र से चरन सिंह की मोबाइल पर बात हुई थी । फिर

चरन सिंह ने मुझसें बात की थी । चरन सिंह ने 5 मार्च को मुझसे बात की थी रात को 10 बजे की थी और उसने कहा कि मैं देवेन्द्री के पास हूं । कहां से बात की थी ये नहीं बताया था । चरन सिंह ने मुझसे फोन पर कहा था कि सुबह मांट तहसील आ जाओ देवेन्द्री अपनी आपत्ति वापिस ले लेगी और तुम पैसे दे देना तुम्हारा दाखिला खारिज चढ़ जाएगा । चरन सिंह ने उस दिन देवेन्द्री से मेरी बात कराई थी । चरन सिंह की मृत्यु हो गई । मुझे पता नहीं किसने मारा ।

जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त देवेन्द्री की ओर से –

देवेन्द्र और देवेन्द्री का गांव में चाची बेटा का रिश्ता है । यह सही है कि गांव नाते से चाची बेटा साथ-साथ आ जा सकते हैं । मैंने उनके अवैध संबंध देखे थे । चरन सिंह के मकान में देखा था । मैंने इनको आपस में सोते हुए नहीं देखा । मैंने इनको आपस में चिपटते नहीं देखा । जिस दिन दिनांक 5 मार्च, 2012 को चरन सिंह और देवेन्द्र की मुझसे बात हुई थी उस दिन किसी और की बात नहीं हुई । मुझे पता नहीं कि चरन सिंह और देवेन्द्र की बात किस जगह से हुई थी । मैंने चरन सिंह का खेत खरीदा था । खेत बेचने की बात चरन सिंह ने की थी । चरन सिंह कुछ नहीं करता था । चरन सिंह बचपन से धौरमुई में रहता था । चरन सिंह की शादी धौरमुई में उसके जीजा करतार सिंह ने की थी । चरन सिंह की देखरेख और लेनदेन, परवरिश करतार सिंह ही करता है । यह सही है कि खेत बेचने का वयनामा होते ही चरन सिंह की पत्नी देवेन्द्री ने मांट तहसील में दाखिला रोकने की आपत्ति लगा दी थी । हमने खेत बेचने की रकम पांच लाख रूपए वयनामा वाले दिन चरन सिंह की जेब में रख दिए थे । वयनामा वाले दिन चरन सिंह और एक आदमी और था जिसका नाम नहीं बता सकती । इसके बाद पंचायत इस जमीन पर इकट्ठी नहीं हुई । वयनामा वाले दिन चरन सिंह लेट हो गया था इसलिए हमने पांच लाख रुपए चरन सिंह से वापिस ले लिए थे । दूसरे दिन चरन सिंह को साथ लेकर खेत बिक्री के पैसे हम करतार सिंह को देने धौरमुई आए थे लेकिन

उस दिन करतार सिंह नहीं मिला फिर हम पैसे वापस ले गए । खेत बिक्री के पैसे हमने चरन सिंह के मरने के बाद और उसके क्रियाकर्म होने के बाद 12-14 दिन बाद पैसे धौरमुई में करतार सिंह को दिए थे । यह सही है कि मैंने दोनों मुलजिमान देवेन्द्र और देवेन्द्री को चरन सिंह को मारते नहीं देखा ।"

35. अभि. सा. 4 रविन्द्र की मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा को सुगम संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है –

"मैं चरन सिंह को जानता हूं जो मेरे गांव का रहने वाला है जो अपने बहनोई के साथ धौरमुई में रहता था । चरन सिंह मरने से लगभग एक साल पहले वापस गांव कटेलिया आ गया था गांव में अपनी पत्नी देवेन्द्री के साथ रहने लगा था । मैं देवों **उर्फ** देवेन्द्र हाजिर अदालत को जानता हूं । देवेन्द्र और चरन सिंह के अच्छे संबंध थे । दोनों एक जगह रहते थे । देवेन्द्री चरन सिंह के साथ ही रही थी । बाद में ये नौकरी करने चले गए थे । देवेन्द्र भी चरन सिंह और उसकी पत्नी के साथ गया था । मैंने देवेन्द्र और देवेन्द्री के अवैध संबंध हैं ऐसा सुना है मैंने देखा नहीं है । मैंने इस बाबत कोई ज्यादा जानकारी नहीं की । चरन सिंह बाद में गांव कटेलिया में आ गया । अकेला ही आया था फिर धौरमुई भी चला जाता था । देवेन्द्री मैंने देखी नहीं कहा रह गई मुझे जानकारी नहीं । बाद में धौरमुई 2-3 माह पीछे आया था । पूरन सिंह मेरे बड़े भाई हैं जिन्होंने चरन सिंह से पांच लाख रुपए में खेत खरीदा था । इसके भुगतान के बाबत चरन सिंह ने कोई बात नहीं कही । चरन सिंह ने यह कहा था कि खेत की रकम मेरे जीजा करतार सिंह के बैंक खाते में डालने को बोला था । फिर गांव धौरमुई करतार सिंह के पास आए थे । जो हमें नहीं मिले पैसे देने के लिए हम उनको आए थे लेकिन करतार को हम पैसा नहीं दे सके थे । खेत की रजिस्ट्री मेरे भाई पूरन सिंह ने मेरी भाभी महेन्द्री के नाम कराई थी । रजिस्ट्री के बाद देवेन्द्री ने तहसील में आपत्ति कर दी । मुझे यह पता नहीं कि देवेन्द्री के साथ आपत्ति लगवाने कौन गया था ।

फिर देवेन्द्री हमारे पैसा लेने आई थी जो अकेली आयी थी । हमने पैसे की उससे मना कर दिया और कहा कि तुझे पैसा जब मिलेगा जब आपत्ति वापिस ले लेगी । और करतार और चरन सिंह को साथ लेकर आएगी । फिर देवेन्द्री ने हमारे खिलाफ बलात्कार की झूठी रिपोर्ट मथुरा में दर्ज करा दी । तारीख 3, 4, 5 मार्च को मैंने देवेन्द्री को गांव में देखा था । 5 तारीख को मैंने देवेन्द्री को जाते नहीं देखा लेकिन वह गांव से चली गई थी । मुझे यह पता नहीं कि तारीख 5 मार्च, 2012 को मैंने देवेन्द्र देवो को गांव में देखा या नहीं । 5 तारीख को 10.30 बजे मेरे मोबाइल पर चरन सिंह ने बात की थी, फिर देवेन्द्री ने बात की थी । चरन सिंह ने कहा था कि देवो से बात हो गई और देवेन्द्री आपत्ति वापिस ले लेगी । देवेन्द्री ने यह कहा था कि पैसा मुझे देना तब मैं आपत्ति वापिस लूंगी । तभी दोनों की बात मेरी भाभी से भी मेरे मोबाइल से हुई थी । महेन्द्री ने देवेन्द्री से पूछा कि तू कहां से बात कर रही है तो उसने कहा कि कहीं अन्त से बात कर रही हैं लेकिन दोनों साथ हैं । उसके बात देवेन्द्री गांव नहीं आई । दूसरे दिन देवो **उर्फ** देवेन्द्र को मैंने 6 मार्च को गांव कटेलिया में देखा था । फिर वह गांव में ही रहा । उसके बात चरन सिंह से मेरी कोई बात नहीं हुई ।

जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्ता देवेन्द्री की ओर से –

चरन सिंह के गांव में आने पर चरन सिंह और देवेन्द्री के पति पत्नी के संबंध मधुर रहे । चरन सिंह अपने गांव में बेलदारी करता था । देवेन्द्र मृतक चरन सिंह का भतीजा लगता है । यह सही है कि मुलजिम देवेन्द्र और देवेन्द्री आपस में चाची भतीजे लगते हैं । देवेन्द्र के पत्नी और बच्चे हैं । देवेन्द्र के 5 बच्चे हैं । देवेन्द्र की पत्नी जीवित है । चरन सिंह का फोन मेरे नम्बर पर किस नम्बर से आया मुझे पता नहीं । मुझसे तारीख 5 मार्च, 2012 रात 10 बजे चरन सिंह और उसकी पत्नी की बात हुई । इसके अलावा चरन सिंह की तरफ से और किसी की बात नहीं हुई । चरन सिंह ने मुझे बात करने वाली जगह का नाम नहीं बताया ।

चरन सिंह की जमीन बिक्री के सौदे में मैं पूरे टाइम उपस्थित रहा हूं । मुझे चरन सिंह की जमीन बिक्री की पूरी जानकारी है । वयनामा मार्च में हुआ था फिर कहा फरवरी या मार्च में हुआ था मुझे ठीक से याद नहीं है । मेरी भाभी महेन्द्री के नाम से हुआ था । वयनामा वाले दिन हम पैसे लेकर गए थे । उस दिन हमने चरन सिंह को पैसे दे दिए थे और वह पैसे लेकर गांव चला गया था, पांच लाख रुपए दिए थे । जमीन बिक्री के पांच लाख रूपए धौरमुई आने के वक्त चरन सिंह हमारे साथ था । उक्त तारीख करतार सिंह नहीं मिले । चरन सिंह ने हमको पैसे वापिस कर दिए । जमीन बिक्री के पैसे मरने के 14-15 दिन तक मेरे पास रहे । जमीन बिक्री के पैसे हमने चरन सिंह के मरने के 3-4 दिन बात धौरमुई आकर करतार सिंह को दिए थे । पैसे देते वक्त हमारे गांव का धीरज, ज्ञानी, मैं और कई लोग थे । धौरमुई के भी लोग थे, 10-20 आदमियों के सामने करतार सिंह को दिए थे । यह सही है कि चरन सिंह की बचपन से परवरिश, देखरेख, लेनदेन सभी करतार सिंह ने ही किए हैं । मैंने चरन सिंह को मरते हुए नहीं देखा । मुझे पता नहीं कि चरन सिंह को किसने मारा । लेकिन अजखुद कहा कि अफवाह फैलने से पता चला था ।

मैंने मुलजिमान देवेन्द्र और देवेन्द्री को चरन सिंह को मारते नहीं देखा । मुझे पता नहीं कि पैसे के लालच में करतार सिंह ने चरन सिंह को मरवा दिया हो ।

जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त देवो उर्फ **देवेन्द्र –**

चरन सिंह का मकान कटेलिया में है । कटेलिया में दोनों पति पत्नी साथ रहते थे यह सही है । चरन सिंह को करतार, उसका बहनोई अपने साथ, 4 साल का था तभी ले आया । चरन सिंह के मां बाप मर गए थे । चरऩ सिंह अपनी खेती को लगान पर उठा देता था । पैसा ले आता था । देवेन्द्री चरन सिंह के साथ धौरमुई में रही थी । 7-8 साल रही थी । चरन सिंह से देवेन्द्री के तीन बच्चे हैं । देवेन्द्री कटेलिया में चरन सिंह के साथ ही जाती थी ।

यह सही है कि देवेन्द्री कटेलिया में अकेली ही रहती थी लेकिन अपने घर में रहती थी । मेरा पुलिस में बयान हुआ था । चरन सिंह, देवेन्द्री व देवेन्द्र तीनों नौकरी करने चले गए, यह बात मैंने पुलिस को बताई थी । पुलिस बयान प्रदर्श डी.2 में क्यों नहीं है मुझे पता नहीं । यह बात, ऊपर लिखी बात मैंने पुलिस को नहीं बताई क्योंकि पुलिस ने मुझसे पूछी नहीं थी । तीनों एक साथ रहे थे । लेकिन मैंने तीनों को रहते नहीं देखा । पुलिस बयान डी. 2 में ए से बी भाग "जिसका भुगतान.... खाते में डाल दो", मैंने यह बात पुलिस को लिखाई थी । आज जो मैंने बयान दिया वह सही है, प्रदर्श डी. 2 में ए से बी भाग में जो लिखाया है वह गलत लिखा है । वयनामा कराने के बाद चरन सिंह 1-2 मार्च, 2012 को धौरमुई आया । चरन सिंह वापिस कटेलिया नहीं गया । करतार 12 या 13 तारीख को कटेलिया गया था । पुलिस ने मेरा बयान 24-25 तारीख को लिया था । माह नहीं बता सकता । देवेन्द्र और देवेन्द्री के अवैध संबंधों के बारे में मुझे निजी जानकारी नहीं है । देवेन्द्र की औरत कहती थी कि अवैध संबंध हैं । फिर मुझे जानकारी नहीं है । देवेन्द्र की बहु का गांव के नाते चचिया ससुर लगता हूं । देवेन्द्र की औरत मुझसे परदा करती है । अजखुद कहा कि वह मेरे से बोलती है । आज करतार मेरे साथ आया है । अजखुद कहा कि मैं अपने गांव कटेलिया से आया हूं, करतार सिंह आगरा से आया है । यह सही है कि अभी करतार सिंह मेरे साथ थे । यह कहना गलत है कि मैं करतार सिंह के कहने पर आया हूं । करतार सिंह मेरे गांव के नाते से जीजा लगता है । खेत की बिक्री के पैसे मैंने करतार सिंह को दिए थे, यह सही है । यह कहना गलत है कि मैं करतार सिंह के कहने से झूठे बयान दे रहा हूं । यह कहना गलत है कि मैं आज झूठे बयान दे रहा हूं ।"

36. यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि दोनों साक्षियों ने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस बात को स्वीकार किया है कि मृतक चरन सिंह और अभियुक्त देवेन्द्र ने उनके साथ बातचीत की, तथापि, उन्होंने उस स्थान का नाम बताने से इनकार किया है, जहां से मृतक ने उनके साथ

बातचीत की ।

37. अभि. सा. 4 रविन्द्र **उर्फ** लाला के कथन से आगे यह और प्रकट होता है कि तारीख 5 मार्च, 2012 को रात्रि लगभग 10 बजे मृतक चरन सिंह और उसकी पत्नी ने उससे बात की किन्तु उसने वह फोन नम्बर, जिससे उसे चरन सिंह ने फोन किया तथा उस स्थान को, जहां से मृतक ने अपनी पत्नी के साथ उससे बात की, बताने से इनकार किया । इन साक्षियों के कथनों की गहन जांच से यह स्पष्ट होता है कि मोबाइल फोन से संबंधित फोन काल के ब्यौरे उपलब्ध न कराया जाना, अभियोजन की इस कहानी के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न करता है जिसके द्वारा यह साबित करने की कोशिश की गई है कि मृतक को अभियुक्तों-अपीलार्थियों के साथ "अन्तिम बार एक साथ देखा गया " ।

38. यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि परिस्थितिक साक्ष्य की दशा में, अपराध में फंसाने वाली प्रत्येक परिस्थिति स्पष्ट रूप से विश्वसनीय और निश्चियी साक्ष्य द्वारा सिद्ध की जानी चाहिए और इस प्रकार साबित की गई परिस्थितियों से घटनाओं की ऐसी श्रृंखला का निर्माण होना चाहिए जिससे सुरक्षित रूप से अभियुक्त के दोष के बारे में ही अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकल सके और दोष के संबंध में कोई अन्य परिकल्पना संभावित न रह जाए । न्यायालय को स्वयं को इस बारे में संतुष्ट करना होता है कि घटनाओं की श्रृंखला में विभिन्न परिस्थितियां इस प्रकार सिद्ध होनी चाहिए जिससे कि अभियुक्त के निर्दोष होने की किसी भी युक्तियुक्त संभावना को दूर किया जा सके ।

39. उच्चतम न्यायालय ने **नवनीतकृष्णन** बनाम **राज्य, पुलिस निरीक्षक द्वारा**[1] वाले मामले में "अन्तिम बार एक साथ देखे जाने" से संबंधित परिस्थितिक साक्ष्य को विचार में लेने के सिद्धांत को दोहराया है । **नवनीतकृष्णन** (उपरोक्त) वाले मामले के निर्णय के सुसंगत पैरा सं. 27 को सुगम संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है :-

> "27. यह सुस्थापित विधि है कि अपराध में फंसाने वाली प्रत्येक परिस्थिति को विश्वसनीय और निश्चियी साक्ष्य द्वारा

[1] (2018) 16 एस. सी. सी. 161.

स्पष्ट रूप से सिद्ध किया जाना चाहिए और इस प्रकार साबित की गई परिस्थितियों से घटनाओं की ऐसी श्रृंखला बननी चाहिए जिससे अभियुक्त के दोष के संबंध में अप्रतिरोध्य निष्कर्ष सुरक्षित रूप से निकाला जा सके तथा उसके दोषी न होने के प्रति कोई अन्य परिकल्पना संभव न हो । मुख्य रूप से परिस्थितिक साक्ष्यों पर निर्भर करने वाले मामलों में सदैव इस बात का खतरा रहता है कि अटकलबाजी या संदेह सुगमता से विधिक सबूत को प्रतिस्थापित कर सकता है । न्यायालय को स्वयं का यह समाधान करना चाहिए कि घटनाओं की श्रृंखला में विभिन्न परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए जो अभियुक्त के निर्दोष होने की युक्तियुक्त संभावना को पूर्णतया समाप्त कर दें । जब इस श्रृंखला की कोई महत्वपूर्ण कड़ी खो जाती है तो परिस्थितियों की श्रृंखला टूट जाती है तथा अन्य परिस्थितियां किसी भी रीति में सभी युक्तियुक्त संदेहों के परे अभियुक्त के दोष को सिद्ध नहीं कर सकती । इस संबंध में न्यायालय को सावधान रहना होगा त इस खतरे से बचना होगा कि विधिक सबूत के स्थान पर संदेह को अनुज्ञात न किया जाए क्योंकि कभी-कभार ऐसा अनजाने में भी हो सकता है क्योंकि नैतिक निश्चितता और विधिक सबूत के बीच बहुत कम अन्तर होता है । "सत्य हो सकता है" त "सत्य होना चाहिए", दोनों पदों के बीच अत्यंत लम्बी मानसिक दूरी है और वही दूरी निश्चित निष्कर्षों को अटकलबाजियों से भिन्न बनाती है । न्यायालय विधि के सुस्थापित सिद्धांतों द्वारा दी गई चेतावनी त इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए इस बात पर जोर देगा कि वर्तमान मामले के समान किसी मामले में, जहां अभियोजन परिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है, वहां अभियोजन को सभी आवश्यक परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से अभिलेख पर रखना चाहिए तथा उन्हें इस प्रकार साबित करना चाहिए जिससे बिना टूटे घटनाओं की एक सम्पूर्ण श्रृंखला को सिद्ध किया जा सके जो केवल इसी परिकल्पना की ओर इशारा करती हो कि अभियुक्त के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति ने अपराध नहीं किया और वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष यह बात सिद्ध करने में असफल रहा है ।"

40. यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन, वर्तमान अभियुक्तों-अपीलार्थियों की अभिकथित अपराध को किए जाने में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका को सिद्ध करने में असफल रहा है ।

41. विचारण न्यायालय, अपराध के पीछे के हेतु पर विचार करते समय इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि चूंकि अभियुक्त-अपीलार्थी श्रीमती देवेन्द्री के अभियुक्त देवेन्द्र **उर्फ** देवो के साथ अवैध संबंध थे तथा इसके अतिरिक्त वे मृतक चरन सिंह के भूखण्ड का विक्रय करने के पश्चात् उस धन को हड़पना चाहते थे इसलिए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्षियों ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी देवेन्द्र **उर्फ** देवो तथा श्रीमती देवेन्द्री पिछले 2-3 वर्ष से एकसाथ रह रहे थे और वे ग्राम धौरमुई में स्थित अपने मकान पर नहीं रह रहे थे । साक्षियों ने यह और अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक चरन सिंह के उसकी पत्नी देवेन्द्री के साथ संबंधों के बारे में ग्राम के अनेक व्यक्तियों को जानकारी थी । घटना के पश्चात् धन हड़पने का अभिकथित हेतु भी अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं करता है क्योंकि ऐसा कथन किया गया है कि धन को भूखण्ड के विक्रय के पश्चात् देवेन्द्री द्वारा अपने पास नहीं रखा गया था ।

42. अभि. सा. 3 श्रीमती महेन्द्री और अभि. सा. 4 रविन्द्र **उर्फ** लाला के कथन यह प्रकट करते हैं कि विक्रय के प्रतिफल की धनराशि को करतार सिंह को दिए जाने के लिए ग्राम धौरमुई ले जाया गया और चूंकि करतार सिंह उस दिन उपलब्ध नहीं था इसलिए उक्त धन को अभि. सा. 3 महेन्द्री अपने साथ वापस ले गई । अभि. सा. 3 श्रीमती महेन्द्री ने यह और कथन किया है कि चरन सिंह की मृत्यु के पश्चात् उक्त धनराशि को करतार सिंह के सुपुर्द कर दिया गया था ।

43. अभि. सा. 4 रविन्द्र **उर्फ** लाला का कथन करतार सिंह को धन दिए जाने के तथ्य की आगे और संपुष्टि करता है । वे तथ्य, जो अभि. सा. 3 श्रीमती महेन्द्री और अभि. सा. 4 रविन्द्र **उर्फ** लाला के साक्ष्यों से अभिलेख पर आए हैं, स्पष्ट रूप से यह प्रकट करते हैं कि अभियुक्तों-अपीलार्थियों का उद्देश्य धन हड़पना नहीं था क्योंकि धन अभि. सा. 1 करतार सिंह को सुपुर्द करने का प्रस्ताव किया गया था और अन्ततः धन

को मृतक चरन सिंह की मृत्यु के पश्चात् करतार सिंह को सौंप दिया गया था ।

44. यह न्यायालय साक्ष्य की गहन जांच करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मृतक चरन सिंह के गायब हो जाने के पश्चात् मृतक की पत्नी द्वारा पुलिस थाना मांट में मृतक के गायब हो जाने के संबंध में इत्तिला की गई थी और अभि. सा. 1 करतार सिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस बात को स्वीकार किया है कि उसे पुलिस थाना मांट से मृतक चरन सिंह का पता ठिकाना पूछने के लिए टेलीफोन कॉल प्राप्त हुई थी । उक्त तथ्य आगे यह और सिद्ध करता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी श्रीमती देवेन्द्री ने स्वयं ही अपनी गुमशुदा पति को ढूंढने हेतु पुलिस थाना मांट को अनुरोध किया ।

45. यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उस हेतु, जिसके संबंध में यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्तों-अपीलार्थियों ने उस हेतु के लिए अपराध किया था, को अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं किया गया है । निचले न्यायालय ने अभियुक्तों-अपीलार्थियों की निशानदेही पर मृत शरीर की बरामदगी संबंधी साक्ष्य के आधार पर यह पाया कि अपराध अभियुक्तों-अपीलार्थियों द्वारा किया गया है और इस तथ्य को इस साक्ष्य के आधार पर साबित किया गया ।

46. यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उस अभिकथित स्थल, जहां मृत शरीर को दफनाया गया था, से संबंधित "फर्द नक्शा" (प्रदर्श पी. 8) पुलिस द्वारा तैयार किया गया, जो कि अयोध्या देवी (अभि. सा. 5) का घर है, जिसे नक्शे में "ई" के रूप में चिह्नित किया गया है और जिसमें यह दर्शित है कि मृत शरीर को उस गृह में सन्निर्मित एक कमरे और एक "बरामदे", जिसे "एक्स-1" के रूप में चिह्नित किया गया है, के सामने खुली जमीन में दफन किया गया था । अन्वेषण अधिकारी ने दो व्यक्तियों, अर्थात् रंजीत सिंह (अभि. सा. 11) और गोविन्द सिंह (अभि. सा. 18) को साक्षी बनाया और उनकी उपस्थिति में यह स्थल नक्शा तैयार किया गया । अभियोजन ने एक रक्त से सने पेटीकोट की बरामदगी को भी दर्शित किया है जिसे पी. 13

के रूप में प्रदर्शित किया गया है । उक्त पेटीकोट को अभियुक्त श्रीमती देवेन्द्री की माता श्रीमती चम्पा देवी, जो ग्राम सिंघना की निवासी है, के घर से बरामद किया गया । इसके अतिरिक्त, पुलिस ने एक पतलून (पेंट) की बरामदगी के संबंध में भी "फर्द बरामदगी" को तैयार किया और उक्त दस्तावेज पी. 33 के रूप में प्रदर्शित है । इस संबंध में यह कथन किया गया है कि अभियुक्त देवेन्द्र ने मृतक की हत्या का अपराध करते समय उक्त पतलून को पहना हुआ था । उक्त पतलून की बरामदगी भी ग्राम कटेलिया से हुई थी, जहां अभियुक्त देवेन्द्र **उर्फ** देवो रहता है ।

47. न्यायालय इस और निष्कर्ष पर पहुंचा है कि दो वस्तुओं, अर्थात् कमीज और पेटीकोट को एफ एस एल रिपोर्ट हेतु भेजा गया और उनकी जांच के परिणाम में केवल यह दर्शित हुआ कि चाकू, कमीज, जर्सी, "बनियान", कच्छे और पेटीकोट पर ही रक्त पाया गया था तथा उस परीक्षा के लिए भेजी गई सभी वस्तुओं पर पाए गए रक्त का रक्त समूह अनिश्चायक था । अभियोजन पक्ष उन वस्तुओं, जिन्हें परीक्षा के लिए भेजा गया था, पर पाए जाने वाले रक्त समूह के संबंध में ब्यौरों को स्थापित करने में असफल रहा है और कतिपय वस्तुओं पर पाए जाने वाले मानवीय रक्त के कारण ही यह अवधारणा नहीं बनाई जा सकती कि अभियुक्तों-अपीलार्थियों से उन वस्तुओं की बरामदगी यह सिद्ध करती है कि वे अपराध के किए जाने में संलिप्त हैं ।

48. यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मृत शरीर और अपराध के किए जाने से संबंधित कतिपय अन्य वस्तुओं की बरामदगी स्वयं में ही ऐसा आधार नहीं उपलब्ध करा सकती जिससे अभियुक्तों को अपराध से जोड़ा जा सके या यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि किसी अकाट्य और ऐसे संपुष्टिकारक साक्ष्य, जो प्रत्यक्ष रूप से उन्हें अपराध के साथ जोड़ता हो, की अनुपस्थिति में उन्हें दंडित किया जा सकता है ।

49. यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विचारण न्यायालय द्वारा राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता के मुद्दे के संबंध में भी उचित और विधिक रीति से विनिश्चय नहीं किया गया है । शिकायतकर्ता ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि मृतक तारीख 5 मार्च,

2012 को स्वेच्छया ग्राम धौरमुई से गया था । उक्त शिकायतकर्ता ने यह और कथन किया है कि मृतक अपना धन प्राप्त करने के लिए ग्राम कटेलिया गया और उसके बारे में यह कहा गया कि उसे अपनी पत्नी से एक टेलिफोन कॉल प्राप्त हुई थी । मृतक चरन सिंह द्वारा स्वेच्छया धौरमुई ग्राम से जाना कहीं भी यह दर्शित नहीं करता है कि उसे अभियुक्तों-अपीलार्थियों द्वारा उसका अपहरण करने के लिए धौरमुई ग्राम छोड़ने के लिए उत्प्रेरित किया गया था ।

50. यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि दंड संहिता की धारा 362 के अधीन यथाउपबंधित "अपहरण" की परिभाषा यह अपेक्षा करती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बलपूर्वक किसी स्थान पर जाने के लिए विवश करता है या प्रवंचनापूर्ण उपायों से किसी स्थान पर जाने के लिए उत्प्रेरित करता है तो उसके बारे में यह माना जाता है कि उसने उस व्यक्ति का अपहरण किया है । वर्तमान मामले में अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य से यह तथ्य कहीं भी सिद्ध नहीं होता है कि मृतक चरन सिंह को ग्राम धौरमुई छोड़ने के लिए उत्प्रेरित किया गया था और वह एक भूखण्ड के संदाय से संबंधित मुद्दे का समाधान करने के लिए स्वेच्छा से गया था, जिसका अभिकथित रूप से पूरण सिंह नामक व्यक्ति को विक्रय किया गया था । अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि मृतक का अपहरण ग्राम धौरमुई से किया गया । अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि प्रारंभ में मृतक ग्राम कटेलिया गया और उसके पश्चात् उसे ग्राम जेवर ले जाया गया, जहां अभियुक्तों-अपीलार्थियों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई । वर्तमान मामले में राजस्थान के राज्यक्षेत्र में अपहरण किए जाने का अपराध साबित नहीं होता है और तद्नुसार निचला न्यायालय गलती से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता से संबंधित मुद्दे को विचार में नहीं लिया जाना है और इस दांडिक मामले का सम्पूर्ण अन्वेषण और विचारण राजस्थान में सही रीति में हुआ है ।

51. ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय यह है कि अभियोजन पक्ष ऐसे विधिक, अकाट्य, विश्वासोत्पादक और

विश्वसनीय साक्ष्य को सामने लाने में असफल रहा है जिससे कि उन परिस्थितियों को स्थापित किया जा सके, जिनका अवलंब लिया गया है ताकि अभियुक्तों-अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोपों को साबित किया जा सके ।

52. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील को स्वीकार किया जाता है और अभियुक्तों-अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 365, 302 और 201 के अधीन आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 22 अगस्त, 2015 को पारित निर्णय को अभिखंडित और अपास्त किया जाता है ।

53. अपीलार्थियों की विचारण न्यायालय द्वारा दंड संहिता की धारा 365, 302 और 201 के अधीन अपराधों के लिए की गई दोषसिद्धि और उनके विरुद्ध पारित दंडादेश को भी अभिखंडित और अपास्त किया जाता है । अभियुक्त-अपीलार्थी, जो उनकी गिरफ्तारी के पश्चात् से ही अभिरक्षा में हैं, को तुरन्त अभिरक्षा से निर्मुक्त करने का आदेश किया जाता है, यदि उनकी आवश्यकता किसी अन्य मामले में नहीं है ।

54. तथापि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437क के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे तुरन्त विचारण न्यायालय के समक्ष 20,000/- रुपए की राशि का एक-एक स्वीय बंधपत्र और उतनी ही राशि का एक-एक प्रतिभूति बंधपत्र प्रस्तुत करें । इस प्रकार प्रस्तुत किए गए बंधपत्र छह मास की अवधि के लिए प्रभावी होंगे और उनमें इस बात का वचनबंध अन्तर्विष्ट होगा कि निर्णय के विरुद्ध विशेष इजाजत याचिका फाइल किए जाने की दशा में या इजाजत मिल जाने की दशा में अपीलार्थी उसकी सूचना की प्राप्ति पर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे ।

अपील मंजूर की गई ।

पु.

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

सुरजन सिंह

(2009 की दांडिक अपील सं. 217)

तारीख 14 जून, 2019

न्यायमूर्ति चन्दर भूषण बरोवालिया

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 325 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – घोर उपहति – अभियुक्त-प्रत्यर्थी द्वारा आहतों पर लात-घूसों से वार किए जाने का अभिकथन – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का पक्षद्रोही हो जाना – अभियोजन वृत्तान्त से साक्ष्य का मेल न खाना – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने यह साक्ष्य दिया है कि उसे इत्तिलाकर्ता ने क्षतियां पहुंचाई हैं न कि अभियुक्त-प्रत्यर्थी ने, ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्षकथन संदिग्ध हो जाता है और प्रत्यर्थी की दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

इस मामले में तारीख 20 नवंबर, 2004 को लगभग अपराह्न 10 बजे रोपरू नामक स्थान पर अभियुक्त ने भजनी देवी के साथ मारपीट की और जब चमनलाल और कृष्णा देवी ने हस्तक्षेप किया, उसने उन्हें भी लात और घूसों से मारा । अभियुक्त ने जानबूझकर भजनी देवी और चमनलाल को साधारण क्षतियां कारित कीं और कृष्णा देवी को साधारण और गंभीर क्षतियां पहुंचाईं । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार अभियुक्त ने भजनी देवी, चमनलाल और कृष्णा देवी को आपराधिक अभित्रास कारित किया । क्षतिग्रस्त चमनलाल (शिकायतकर्ता) ने पुलिस में रिपोर्ट कराई जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया । पुलिस ने स्थलनक्शा तैयार किया और आहतों के चिकित्सा-विधिक प्रमाणपत्र प्राप्त किए । पुलिस ने साक्षियों के कथन भी अभिलिखित

किए । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात्, पुलिस ने विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया । अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन साबित करने के लिए कुल मिलाकर 9 साक्षियों की परीक्षा कराई । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन अभिलिखित किया गया जिसमें उसने दोषी न होने का अभिवाक् किया । उसने अपनी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई । विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 5 फरवरी, 2009 के आक्षेपित निर्णय के अनुसार अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 323, 325 और 504 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किए जाने से दोषमुक्त कर दिया, इसलिए, अपीलार्थी राज्य द्वारा वर्तमान अपील फाइल की गई है । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – यद्यपि, डा. पी. के. सोनी (अभि. सा. 1) ने, जिन्होंने आहत की चिकित्सा परीक्षा की है, यह अभिसाक्ष्य दिया है कि श्रीमती भजनी देवी और श्री चमन लाल (शिकायतकर्ता) को सामान्य क्षतियां पहुंची हैं । इस साक्षी के अनुसार आहत श्रीमती कृष्णा देवी (अभि. सा. 5) को गंभीर क्षति कारित हुई है । स्वीकृततः, आहतों को क्षतियां पहुंची हैं किन्तु वे क्षतियां अभियुक्त द्वारा कारित नहीं की गई हैं क्योंकि आहत श्रीमती भजनी देवी और श्रीमती कृष्णा देवी का परिसाक्ष्य विश्वासोत्पादक नहीं हैं । इन साक्षियों के कथन से अभियोजन पक्षकथन की सत्यता संदिग्ध हो जाती है । चिकित्सीय साक्ष्य की संपुष्टि अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण साक्षियों से प्राप्त पार्श्विक साक्ष्य से नहीं होती है, अतः इससे अभियोजन पक्ष को कोई सहायता नहीं मिल सकती । अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण साक्षियों के परिसाक्ष्यों का विस्तार से और सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात् इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण साक्षियों के परिसाक्ष्य में विरोधाभास और कमियां हैं । घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने घटना का अस्थिर वर्णन किया है, यही निष्कर्ष निकालना होगा कि विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त की दोषमुक्ति का विनिश्चय गलत नहीं है । विधि की

सुस्थापित स्थिति और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को दृष्टिगत करते हुए, जैसा कि ऊपर विचार किया गया है यह अभिनिर्धारित करना अत्यंत उचित होगा कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त का दोष साबित करने में असफल रहा है और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए दोषमुक्ति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि तथ्यों और विधि का ठीक प्रकार मूल्यांकन करने और सही परिप्रेक्ष्य में परिशीलन करने के पश्चात् ही ऐसा किया गया है । तद्नुसार, अपील में कोई सार न होने के कारण यह खारिज किए जाने योग्य है और खारिज की जाती है । (पैरा 16, 17 और 20)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2006] (2006) 1 एस. सी. सी. 401 =
ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 836 :
टी. सुब्रमण्यन बनाम **तमिलनाडु राज्य** ; 18

[2007] (2007) 4 एस. सी. सी. 415 =
2007 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1850 :
चन्द्रप्पा बनाम **कर्नाटक राज्य** । 19

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2009 की दांडिक अपील सं. 217.

2005 के दांडिक मामला सं. 163-II में विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तारीख 5 फरवरी, 2009 को पारित निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री शिवपाल मंहस, पी. के. भट्टी (अपर महाधिवक्ता) और राजू राम राही (उप महाधिवक्ता)

प्रत्यर्थी की ओर से श्री जी. एस. पलसरा

न्यायमूर्ति चन्दर भूषण बरोवालिया – यह अपील राज्य द्वारा

2005 के दांडिक मामला सं. 163-II में विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तारीख 5 फरवरी, 2009 को पारित उस निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी/अभियुक्त (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अभियुक्त" कहा गया है) को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 323, 325 और 504 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषमुक्त कर दिया गया था ।

2. अभियोजन पक्षकथन के अनुसार संक्षेप में वर्तमान मामले के तथ्य निम्न प्रकार हैं :-

तारीख 20 नवंबर, 2004 को लगभग अपराह्न 10 बजे रोपरू नामक स्थान पर अभियुक्त ने भजनी देवी के साथ मारपीट की और जब चमनलाल और कृष्णा देवी ने हस्तक्षेप किया, उसने उन्हें भी लात और घूसों से मारा । अभियुक्त ने जानबूझकर भजनी देवी और चमनलाल को साधारण क्षतियां कारित कीं और कृष्णा देवी को साधारण और गंभीर क्षतियां पहुंचाईं । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार अभियुक्त ने भजनी देवी, चमनलाल और कृष्णा देवी को आपराधिक अभित्रास कारित किया । क्षतिग्रस्त चमनलाल (शिकायतकर्ता) ने पुलिस में रिपोर्ट कराई जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया । पुलिस ने स्थलनक्शा तैयार किया और आहतों के चिकित्सा-विधिक प्रमाणपत्र प्राप्त किए । पुलिस ने साक्षियों के कथन भी अभिलिखित किए । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात्, पुलिस ने विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया ।

3. अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन साबित करने के लिए कुल मिलाकर 9 साक्षियों की परीक्षा कराई । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन अभिलिखित किया गया जिसमें उसने दोषी न होने का अभिवाक् किया । उसने अपनी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई ।

4. विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 5 फरवरी, 2009 के आक्षेपित निर्णय के अनुसार अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 323, 325 और 504 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किए जाने से दोषमुक्त कर दिया, इसलिए, अपीलार्थी राज्य द्वारा वर्तमान अपील फाइल की गई है ।

5. विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने यह दलील दी है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने तथ्यों और विधि का मूल्यांकन गलत तरीके से किया है और अनुमान एवं अटकलों के आधार पर निर्णय पारित किया गया है, इस प्रकार, यह निर्णय अपास्त किया जाना चाहिए । विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने यह भी दलील दी है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन सही परिप्रेक्ष्य में नहीं किया है और अभियुक्त को दोषमुक्त करके गलत किया है । उन्होंने यह भी दलील दी है कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता श्री चमनलाल (अभि. सा. 4) के कथन का मूल्यांकन समुचित रूप से नहीं किया गया है । उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि चिकित्सा-विधिक प्रमाणपत्र से स्पष्ट रूप से क्षतियों तथा अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य की संपुष्टि होती है । इस प्रकार, मात्र निष्कर्ष यह निकलता है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया है और वह दोषसिद्ध किए जाने योग्य है । इसके प्रतिकूल, अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5 का साक्ष्य पूर्णतया एक दूसरे का विरोधाभासी है और अभि. सा. 9 ने तो अलग ही साक्ष्य दिया है । इसलिए, अभियुक्त के विरुद्ध ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे तनिक भी यह सिद्ध होता हो कि उसने अपराध कारित किया है, जैसा कि अभियोजन का अभिकथन है । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील भी दी है कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का मूल्यांकन ठीक ही किया है और निर्णय तथ्यों और विधि का सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करने के पश्चात् ही पारित किया गया । दोषमुक्ति के इस निर्णय में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और अपील खारिज की जाए ।

6. दूसरी ओर, विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने यह दलील दी है कि साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाए क्योंकि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त का दोषसाबित कर दिया है ।

7. पक्षकारों की परस्पर विरोधी दलीलों का मूल्यांकन करने के लिए मैंने अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है ।

8. अभियोजन पक्षकथन के अनुसार तारीख 20 नवंबर, 2004 को लगभग अपराह्न 10 बजे रोपरू नामक स्थान पर अभियुक्त ने शिकायतकर्ता भजनी देवी और कृष्णा देवी के साथ लात-घूसों से मारपीट की और उसने स्वेच्छया भजनी देवी और चमनलाल को साधारण क्षतियां कारित कीं तथा साथ ही कृष्णा देवी को साधारण क्षतियों के साथ-साथ गंभीर क्षति भी पहुंचाईं । वर्तमान मामले में चिकित्सीय साक्ष्य पर अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण साक्षियों के परिसाक्ष्य से तुलना करते हुए विचार किया जाना चाहिए ।

9. डा. पी. के. सोनी (अभि. सा. 1) ने आहतों की चिकित्सा परीक्षा की है । इस साक्षी ने आहतों के चिकित्सा-विधिक प्रमाणपत्र जारी किए हैं । इस साक्षी के अनुसार श्रीमती भजनी देवी और श्री चमनलाल (शिकायतकर्ता) को साधारण क्षतियां पहुंची हैं । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह अभिसाक्ष्य दिया है कि ऐसी क्षतियां गिरने या टकराने से कारित हो सकती हैं ।

10. वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता सहित आहतों के कथन अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं । स्वीकृततः, अभियुक्त आहतों का निकट नातेदार है । शिकायतकर्ता अभियुक्त का चाचा है और श्रीमती भजनी देवी अभियुक्त की माता है । श्रीमती कृष्णा देवी शिकायतकर्ता की पत्नी है । ये तीनों साक्षी तथा श्रीमती कोयला देवी (अभि. सा. 9) इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं और अभियोजन पक्षकथन इन्हीं साक्षियों के परिसाक्ष्य पर टिका हुआ है ।

11. श्रीमती भजनी देवी (अभि. सा. 7) ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और उसने बिल्कुल अलग कहानी बताई है । इस साक्षी के अनुसार, शिकायतकर्ता चमनलाल (अभि. सा. 4) ने उसके तथा श्रीमती कृष्णा देवी (अभि. सा. 5) के साथ मारपीट की थी । इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है और विस्तार से प्रतिपरीक्षा किए जाने पर भी उसके कथन से कुछ भी सुसंगत साक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है । इस साक्षी ने विस्तार से की गई प्रतिपरीक्षा के बावजूद अपने साक्ष्य में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया है कि अभियुक्त ने उसको घूसों से क्षतियां पहुंचाई हैं और यह कि उसने शिकायतकर्ता और श्रीमती कृष्णा देवी को क्षतियां पहुंचाई हैं । इस प्रकार, श्रीमती भजनी देवी (अभि. सा. 7), जो अभियोजन पक्ष का महत्वपूर्ण साक्षी है, का परिसाक्ष्य अभियोजन पक्ष के लिए व्यर्थ है बल्कि इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन वृत्तान्त संदिग्ध हो जाता है ।

12. श्रीमती कृष्णा देवी (अभि. सा. 5) एक अन्य साक्षी है जिसने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान विशिष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि उसकी मौजूदगी में कोई घटना घटित नहीं हुई है । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि घटनास्थल पर केवल अभियुक्त मौजूद था और उसके पति (शिकायतकर्ता) के मुंह से रक्त निकल रहा था । अब यदि अभि. सा. 5 के सम्पूर्ण कथन का विश्लेषण किया जाए तो उसके परिसाक्ष्य में परिवर्तन दिखाई देता है । इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त ने उसके पति (शिकायतकर्ता) पर बल का प्रयोग किया था किन्तु उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त ने शिकायतकर्ता और श्रीमती भजनी देवी (अभि. सा. 7) के साथ मारपीट की थी । उल्लेखनीय है कि अभि. सा. 7 ने इस बात से इनकार किया है कि अभियुक्त ने किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट की है । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि जब अभियुक्त अपनी माता श्रीमती भजनी देवी से बात कर रहा था तब वह वहां मौजूद नहीं थी । इस प्रकार,

अभियोजन पक्ष के इस महत्वपूर्ण साक्षी का परिसाक्ष्य घोर विरोधाभासों और कमियों से ग्रसित है जिससे यह अविश्वसनीय हो जाता है ।

13. शिकायतकर्ता चमनलाल (अभि. सा. 4) ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन करने का प्रयास किया है । शिकायतकर्ता के अनुसार घटना के दिन अपराह्न लगभग 10 बजे जब श्रीमती भजनी देवी (अभि. सा. 7) अपने घर पर थी, अभियुक्त आया और उसने अभि. सा. 7 से उसके वहां होने का कारण पूछा । इसके पश्चात् अभियुक्त अभि. सा. 7 के साथ मारपीट करने लगा और जब शिकायतकर्ता ने अभि. सा. 7 को बचाने का प्रयास किया, अभियुक्त ने शिकायतकर्ता पर लात-घूंसों से वार किए । शिकायतकर्ता के अनुसार, जब उसकी पत्नी कृष्णा देवी ने उसे (शिकायतकर्ता) को बचाने का प्रयास किया, तब अभियुक्त ने उस पर हमला किया और इसके पश्चात् वह घटनास्थल से चला गया । इस साक्षी के अनुसार उसे बाईं आंख, बाईं भुजा और कंधे पर क्षतियां पहुंचीं तथा उसकी पत्नी को भी अभियुक्त द्वारा की गई मारपीट से क्षतियां कारित हुईं । संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि शिकायतकर्ता ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन करने का प्रयास किया है, तथापि, उसका अभिसाक्ष्य एकमात्र है और शेष साक्ष्य इतना अस्थिर है कि उसके आधार पर शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया वृत्तान्त भी अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है ।

14. श्रीमती कोयला देवी (अभि. सा. 9) अभियोजन साक्षियों में एक महत्वपूर्ण साक्षी है । तथापि, इस साक्षी ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । इस साक्षी ने सम्पूर्ण घटना के प्रति अपनी अनभिज्ञता दर्शायी है और यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसकी मौजूदगी में कोई मारपीट नहीं की गई । इस साक्षी को भी पक्षद्रोही घोषित किया गया है और दीर्घ प्रतिपरीक्षा के बावजूद अभियोजन पक्ष उसके साक्ष्य से कोई भी महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त नहीं कर सका है जिसके आधार पर तनिक भी यह सिद्ध किया जा सके कि अभियुक्त अभिकथित अपराध में

अन्तर्वलित है ।

15. उपरोक्त महत्वपूर्ण साक्षी के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष ने शासकीय साक्षियों की भी परीक्षा कराई है जिनमें से अन्वेषण अधिकारी भी है । अतः, शासकीय साक्षी के परिसाक्ष्य पर चर्चा करना उचित नहीं होगा क्योंकि अभियोजन पक्षकथन अभिकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की परीक्षा कराए जाने के पश्चात् पहले ही असफल हो चुका है ।

16. यद्यपि, डा. पी. के. सोनी (अभि. सा. 1) ने, जिन्होंने आहत की चिकित्सा परीक्षा की है, यह अभिसाक्ष्य दिया है कि श्रीमती भजनी देवी और श्री चमनलाल (शिकायतकर्ता) को सामान्य क्षतियां पहुंची हैं । इस साक्षी के अनुसार आहत श्रीमती कृष्णा देवी (अभि. सा. 5) को गंभीर क्षति कारित हुई है । स्वीकृततः, आहतों को क्षतियां पहुंची हैं किन्तु वे क्षतियां अभियुक्त द्वारा कारित नहीं की गई हैं क्योंकि आहत श्रीमती भजनी देवी और श्रीमती कृष्णा देवी का परिसाक्ष्य विश्वासोत्पादक नहीं हैं । इन साक्षियों के कथन से अभियोजन पक्षकथन की सत्यता संदिग्ध हो जाती है । चिकित्सीय साक्ष्य की संपुष्टि अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण साक्षियों से प्राप्त पार्श्विक साक्ष्य से नहीं होती है, अतः इससे अभियोजन पक्ष को कोई सहायता नहीं मिल सकती ।

17. अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण साक्षियों के परिसाक्ष्यों का विस्तार से और सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात् इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण साक्षियों के परिसाक्ष्य में विरोधाभास और कमियां हैं । घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने घटना का अस्थिर वर्णन किया है, यही निष्कर्ष निकालना होगा कि विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त की दोषमुक्ति का विनिश्चय गलत नहीं है ।

18. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **टी. सुब्रमण्यन** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि जब

---

[1] (2006) 1 एस. सी. सी. 401 = ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 836.

एक ही जैसे साक्ष्य से युक्तियुक्त रूप से दो मत संभव हो तब यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन संदेह के परे साबित कर दिया है ।

19. **चन्द्रप्पा** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्द अपील पर विचार करते समय अपील न्यायालयों की शक्ति से संबंधित निम्न सिद्धांत विरचित किए हैं :-

> "42. उपरोक्त विनिश्चय से हमारी सुविचारित राय में दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय अपीली न्यायालय की शक्ति के संबंध में निम्न सामान्य सिद्धांत उद्भूत होते हैं -
>
> > "1. अपील न्यायालय को ऐसे साक्ष्य का पुनर्विलोकन, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है जिसके आधार पर दोषमुक्ति का आदेश किया गया है ।
> >
> > 2. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन कोई भी परिसीमा, प्रतिषेध या शर्त ऐसी शक्तियों के प्रयोग के संबंध में नहीं रखी गई है और अपील न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर स्वयं अपना निष्कर्ष, तथ्य और विधि दोनों के संबंध में निकाल सकता है ।
> >
> > 3. सारभूत और आबद्धकारी कारण, ठोस और पर्याप्त आधार, अत्यंत प्रबल परिस्थितियां, विरुपित निष्कर्ष, स्पष्ट त्रुटि आदि जैसी अनेक अभिव्यक्तियों का प्रयोग करने का आशय दोषमुक्त के विरुद्ध की गई अपील में अपील न्यायालय की अपार शक्ति को कम करना नहीं है । ऐसी शब्द रचनाओं की प्रकृति अलंकृत भाषा जैसी होती है ताकि इस पर जोर

---

[1] (2007) 4 एस. सी. सी. 415 = 2007 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1850.

दिया जा सके कि अपील न्यायालय दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप कम करे और साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने की शक्ति का प्रयोग अधिक करे और इसके पश्चात् ही अपना निष्कर्ष निकाले ।

4. तथापि, अपील न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए की दोषमुक्ति के मामले में अभियुक्त के पक्ष में दोहरी उपधारणा की जा सकती है । पहली यह कि अभियुक्त को आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के अधीन यह उपधारणा की जा सकती है कि वह निर्दोष है और तब तक किसी को दोषी नहीं माना जा सकता जब तक कि उसका दोष साबित न कर दिया जाए । दूसरी उपधारणा यह की जा सकती है कि अभियुक्त की दोषमुक्ति की गई है इसलिए उसे निर्दोष समझने की उपधारणा और प्रबलित, दृढ़ और सशक्त हो जाती है ।

5. यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दो युक्तियुक्त निष्कर्ष संभव हो, तब अपीली न्यायालय को चाहिए कि वह विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप न करे ।"

20. विधि की सुस्थापित स्थिति और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को दृष्टिगत करते हुए, जैसा कि ऊपर विचार किया गया है यह अभिनिर्धारित करना अत्यंत उचित होगा कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त का दोष साबित करने में असफल रहा है और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए दोषमुक्ति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि तथ्यों और विधि का ठीक प्रकार मूल्यांकन करने और सही परिप्रेक्ष्य में परिशीलन करने के पश्चात् ही ऐसा किया गया है । तद्नुसार, अपील में कोई सार न होने के कारण यह खारिज किए जाने योग्य है और खारिज की जाती है ।

21. उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए अपील खारिज की जाती है और यदि इसके साथ कोई भी आवेदन लंबित है, उसका भी निपटारा किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

संसद् के अधिनियम

हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956

(1956 का अधिनियम संख्यांक 32)

[25 अगस्त, 1956]

हिन्दुओं में अप्राप्तवयता और संरक्षकता से संबंधित विधि के कतिपय भागों को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सातवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार – (1) यह अधिनियम हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है और यह उन राज्यक्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, अधिवसित उन हिन्दुओं को भी लागू है जो उक्त राज्यक्षेत्र के बाहर हों ।

2. यह अधिनियम 1890 के अधिनियम 8 का अनुपूरक होगा – इस अधिनियम के उपबंध संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अतिरिक्त न कि, एतस्मिनपश्चात् अभिव्यक्ततः उपबंधित के सिवाय, उसके अल्पीकारक होंगे ।

3. अधिनियम का लागू होना – (1) यह अधिनियम लागू है –

(क) ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हिन्दू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार, जिसके अंतर्गत वीरशैव, लिंगायत अथवा ब्राह्मसमाज, प्रार्थना समाज या आर्यसमाज के अनुयायी भी आते हैं, धर्मतः हिन्दू हो ;

(ख) ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो धर्मतः बौद्ध, जैन या सिक्ख हों ; तथा

(ग) ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति को जो उन राज्यक्षेत्रों में,

जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, अधिवसित हो और धर्मत: मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी न हो कि जब तक, यह साबित न कर दिया जाए कि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति एतस्मिन् उपबन्धित किसी भी बात के बारे में हिन्दू विधि या उस विधि के भाग-रूप किसी रूढ़ि या प्रथा द्वारा शासित न होता ।

स्पष्टीकरण – निम्नलिखित व्यक्ति धर्मत:, यथास्थिति, हिन्दू, बौद्ध, जैन या सिक्ख हैं –

(i) कोई भी अपत्य, धर्मज या अधर्मज, जिसके माता-पिता दोनों ही धर्मतः हिन्दू, बौद्ध, जैन या सिक्ख हों ;

(ii) कोई भी अपत्य, धर्मज या अधर्मज, जिसके माता-पिता में से कोई एक धर्मतः हिन्दू, बौद्ध, जैन या सिक्ख हों और जो उस जनजाति समुदाय, समूह या कुटुम्ब के सदस्य के रूप में पला हो जिसका वह माता या पिता सदस्य है या था ; तथा

(iii) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिन्दू, जैन या सिक्ख धर्म में संपरिवर्तित या प्रतिसंपरिवर्तित हो गया हो ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को, जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (25) के अर्थ के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हो, लागू न होगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न कर दे ।

[1][(2क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम की कोई बात पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के रिनान्कैंटों को लागू नहीं होगी ।]

(3) इस अधिनियम के किसी भी प्रभाग में आए हुए "हिन्दू" पद का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता हो जो यद्यपि धर्मतः हिन्दू नहीं है, तथापि ऐसा व्यक्ति है जिसे यह

---

[1] 1968 के अधिनियम सं. 26 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा पुडुचेरी पर लागू होने के लिए उपधारा (2) के बाद उपधारा (2क) अंत:स्थापित की गई ।

अधिनियम इस धारा में अंतर्विष्ट उपबंधों के आधार पर लागू होता है ।

4. परिभाषाएं – इस अधिनियम में –

(क) "अप्राप्तवय" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी न की हो ;

(ख) "संरक्षक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी देखरेख में किसी अप्राप्तवय का शरीर या उसकी सम्पत्ति या उसका शरीर और सम्पत्ति दोनों हों और जिसके अंतर्गत आते हैं –

(i) नैसर्गिक संरक्षक ;

(ii) अप्राप्तवय के पिता या माता की विल द्वारा नियुक्त संरक्षक ;

(iii) न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक ; तथा

(iv) किसी प्रतिपाल्य अधिकरण से संबंध रखने वाली किसी अधिनियमिति के द्वारा या अधीन संरक्षक की हैसियत में कार्य करने के लिए सशक्त व्यक्ति ;

(ग) "नैसर्गिक संरक्षक" से अभिप्रेत है धारा 6 में वर्णित संरक्षकों में से कोई भी संरक्षक ।

5. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव – इस अधिनियम में अभिव्यक्ततः उपबन्धित के सिवाय –

(क) हिन्दू विधि का कोई भी ऐसा शास्त्र-वाक्य, नियम या निर्वचन, या उस विधि की भाग-रूप कोई भी रूढ़ि या प्रथा, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त रही हो ऐसे किसी भी विषय के बारे में, जिसके लिए इस अधिनियम में उपबन्ध किया गया है, प्रभावहीन हो जाएगी ;

(ख) कोई भी ऐसी अन्य विधि जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त रही हो वहां तक प्रभावहीन हो जाएगी जहां तक वह इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्धों में से किसी से असंगत हो ।

6. हिन्दू अप्राप्तवय के नैसर्गिक संरक्षक – हिन्दू अप्राप्तवय के

नैसर्गिक संरक्षक अप्राप्तवय के शरीर के बारे में और (अविभक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति में उसके अविभक्त हित को छोड़कर) उसकी सम्पत्ति के बारे में भी, निम्नलिखित हैं :–

(क) किसी लड़के या अविवाहिता लड़की की दशा में – पिता और उसके पश्चात् माता : परन्तु जिस अप्राप्तवय ने पांच वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो उसकी अभिरक्षा मामूली तौर पर माता के हाथ में होगी ;

(ख) अधर्मज लड़के या अधर्मज अविवाहिता लड़की की दशा में – माता और उसके पश्चात् पिता ;

(ग) विवाहिता लड़की की दशा में – पति :

परन्तु कोई भी व्यक्ति यदि –

(क) वह हिन्दू नहीं रह गया है ; या

(ख) वह वानप्रस्थ या यति या सन्यासी होकर संसार को पूर्णतः और अन्तिम रूप से त्याग चुका है,

तो इस धारा के उपबन्धों के अधीन अप्राप्तवय के नैसर्गिक संरक्षक के रूप में कार्य करने का हकदार न होगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा में "पिता" और "माता" पदों के अन्तर्गत सौतेला पिता और सौतेली माता नहीं आते ।

7. दत्तक पुत्र की नैसर्गिक संरक्षकता – ऐसे दत्तक पुत्र की, जो अप्राप्तवय हो, नैसर्गिक संरक्षकता दत्तक ग्रहण पर दत्तक पिता को और उसके पश्चात् दत्तक माता को संक्रान्त हो जाती है ।

8. नैसर्गिक संरक्षक की शक्तियां – (1) इस धारा के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि किसी भी हिन्दू अप्राप्तवय का नैसर्गिक संरक्षक उन सब कार्यों को करने की शक्ति रखता है जो उस अप्राप्तवय के फायदे के लिए या उस अप्राप्तवय की सम्पदा के आपन, संरक्षण या फायदे के लिए आवश्यक या युक्तियुक्त और उचित हों, किन्तु संरक्षक किसी भी दशा में अप्राप्तवय को वैयक्तिक प्रसंविदा के द्वारा आबद्ध नहीं कर

सकता ।

(2) नैसर्गिक संरक्षक न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना –

(क) न तो अप्राप्तवय की स्थावर सम्पत्ति के किसी भी भाग को बन्धक या भारित अथवा विक्रय, दान या विनिमय द्वारा या अन्यथा अन्तरित करेगा ; और

(ख) न ऐसी सम्पत्ति के किसी भी भाग को पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए या जिस तारीख को अप्राप्तवय प्राप्तवयता में प्रवेश करेगा उस तारीख से एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर देगा ।

(3) नैसर्गिक संरक्षक द्वारा उपधारा (1) या उपधारा (2) के उल्लंघन में किया गया स्थावर सम्पत्ति का कोई भी व्ययन, अप्राप्तवय की या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति की प्रेरणा पर शून्यकरणीय होगा ।

(4) कोई भी न्यायालय नैसर्गिक संरक्षक को उपधारा (2) में वर्णित कार्यों में से किसी को भी करने की अनुज्ञा न देगा सिवाय उस दशा में जब कि वह आवश्यक हो या अप्राप्तवय की सुव्यक्त भलाई के लिए हो ।

(5) उपधारा (2) के अधीन न्यायालय की अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के आवेदन को और उसके बारे में संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8) सर्वथा ऐसे लागू होगा मानो वह आवेदन उस अधिनियम की धारा 29 के अधीन न्यायालय की अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन हो, और विशिष्टत: :–

(क) आवेदन से सम्बन्धित कार्यवाहियां उस अधिनियम के अधीन, उसकी धारा 4क के अर्थ के भीतर कार्यवाहियां समझी जाएंगी ;

(ख) न्यायालय उस प्रक्रिया का अनुपालन करेगा और उसे वे शक्तियां प्राप्त होंगी जो उस अधिनियम की धारा 31 की उपधाराओं (2), (3) और (4) में विनिर्दिष्ट हैं ; तथा

(ग) न्यायालय के ऐसे आदेश की अपील, जो नैसर्गिक संरक्षक

को इस धारा की उपधारा (2) में वर्णित कार्यों में से किसी भी कार्य को करने की अनुज्ञा देने से इनकार करे, उस न्यायालय में होगी जिसमें उस न्यायालय के विनिश्चयों की अपीलें मामूली तौर पर होती हैं ।

(6) इस धारा में "न्यायालय" से वह नगर सिविल न्यायालय या ऐसा जिला न्यायालय या संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8) की धारा 4क के अधीन सशक्त ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह स्थावर सम्पत्ति जिसके बारे में आवेदन किया गया है, स्थित हो और जहां कि स्थावर सम्पत्ति ऐसे एक से अधिक न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित हो वहां वह न्यायालय अभिप्रेत है, जिसकी स्थानीय सीमाओं की अधिकारिता के भीतर उस सम्पत्ति का कोई भी प्रभाग स्थित हो ।

9. वसीयती संरक्षक और उनकी शक्तियां – (1) ऐसा हिन्दू पिता जो अपने अप्राप्तवय धर्मज अपत्यों के नैसर्गिक संरक्षक के तौर पर कार्य करने का हकदार हो, उनमें से किसी के लिए भी उस अप्राप्तवय के शरीर के या उस अप्राप्तवय की (धारा 12 में निर्दिष्ट अविभक्त हित से भिन्न) सम्पत्ति के या दोनों के बारे में विल द्वारा संरक्षक नियुक्त कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई नियुक्ति प्रभावी नहीं होगी यदि पिता माता से पूर्व मर जाए किन्तु यदि माता विल द्वारा किसी व्यक्ति को संरक्षक नियुक्त किए बिना मर जाए तो वह नियुक्ति पुनरुज्जीवित हो जाएगी ।

(3) ऐसी हिन्दू विधवा, जो अपने अप्राप्तवय धर्मज अपत्यों के नैसर्गिक संरक्षक के तौर पर कार्य करने की हकदार हो और ऐसी हिन्दू माता, जो अपने अप्राप्तवय धर्मज अपत्यों के नैसर्गिक संरक्षक के तौर पर कार्य करने की इस कारण हकदार हो कि पिता नैसर्गिक संरक्षक के तौर पर कार्य करने के लिए निर्हकित हो गया है, उनमें से किसी के लिए भी उस अप्राप्तवय के शरीर के या उस अप्राप्तवय के शरीर या (धारा 12

में निर्दिष्ट अविभक्त हित से भिन्न) सम्पत्ति के या दोनों के बारे में विल द्वारा संरक्षक नियुक्त कर सकेगी ।

(4) ऐसी हिन्दू माता, जो अपने अप्राप्तवय अधर्मज अपत्यों के नैसर्गिक संरक्षक के तौर पर कार्य करने की हकदार हो, उनमें से किसी के लिए भी, उस अप्राप्तवय के शरीर के या उस अप्राप्तवय की सम्पत्ति के या दोनों के बारे में विल द्वारा संरक्षक नियुक्त कर सकेगी ।

(5) विल द्वारा ऐसे नियुक्त किए गए संरक्षक को अधिकार है कि वह अप्राप्तवय के, यथास्थिति, पिता या माता की मृत्यु के पश्चात् अप्राप्तवय के संरक्षक के तौर पर कार्य करे और इस अधिनियम के अधीन नैसर्गिक संरक्षक के सब अधिकारों का, उस विस्तार तक और उन निबंधनों के अध्यधीन, यदि कोई हो, जो इस अधिनियम और उस विल में विनिर्दिष्ट हों, प्रयोग करे ।

(6) विल द्वारा ऐसे नियुक्त किए गए संरक्षक के अधिकार जहां कि अप्राप्तवय लड़की है, उसके विवाह हो जाने पर समाप्त हो जाएंगे ।

10. सम्पत्ति के संरक्षक के तौर पर कार्य करने के लिए अप्राप्तवय की असमर्थता – अप्राप्तवय किसी भी अप्राप्तवय की सम्पत्ति के संरक्षक के तौर पर कार्य करने के लिए अक्षम होगा ।

11. वस्तुतः संरक्षक अप्राप्तवय की सम्पत्ति के बारे में संव्यवहार नहीं करेगा – इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति केवल इस आधार पर कि वह अप्राप्तवय का वस्तुतः संरक्षक है, उस हिन्दू अप्राप्तवय की सम्पत्ति का व्ययन या संव्यवहार करने का हकदार न होगा ।

12. अविभक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति में अप्राप्तवय के अविभक्त हित के लिए संरक्षक का नियुक्त न किया जाना – जहां कि कोई अप्राप्तवय अविभक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति में अविभक्त हित रखता हो और वह सम्पत्ति कुटुम्ब के वयस्क सदस्य के प्रबंध के अधीन हो वहां ऐसे अविभक्त हित के बारे में अप्राप्तवय के लिए कोई संरक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा :

परंतु इस धारा की कोई भी बात ऐसे हित के बारे में संरक्षक

नियुक्त करने की उच्च न्यायालय की अधिकारिता पर प्रभाव डालने वाली न समझी जाएगी ।

13. अप्राप्तवय का कल्याण सर्वोपरि होगा – (1) न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति के किसी हिन्दू अप्राप्तवय का संरक्षक नियुक्त या घोषित किए जाने में अप्राप्तवय के कल्याण पर सर्वोपरि ध्यान रखा जाएगा ।

(2) यदि किसी भी व्यक्ति के विषय में न्यायालय की यह राय हो कि उसके संरक्षक होने में अप्राप्तवय का कल्याण न होगा तो वह व्यक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों के आधार पर या ऐसी किसी भी विधि के आधार पर, जो हिन्दुओं में विवाहार्थ संरक्षकता के बारे में हो, संरक्षकता का हकदार न होगा ।

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पृष्ठ सं.	पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में)	विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में)
1.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय – डा. एस. सी. खरे – 1996	273	115	29.00
2.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) – विधि साहित्य प्रकाशन – 2000	209	225	57.00
3.	विधि शास्त्र – डा. शिवदत्त शर्मा – 2004	501	580	290.00
4.	मानव अधिकार – डा. शिवदत्त शर्मा – 2006	340	120	60.00
5.	निर्णय लेखन – न्या. भगवती प्रसाद बेरी – 2019	190	175	–

अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

1. विधि शब्दावली	सातवां संस्करण, 2015	कीमत रु. 375/-
2. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2)	नवीनतम संस्करण, 2019	कीमत रु. 1,900/-
3. भारत का संविधान (सिंधी भाषा में)	1998	कीमत रु. 45/-
4. बहुभाषी संविधान शब्दावली	1986	कीमत रु. 12/-

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

Website : www.lawmin.nic.in
Email : am.vsp-molj@gov.in

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के चयनित क्रमशः सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/ product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in